रेत खनिज
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट
जिला उमरिया (म.प्र.)

सत्र -2022-23

प्रस्तुतकर्ता
जिला सर्वेक्षण गठित कमेटी

कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला उमरिया (म.प्र.)

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक 1417 /खनिज/2022 उमरिया, दिनांक- 26 /08/2022

प्रति,

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी
भोपाल (म.प्र.) - 462016

विषय :- रेत खनिज हेतु तैयार की गई जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, उमरिया के पेज क्रमांक 78 के सरल क्रमांक 27 में दर्ज रेत खदान ग्राम करकटी, तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.) के खसरा नं. 36 रकवा 2.023 हे. क्षेत्र पर संचालित रेत खदान के संबंध में।

संदर्भ :- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 26.08.2022 में की गई चर्चा एवं दिये गये निर्देशानुसार।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत उमरिया जिले से संबंधित रेत खनिज हेतु तैयार की गई जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) वर्ष 2021-22 दिनांक 26.08.2022 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया। तैयार की गई जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक 78 के सरल क्रमांक 27 पर अंकित रेत खदान ग्राम करकटी, तहसील पाली, जिला उमरिया के खसरा नं. 36 रकवा 2.023 हे. की माइनेबल मात्रा 36414 घनमी. (50979.6) मीट्रिक टन के संबंध में सेक की कमेटी द्वारा 03 वर्षो के पूर्व में किये गये उत्पादन से अधिक मात्रा होने के कारण स्पष्टीकरण चाहा गया है। तत्संबंध में वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

1. वर्ष 2020-21 में खदान का संचालन जिला समूह के निविदाकार मेसर्स आर.एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्रायवेट लिमि. के द्वारा किया गया है।
2. विगत वर्षो में कोविड-19 के संक्रमण के कारण खनिज की मांग कम होने से उक्त ख्दान से पर्याप्त मात्रा में रेत खनिज की निकासी नहीं की जा सकी है।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) तैयार करने हेतु गठित समिति के द्वारा परीक्षण के दौरान भी उक्त खदान में दर्शित माइनेबल मात्रा अनुसार रेत खनिज का उल्लेख रिप्लेनिसमेंट प्लान के अध्ययन में भी इस खदान में माइनेबल मात्रा से अधिक रेत खनिज का रिप्लेनिसमेंट होना पाया गया है।
4. यह कि दूसरी खदानों की तुलना में करकटी रेत खदान में पायी जाने वाली रेत निर्माण कार्य में जुडाई के अलावा छपाई अथवा प्लास्टर के लिये कम उपयोगी है जिस कारण बाजार में इसकी सीमित मांग रहती है।
5. उक्त खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति 20230 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

अत: अनुरोध है कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 26.08.2022 में की गई चर्चा एवं दिये गये निर्देशानुसार वांछित जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

खनि अधिकारी
वास्ते-कलेक्टर उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक 1362 /खनिज/2022 उमरिया, दिनांक- 16 /08/2022

प्रति,

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी
भोपाल (म.प्र.) - 462016

विषय :- 579 वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022 में दिये गये निर्देश बावत्।

संदर्भ :- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वीं बैठक दिनांक 17 जून 2022 ।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख है कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 579 वीं बैठक दिनांक 17 जून 2022 में दिये गये निर्देशानुसार खनिज रेत की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संशोधित कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- जिला रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर)

कलेक्टर
जिला-उमरिया (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1363 /खनिज/2022 उमरिया, दिनांक- 16 /08/2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव महोदय, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक प्रशासन एवं खनिकर्म 29-ए खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. (SEIAA) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय रीवा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला-उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा)जिला उमरिया मध्यप्रदेश

फोन नं. (07653) कार्या. 223055 Email ID;modgmuma@nic.in

पत्र क्र./ 774 /खनिज शाखा/2022 उमरिया, दिनांक 29/04/2022

प्रति,

कलेक्टर,
जिला उमरिया (म.प्र.)

संचालक,
प्रशासन एवं खनिकर्म
भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल(म.प्र.)

विषयः- सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट मानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के अंतर्गत रेत खनिज हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में।

संदर्भः- संचालक संचाननालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक 11920/भौमिकी/2020 भोपाल,दिनांक 22.10.2020 2.संचालक (प्रशा.एवं खनि.) म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक/3804 भोपाल दिनांक 03.03.2022 3. संचालक (प्रशा.एवं खनि.) म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक/3804 भोपाल,दिनांक 23.03.2022

--0--

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के परिपालन प्रदत्त निर्देशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3661-3662/2020 (बिहार राज्य एवं अन्य विरूद्ध पवन कुमार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुसार एवं सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट मानिटरिंग फार सेण्ड माईनिंग 2020 गाईडलाईन के पालन में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (District Survey Report) का प्रारूप तैयार किये जाने के निर्देश है।

तदानुसार समिति गठित करते हुए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (District Survey Report) हेतु निर्धारित 34 बिंदुओं का समावेश करते हुए तैयार की गई है। प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट का परीक्षण,अवलोकन, करते हुए अनुमोदन किया जाकर रिपोर्ट की प्रति जन सामान्य के सुझाव 21 दिवस की अवधि में प्राप्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय की वेबसाईड पर दर्शित किये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बांधवगढ़ जिला उमरिया (म.प्र.)	अनुविभागीय अधिकारी (वन) उमरिया जिला उमरिया (म.प्र.)	क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग जिला उमरिया (म.प्र.)	खनि अधिकारी, जिला उमरिया (म.प्र.)

जिला स्तरीय समिति जिला उमरिया (म.प्र.) द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (खनिज रेत हेतु) कार्यवाही विवरण दिनांक 29.04.2022

सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट मानीटरिंग फॉर सेण्ड माइनिंग 2020 के अंतर्गत खनिज रेत हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 29.04.2022 को जिला स्तरीय समिति जिला उमरिया (म.प्र.) के समक्ष रखी गई। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का समिति सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया एवं परीक्षण उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को पत्र क्रमांक 774 दिनांक 29.04.2022 के माध्यम से अनुमोदन कर जन सामान्य के अवलोकन एवं सुझाव हेतु 21 दिवस के लिए जिले के एन.आई.सी. पोर्टल पर अपलोड किया गया।

दिनांक 19.05.2022 तक जिले के एन.आई.सी. पोर्टल पर अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं होने पर एवं 21 दिवस की समयावधि पूर्ण होने पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सदस्य सचिव राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल को पत्र क्रमांक 1112 दिनांक 02.06.2022 को प्रेषित की गई।

कलेक्टर
जिला-उमरिया (म.प्र.)

अनुक्रमणिका

	पेज नंबर
अध्याय - 1	
• प्रस्तावना	1-5
अध्याय – 2	
• जिले में खनन कार्यकलापों पर विहंगावलोकन	6-7
अध्याय – 3	
• अवस्थिति क्षेत्र और वैधता की अवधि सहित जिले में खनन पट्टों की सूची	8-14
अध्याय – 4	
• पिछले तीन वर्षो में प्राप्त स्वामित्व या राजस्व के ब्यौरे	15
अध्याय – 5	
• पिछले तीन वर्षो के दौरान बालू या रेत खनिज के उत्पादन के ब्यौरे	16
अध्याय – 6	
• जिले की नदियों में तलछट के जमा होने की प्रक्रिया	17-24
अध्याय – 7	
• जिले की सामान्य प्रोफाईल	25-26
अध्याय – 8	
• जिले में भू उपयोग का पैटर्नरू वन, कृषि, उद्यान कृषि खनन आदि	27-59
अध्याय – 9	
• जिले की भूगर्भीय स्थिति	60-61
अध्याय – 10	
• मासवार वर्षा	62-63
अध्याय – 11	
• भूगर्भ और खनिज संपदा	64-69
Pre Monsoon Data	70-71
Post Monsoon Data	71-72
• जिले का नदी या धारा और अन्य रेत के स्त्रोत के ब्यौरे एवं जिले का रेत या कंकड़ या समग्र संसाधनों की उपलब्धता	73-109
• Photographs of sand mines	-
• Google images of sand mines	-

E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

मानचित्रों की सूची

मानचित्र क्रमांक	विषय
1	उमरिया जिले का खनिज संपदा मानचित्र
2	उमरिया जिले की भू-भौगोलिक मानचित्र
3	उमरिया जिले मे भूमि के उपयोग का पेटर्न
4	उमरिया जिले का भू-जल विज्ञान मानचित्र
5	उमरिया जिले के जल धाराओं का मानचित्र
6	इन्डैक्स मैप जिला उमरिया (म.प्र.)
7	जियोटेक और प्राकृतिक नक्शा

Impact
Ass... M.P.
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

रूपरेखा

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज साधन विभाग से सम्बंधित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिये विभिन्न विभागों से जिला उमरिया की अद्यतन स्थिति की जानकारी संकलित की गई है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु नक्शा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा तैयार DRM मैप तथा राजस्व विभाग से मजमुली नक़्शे ली गई है एवं Elevation map of India site से MSL संबंधी जानकारी ली गई। निम्नानुसार विभिन्न विभागों से जानकारी संकलित कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है।

1- वन विभाग
2- कृषि विभाग
3- उद्यानिकी विभाग
4- भू अभिलेख विभाग
5- जल संसाधन विभाग
6- स्वास्थ्य विभाग
7- सिंचाई विभाग

------------------------------***------------------------------

State Level ... Impact Assessment ... Authority, M.P. (SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

अध्याय- एक

प्रस्तावना

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 2016 के पैरा 7 (पपप) परिशिष्ट 10 एवं इन्फोर्समेंट एंड मानीटरिंग गाइडलाइन फार सेंड माइनिंग 2020 के अनुसार प्रत्येक जिले की बालू खनन या नदी तट खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिये खनिजवार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयर की जाना है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य भूमि वृद्धि या जमाव के क्षेत्रों की पहचान तथा उसकी अवसंरचना, ढांचों और संस्थापनों से निकटता जहां खनन को प्रतिसिद्ध किया गया हो तथा फिर से भराव की वार्षिक दर की संगणना तथा क्षेत्र में खनन के पश्चात भराव के लिये लगने वाला समय,ऐसे निजी क्षेत्र (खेत/निजी भूमि) को भी चिन्हित किया जाये जहां पर रेत खनिज उपलब्ध है तथा जिनका नदियों के बहाव के साथ प्रतिवर्ष पुनर्भरण संभव है,जिले में नदी रेत के अतिरिक्त M सैंड को चिन्हांकित करना,रेत खनिज की आवश्यकता तथा रेत खनिज की आपूर्ति के संभावित क्षेत्रों का भी आंकलन करना, रेत खनिज परिवहन के संभावित मार्गों का चिन्हांकन,रेत खनन हेतु उपयुक्त क्षेत्रों के चिन्हांकन के अतिरिक्त रेत के ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाये जहां पर्यावरण की दृष्टि से खनन संभव नहीं है आदि सम्मिलित है।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला उमरिया के गौण खनिज रेत के लिये तैयार की गई है। जिला उमरिया में खनिज रेत की क्वालिटी उच्चतम कोटि की है। जिला उमरिया अंतर्गत सोन नदी, भदार नदी, उमरार नदी, महानदी एवं उक्त नदियों की शाखाओं मे निर्मित नालों में खनिज रेत बहुतायत में पायी जाती है। जिसकी आपूर्ति जिले के आस-पास के जिलों में भी की जाती है। उमरिया ज़िला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक ज़िला है। ज़िले का मुख्यालय उमरिया में है। उमरिया जिले की स्थापना 6 जुलाई 1998 को हुई थी। यह शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है और इसकी अवस्थिति उत्तरी अक्षांश 23°38' मे 24°20' और पूर्वी देशांतर 80°28 'मे 82°12' के बीच है। तथा सर्वे आफ इण्डिया की टोपोशीट क्रमांक 63/डीए 64/ए मे कवर होता है। जिले का कुल क्षेत्रफल 4548 वर्ग किमी है। और इसकी आबादी 5,15,963 है।

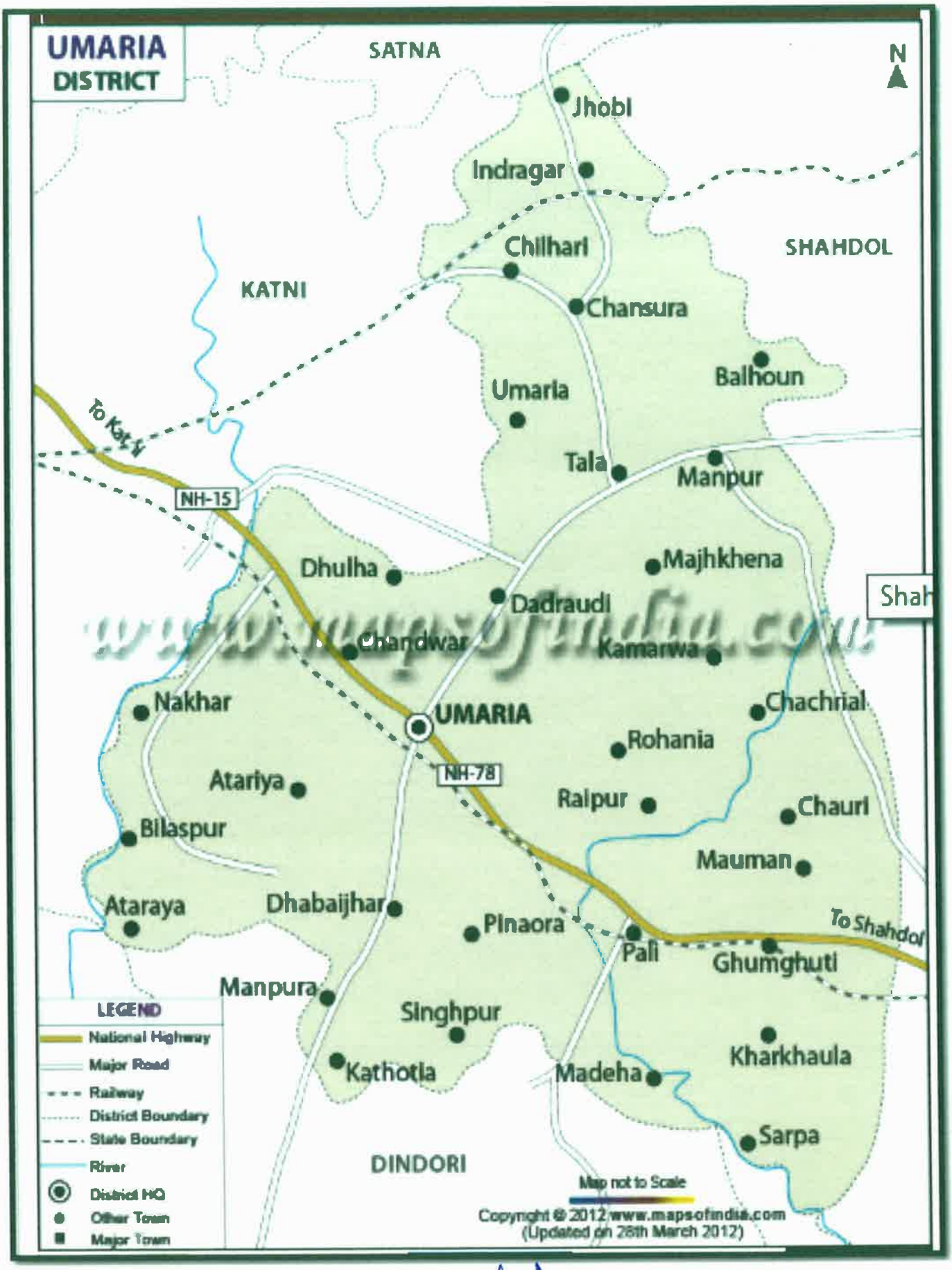

UMARIA
DISTRICT
SATNA
N
KATNI
SHAHDOL
Jhobi
Indragar
Chilhari
Chansura
Balhoun
Umaria
Tala
Manpur
To Katni
NH-15
Dhulha
Dadraudi
Majhkhena
Shah
Chandwar
Kamarwa
Nakhar
UMARIA
Chachrial
Rohania
NH-78
Atariya
Raipur
Chauri
Bilaspur
Mauman
Ataraya
Dhabaijhar
Pinaora
Pali
Ghumghuti
To Shahdol
Manpura
Singhpur
Kathotla
Madeha
Kharkhaula
Sarpa
DINDORI
LEGEND
National Highway
Major Road
Railway
District Boundary
State Boundary
River
District HQ
Other Town
Major Town
Map not to Scale
Copyright © 2012 www.mapsofindia.com
(Updated on 28th March 2012)

जिले की कनेक्टिविटी - उमरिया जिला रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। कटनी-शहडोल स्टेट हाइवे उमरिया होकर गुजरती है। दक्षिण-पूर्व रेल्वे की कटनी-बिलासपुर रेल्वे लाइन उमरिया से गुजरती है। उमरिया की सभी तहसीले पक्की सड़को से जुड़ी है तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा जिले के अधिकांश गांव जुड़ गये हैं।

1- जिले का फ्लोरा, फाउना- जिले मे शुष्क कटिबंधीय जंगल पाया जाता है। जिले के पश्चिम भाग में सागौन के पेड़ बहुतायत में जंगल के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा सरई, साजा, बीजा, पलास, हल्दू, चार रैडर,महुआ, तेंदू, बांस के पेड़ भी जंगलों में पाए जाते हैं। जिले में विभिन्न कई प्रजातियों के जंगली जानवर पाए जाते है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में ही स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में चीता, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली कुत्ते, हिरण, जंगली भैंस, जंगली मुर्गी, मोर, खरगोश, सियार, बारहसिंघा, इत्यादि जानवर पाए जाते हैं।

2- जिले की भू-आकृति एवं नदी तट जलवायु- जिले की मुख्य हिल रेंज बाधंवगढ़-सोहागपुर हिल रेंज हैं। जो कि उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका विस्तार सोन नदी के दूसरी ओर भी है। सोन नदी के पश्चिमी तट पर जोहिला नदी के संगम के पास मानपुर का समतल भू-भाग है। सोन नदी घाटी उपजाऊ क्षेत्र है। यह उत्तर की ओर विंध्य पर्वत मालाओं से घिरी है। महानदी घाटी पश्चिम की ओर समतल उपजाऊ मैदान के मध्य में स्थित है। इस घाटी में उमरिया, चंदिया, परखार स्थित है। दक्षिण में जोहिला नदी घाटी है ।

पूरा जिला गंगा नदीतंत्र का भाग है। जिले की मुख्य नदियाँ सोन, महानदी तथा जोहिला एवं इन नदियों की शाखाए हैं। सोननदी जिले के दक्षिणी-पूर्वी भाग में बहती है तथा समस्त पूर्वी भाग के नदी तट को व्यवस्थित करती है। जोहिला नदी जिले के दक्षिणी भाग में बहती है तथा केल्हाटी गांव के पास यह सोन नदी में मिल जाती हैं। महानदी जिले के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में बहती है तथा जिले के पश्चिमी भाग में नदी तट व्यवस्थित करती हैं महानदी मार्कण्डे घाट के पास सोन नदी में मिल जाती है। पूरे जिले का नदी तट इन्ही नदियों द्वारा व्यवस्थित होता है।

जिले में मानसून काल सामान्य तौर पर मध्य जून से सितम्बर तक रहता है तथा शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। गर्मी ऋतु अप्रैल से जून तक रहती है। इसी तरह मई का महीना सबसे गर्म रहता हैं जिसमें 47°C तक तापक्रम होता है। ठंड में 0 से 7°C तक तापक्रम रहता है। मानसून के समय आद्रता 70

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

प्रतिशत तक रहती है तथा गर्मियों मे यह घटकर 25 प्रतिशत तक हो जाती है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 52 इंच है।

Source: Bhukosh, GSI Portal.

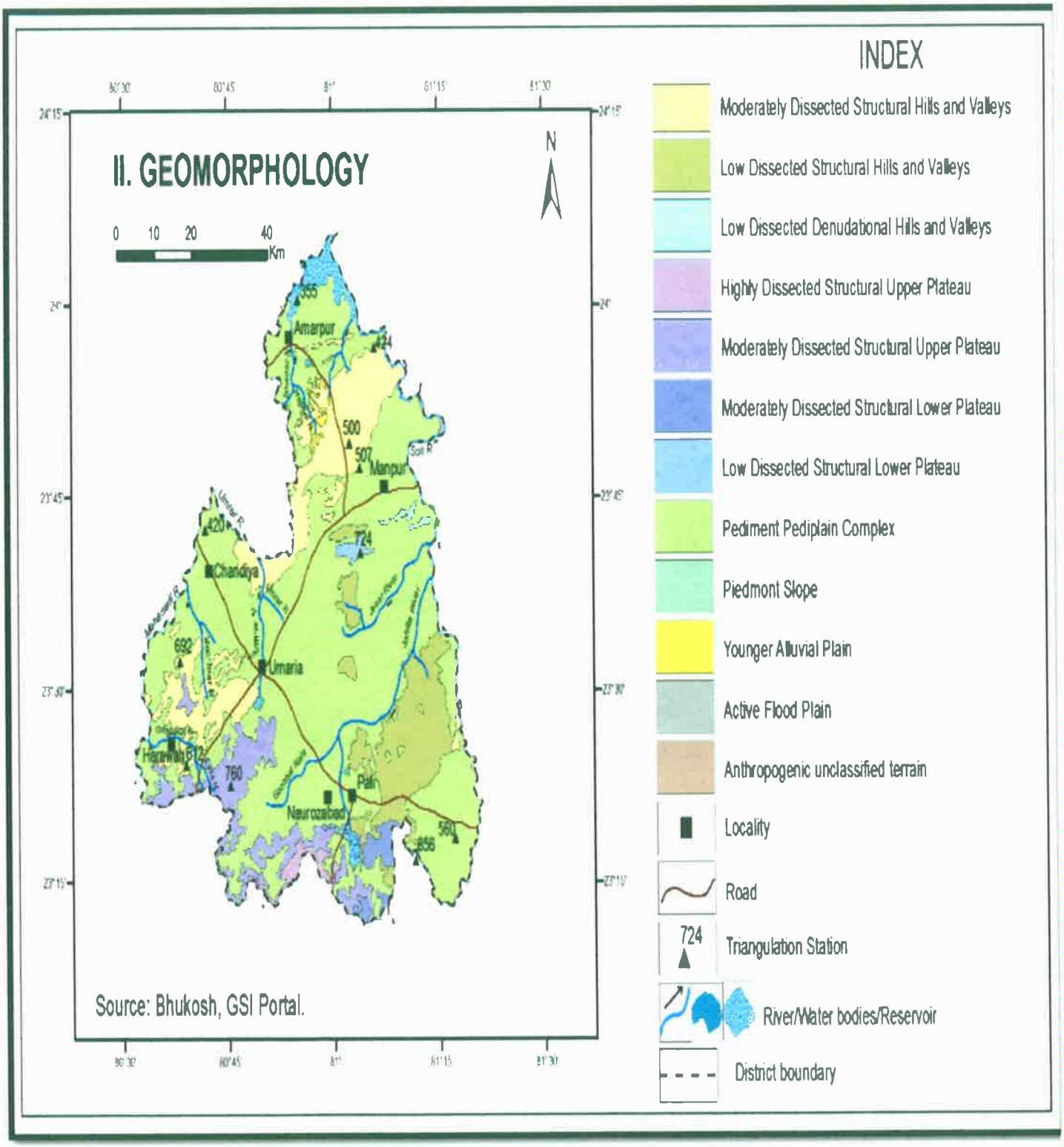

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

बांधवगढ़ का किला

उमरिया जिले की मुख्यालय तहसील का नाम बांधवगढ़ है। पूर्व में यह ब्याघ्र वंश के बांधवगढ़ साम्राज्य की राजधानी थी, तब यह तहसील मुख्यालय था। बांधवगढ़ का किला काफी पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है एवं एक प्राकृतिक अभेद्य किला है और समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। बामनिया पहाड़ी भी किले का एक हिस्सा है। उमरिया शहर से लगभग 41Km की दूरी पर बांधवगढ़ का किला रीवा रोड पर स्थित है।

उमरिया जिले का मुख्य शहर और बांधवगढ़ तहसील, पूर्व में उमरिया, दक्षिण रीवा जिले का मुख्यालय था। यह शहडोल से लगभग 69 किमी की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन के पास एक शिव मंदिर है, जिसे सगरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह एक पुराना मंदिर था, जिसे हाल ही में फिर से बनाया गया है। खजुराहो के मॉडल में नक्काशीदार सुंदर मूर्तियों के साथ इसके मुख्य द्वार अभी भी बरकरार हैं। खजुराहो पैटर्न के समान नक्काशी के साथ शहर से 6.5 किमी दूर एक और मंदिर है, इसे मढ़ीबाग मंदिर के रूप में जाना जाता है एवं उमरिया में प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर भी स्थित है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

अध्याय – दो

जिले में खनन कार्यकलापों पर विहंगम दृष्टि

वन एवं खनिज संपदा मनुष्य को प्रदत्त प्रकृति का अनुपम उपहार है। वन संरक्षण परोक्ष रूप से खनिज संरक्षण का बेहतर विकल्प है। खनिजों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी दोहन से न केवल प्रदेश, अपितु वैश्विक विकास का मार्ग भी प्रसस्त करता है। उमरिया जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 4548 वर्ग किलोमीटर है जिसका अधिकांश भाग वन क्षेत्र से आच्छादित है तथा लगभग 50-52 प्रतिशत भाग बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व एवं पनपथा अभ्यारण्य के बफर जोन में शामिल है।

यद्यपि अधिकांश भाग वन एवं बफर जोन क्षेत्र से आच्छादित है इसके बावजूद प्रकृति ने कोयला खनिज के अकूत भण्डार भी प्रदान किये है तथा जिले के कुल खनिज राजस्व आय का 90 प्रतिशत हिस्सा कोयला खनिज से रायल्टी के रूप में प्राप्त होता है। कोयला खनिज का दोहन जिले में कोल इंडिया लिमिटेड कम्पनी की सहायक कंपनी साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जोहिला क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है तथा कंपनी के पक्ष में कुल 13 कोयला खनिपट्टा स्वीकृत है जिसमें 08 खदानें खनि रियायत नियम 1960 तथा 05 खदानें कोल बियरिंग एक्विजिशन अधिनियम 1957 अंतर्गत स्वीकृत है।

मुख्यतः कोयला ऊर्जा क्षेत्र भी कंपनीयों को रियायती दर पर बिक्रय होता है, किन्तु कुल उत्पादन का 5-10 प्रतिशत कोयला ई-नीलामी के द्वारा बाजार में विक्रय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 2020-21 एवं 2021-22 (पॉच वर्षों) में कंपनी द्वारा लगभग 7932567 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन किया गया, जिससे राज्य शासन को 168.24 करोड़ का खनिज राजस्व आय प्राप्त हुई है।

भविष्य में कंपनी द्वारा नवीन खुली कोयला खदान तहसील पाली अंतर्गत ग्राम मालाचुआ में प्रारंभ किये जाने की संभावना है, जिससे जिले को अतिरिक्त खनिज राजस्व आय एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होने की प्रबल संभावना है।

कोयला खनिज के अलावा जिले में 01 खदानें गौण खनिज मार्बल की 04 खदानें गौण खनिज फायरक्ले की एवं 02 खदानें गौण खनिज ओकर्स 04 नीलाम खदानें बोल्डर की संचालित है मुख्य खनिज की खदानों के साथ-साथ जिले में 77 पत्थर/गिट्टी विनिर्माण हेतु क्रेशर संचालित है।

खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावना को देखते हुये जिले में कई प्रमुख कंपनियों द्वारा लेटेराईट, ग्रेनाईट, डोलोमाईट/मार्बल खनिज की खदानों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है, जिसमे भविष्य में लगभग 12-

15 करोड़ का अतिरिक्त खनिज राजस्व प्राप्त होने की संभावना दृष्टिगोचर होती है। रेत खनिज विदोहन हेतु जिले में ई-निविदा के माध्यम से निविदाकार मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा जिले की 27 रेत खदानों को मे.आर.एस.आई.स्टोन वर्ल्ड प्रा.लि.भोपाल को स्वीकृति प्रदान की गई है,जिस पर निविदाकार द्वारा कार्य शुरू कर खदानों का संचालन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त रेत एवं अन्य गौण खनिज खदानों को घोषित कर रु.30-40 करोड़ रूपये अतिरिक्त खनिज राजस्व प्राप्ति की संभावनाए भी परिलक्षित होती है।

इस प्रकार जिले में खनिजों के बेहतर तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रबंधन रीति से विदोहन कर खनिज आधारित उद्योगो की स्थापना के साथ-साथ उतरोत्तर खनिज राजस्व में अभिवृद्धि एवं आदिवासी बाहुल क्षेत्र के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाये जाने की अपार संभावनाए है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

अध्याय – तीन

जिले में खनन पट्टों की अवस्थिति, क्षेत्र तथा विधिमान्य कालावधि

रेत खदानों की सूची

क्र.	खदान का विवरण							लीज अवधि
	ग्राम/तहसील	खसरा क्रमांक	रकवा (हेक्टेयर)		अक्षांश	देशांश	उपलब्ध रेत मात्रा (घनमीटर)	
01	ग्राम गोवर्दे तहसील मानपुर /सोन नदी	591/1228	20.000	1 2 3 4 5 6 7 8	N 23°45'26.79" N 23°45'28.10" N 23°45'49.06" N 23°45'47.23" N 23°46'05.64" N 23°46'08.74" N 23°46'28.84" N 23°46'25.85"	E 81°12'31.05" E 81°12'35.22" E 81°12'26.49" E 81°12'21.16" E 81°12'10.29" E 81°12'13.24" E 81°12'56.57" E 81°11'54.18"	390000	30/6/2023
02	ग्राम मोहबला तहसील मानपुर/सोन नदी	317/384	20.000 में से 10.110 हे.	BP1 BP2 BP3 BP4	23°52'51.23"N 23°52'54.96"N 23°52'39.76"N 23°52'35.16"N	81°12'23.56"E 81°12'27.40"E 81°12'41.21"E 81°12'38.27"E	222925	30/6/2023

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

03	ग्राम मझौली तहसील मानपुर/सोन नदी	24/192	2.064	1 2 3 4	N 23°39'45.08" N 23°39'52.53" N 23°39'54.00" N 23°39'46.41"	E 81°14'21.03" E 81°14'16.00" E 81°14'18.50" E 81°14'23.18"	40076	30/6/2023
04	ग्राम अमिलिहा तहसील मानपुर/सोन नदी	1/601	4.000	1 2 3 4 5 6 7 8	N 23°51'21.64" N 23°51'21.71" N 23°51'21.36" N 23°51'17.15" N 23°51'17.09" N 23°51'17.28" N 23°51'16.84" N 23°51'16.95"	E 81°14'28.83" E 81°14'32.57" E 81°14'38.68" E 81°14'38.68" E 81°14'38.19" E 81°14'33.32" E 81°14'29.13" E 81°14'27.98"	79200	30/6/2023
05	ग्राम भमरहा तहसील मानपुर/सोन नदी	1005/1008 442/1007/1	1.340 4.770 कुल रकवा 6.110	1 2 3 4	N 23°41'46.38" N 23°42'06.58" N 23°42'06.94" N 23°41'46.10"	E 81°14'39.37" E 81°14'38.91" E 81°14'41.56" E 81°14'41.74"	61100	30/6/2023
06	ग्राम गोवर्दे तहसील मानपुर/सोन नदी	566/1226,	9.50 हे.	1 2 3 4	N 23°46'36.40" N 23°46'57.00" N 23°47'01.30" N 23°46'39.71"	E 81°11'46.30" E 81°11'22.80" E 81°11'23.70" E 81°11'47.21"	95000	30/6/2023
07	ग्राम गोवर्दे बडार तहसील मानपुर/सोन नदी	1191, 1	कुल रकवा 1.50	1 2 3 4 5 6 7 8	N 23°45'06.45" N 23°45'07.27" N 23°45'09.23" N 23°45'11.52" N 23°45'12.45" N 23°45'14.01" N 23°45'12.00" N 23°45'09.63"	E 81°12'17.09" E 81°12'16.57" E 81°12'21.09" E 81°12'21.36" E 81°12'20.35" E 81°12'20.35" E 81°12'24.23" E 81°12'23.17"	15000	30/6/2023

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

08	ग्राम सलैया तहसील मानपुर / भदार नदी	807	4.925	1 2 3 4 5 6 7	N 23°54'16.41" N 23°54'16.67" N 23°54'18.61" N 23°54'20.81" N 23°54'36.01" N 23°54'34.75" N 23°54'24.26"	E80°54'13.19" E80°54'10.68" E80°54'10.42" E80°54'10.58" E80°54'14.14" E80°54'17.53" E80°54'13.76"	77125	30/6/2023
09	ग्राम सुखदास तहसील मानपुर/ भदार नदी	1/2	4.033	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	N 23°52'31.88" N 23°52'32.39" N 23°52'35.62" N 23°52'36.39" N 23°52'39.48" N 23°52'40.75" N 23°52'42.93" N 23°52'46.77" N 23°52'57.51" N 23°52'58.90" N 23°53'0.53" N 23°53'3.64" N 23°53'5.87" N 23°53'6.48" N 23°53'7.41" N 23°53'5.43" N 23°53'4.10" N 23°53'0.98" N 23°52'56.80" N 23°52'46.18" N 23°52'47.03" N 23°52'44.13" N 23°52'41.46" N 23°52'34.09" N 23°52'32.53"	E 80°53'42.39" E 80°53'44.48" E 80°53'48.06" E 80°53'49.63" E 80°53'52.70" E 80°53'54.51" E 80°53'56.12" E 80°53'57.22" E 80°53'56.68" E 80°53'57.26" E 80°53'57.62" E 80°53'59.97" E 80°54'3.08" E 80°54'4.72" E 80°54'4.61" E 80°54'0.84" E 80°53'59.25" E 80°53'56.92" E 80°53'55.89" E 80°53'56.26" E 80°53'54.86" E 80°53'54.76" E 80°53'53.26" E 80°53'45.25" E 80°53'42.32"	58438	30/6/2023
10	ग्राम मुडगुडी तहसील मानपुर/ भदार नदी	263, 350	कुल रकवा 6.00 हे.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	N 23°52'49.75" N 23°53'07.63" N 23°53'06.98" N 23°52'49.79" N 23°53'08.50" N 23°53'19.70" N 23°53'58.22" N 23°53'58.57" N 23°53'19.64" N 23°53'07.77"	E 80°53'55.57" E 80°54'03.52" E 80°54'03.85" E 80°53'56.19" E 80°54'12.49" E 80°54'33.25" E 80°54'17.08" E 80°54'17.80" E 80°54'33.72" E 80°54'12.59"	63000	30/6/2023

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

11	ग्राम पडवार तहसील मानपुर / हलफल नदी	666, 701	4.992	1 2 3 4 5 6 7 8	N 23°53'46.83" N 23°53'48.09" N 23°53'39.75" N 23°53'38.74" N 23°53'37.08" N 23°53'38.13" N 23°53'25.44" N 23°53'24.39"	E 80°54'28.44" E 80°54'28.81" E 80°54'54.37" E 80°54'53.80" E 80°55'07.95" E 80°55'08.26" E 80°55'23.67" E 80°55'21.85"	62407	30 / 6 / 2023
12	ग्राम बटुरावाह तहसील मानपुर / ज़रवाही नाला	252	1.704	1 2 3 4 5 6	N 23°56'18.13" N 23°56'18.17" N 23°56'04.23" N 23°56'08.01" N 23°56'07.77" N 23°56'03.50"	E 81°01'21.18" E 81°01'22.17" E 81°01'24.62" E 81°01'32.80" E 81°01'33.35" E 81°01'24.12"	34128	30 / 6 / 2023
13	पिटौर / हलफल नदी	107	3.500	1 2 3 4 5 6	N 23°52'16.63" N 23°52'22.31" N 23°52'31.31" N 23°52'25.45" N 23°52'21.35" N 23°52'17.02"	E 80°55'55.15" E 80°55'51.18" E 80°55'50.06" E 80°55'55.32" E 80°55'54.89" E 80°55'55.98"	49500	30 / 6 / 2023
14	ग्राम चंसुरा तहसील मानपुर / भदार नदी	61	2.209 हे. मे से रकवा 1.300 हे.	1 2 3 4 5 6	N 23°55'32.58" N 23°55'40.59" N 23°55'48.82" N 23°55'59.99" N 23°56'00.25" N 23°55'32.32"	E 81°01'52.52" E 81°01'54.96" E 81°01'51.79" E 81°01'43.27" E 81°01'43.94" E 81°01'53.08"	13000	30 / 6 / 2023
15	खैरभार / उमरार नदी	344	2.024	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	N 23°45'06.00549" N 23°45'04.46787" N 23°45'02.91154" N 23°45'01.38173" N 23°45'00.21155" N 23°44'58.64315" N 23°44'57.16832" N 23°44'55.67711" N 23°44'54.26441" N 23°44'52.10171" N 23°44'50.51652" N 23°44'48.89061" N 23°44'48.12100" N 23°44'47.80285" N 23°44'49.28781" N 23°44'50.92889" N 23°44'52.53474" N 23°44'53.88897"	E 80°43'25.44276" E 80°43'26.15561" E 80°43'26.83780" E 80°43'27.42219" E 80°43'27.89213" E 80°43'28.46895" E 80°43'29.19630" E 80°43'29.82969" E 80°43'30.65583" E 80°43'31.73025" E 80°43'32.25150" E 80°43'32.67761" E 80°43'32.88786" E 80°43'31.72553" E 80°43'31.28917" E 80°43'30.70717" E 80°43'30.03524" E 80°43'29.41862"	16192	30 / 6 / 2023

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

				19	N 23°44'56.88592"	E 80°43'27.89661"		
				20	N 23°44'58.79838"	E 80°43'27.15247"		
				21	N 23°45'00.43509"	E 80°43'26.51845"		
				22	N 23°45'5.52"	E 80°43'24.65"		
16	टेकन/उमरार नदी	1	4.000	1	N 23°42'35.30"	E 80°45'37.12"	40000	30/6/2023
				2	N 23°42'36.10"	E 80°45'37.37"		
				3	N 23°42'36.41"	E 80°46'13.62"		
				4	N 23°42'14.21"	E 80°46'22.85"		
				5	N 23°42'27.07"	E 80°46'41.29"		
				6	N 23°42'26.32"	E 80°46'41.19"		
				7	N 23°42'13.91"	E 80°46'22.59"		
				8	N 23°42'36.00"	E 80°46'13.27"		
17	अतरिया/उमरार नदी	1	4.000	1	N 23°41'42.99"	E 80°47'12.07"	40000	30/6/2023
				2	N 23°41'49.19"	E 80°47'18.65"		
				3	N 23°41'56.80"	E 80°47'20.93"		
				4	N 23°42'04.33"	E 80°47'18.41"		
				5	N 23°42'04.17"	E 80°47'20.03"		
				6	N 23°41'56.90"	E 80°47'23.11"		
				7	N 23°41'49.08"	E 80°47'20.49"		
				8	N 23°41'42.06"	E 80°47'12.12"		
18	झाला/उमरार नदी	75	3.414	1	N 23°42'44.73"	E 80°45'34.01"	34140	30/6/2023
				2	N 23°42'56.31"	E 80°45'30.43"		
				3	N 23°42'58.10"	E 80°45'18.09"		
				4	N 23°42'59.95"	E 80°45'08.80"		
				5	N 23°43'00.17"	E 80°45'10.64"		
				6	N 23°42'59.39"	E 80°45'18.19"		
				7	N 23°42'56.89"	E 80°45'31.09"		
				8	N 23°42'44.76"	E 80°45'35.09"		
19	झिलमिली/बरूआ नाला	2, 8, 32	4.178	1	N 23°27'03.56"	E 80°34'25.21"	41780	30/6/2023
				2	N 23°27'20.39"	E 80°34'07.34"		
				3	N 23°27'20.30"	E 80°34'07.91"		
				4	N 23°27'03.75"	E 80°34'25.69"		
				5	N 23°27'35.89"	E 80°34'05.64"		
				6	N 23°28'04.98"	E 80°34'10.21"		
				7	N 23°27'03.75"	E 80°34'00.84"		
				8	N 23°28'04.12"	E 80°34'00.86"		
				9	N 23°28'05.18"	E 80°34'10.73"		
				10	N 23°27'36.37"	E 80°34'06.36"		

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

20	कोयलारी / उमरार नदी	1	5.260	1	N 23°43'47.72"	E 80°43'56.53"	78900	30 / 6 / 2023
				2	N 23°43'38.69"	E 80°43'59.83"		
				3	N 23°43'30.70"	E 80°44'11.61"		
				4	N 23°43'39.60"	E 80°44'15.71"		
				5	N 23°43'38.67"	E 80°43'16.96"		
				6	N 23°43'31.55"	E 80°44'17.03"		
				7	N 23°43'32.94"	E 80°44'03.78"		
				8	N 23°43'38.24"	E 80°43'58.78"		
				9	N 23°43'47.49"	E 80°43'55.36"		
21	नरवार / बरूआ नाला	352	2.780	1	N 23°32'31.69"	E 80°41'16.42"	27800	30 / 6 / 2023
				2	N 23°32'40.36"	E 80°41'15.40"		
				3	N 23°32'50.74"	E 80°41'31.93"		
				4	N 23°33'03.09"	E 80°41'25.32"		
				5	N 23°33'03.12"	E 80°41'25.95"		
				6	N 23°32'50.82"	E 80°41'32.95"		
				7	N 23°32'40.15"	E 80°41'15.96"		
				8	N 23°32'31.95"	E 80°41'17.42"		
22	बहेरघटा / महानदी	53	1.424	1	N 23°34'34.42"	E 80°35'58.14"	14240	30 / 6 / 2023
				2	N 23°34'44.45"	E 80°36'00.62"		
				3	N 23°34'44.97"	E 80°36'02.77"		
				4	N 23°34'33.90"	E 80°35'59.00"		
23	खेरवाखुर्द / डेंगरहा नाला	201 / 248	4.614	1	N 23°36'16.60"	E 80°51'07.73"	46140	30 / 6 / 2023
				2	N 23°36'30.46"	E 80°51'03.29"		
				3	N 23°36'45.13"	E 80°50'47.30"		
				4	N 23°36'58.24"	E 80°50'47.18"		
				5	N 23°37'15.12"	E 80°50'21.36"		
				6	N 23°37'15.40"	E 80°50'22.18"		
				7	N 23°36'58.46"	E 80°50'48.44"		
				8	N 23°36'45.60"	E 80°50'48.08"		
				9	N 23°36'30.61"	E 80°51'04.09"		
				10	N 23°36'16.79"	E 80°51'08.29"		
24	करकटी / बरूआ नाला	36	2.023	1	N 23°21'52.43"	E 81°05'58.54"	20230	30 / 6 / 2023
				2	N 23°21'53.01"	E 81°05'59.88"		
				3	N 23°21'47.92"	E 81°06'04.67"		
				4	N 23°21'50.48"	E 81°06'09.80"		
				5	N 23°21'42.38"	E 81°06'10.90"		
				6	N 23°21'43.08"	E 81°06'15.49"		
				7	N 23°21'42.67"	E 81°06'16.09"		
				8	N 23°21'45.50"	E 81°06'11.01"		
				9	N 23°21'49.70"	E 81°06'09.29"		
				10	N 23°21'48.41"	E 81°06'02.23"		

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
Parisar
E-5, Arera Colony, (M.P.)

25	मुडेहना / डेंगरहा नाला	15	2.845	1 2 3 4 5 6	N 23°34'23.8"7 N 23°34'36.12" N 23°34'47.46" N 23°34'46.79" N 23°34'36.11" N 23°34'22.58"	E 80°52'37.39" E 80°52'42.28" E 80°52'46.21" E 80°52'47.56" E 80°52'43.85" E 80°52'38.35"	28480	30 / 6 / 2023
26	कोडार / बरूआ नाला	29 / 1, 29 / 2	5.744	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	N 23°37'04.28" N 23°37'04.99" N 23°36'57.36" N 23°37'12.39" N 23°37'00.90" N 23°36'56.28" N 23°36'55.95" N 23°36'59.86" N 23°37'11.11" N 23°36'56.48"	E 80°52'16.09" E 80°52'16.47" E 80°52'20.69" E 80°52'32.92" E 80°53'03.22" E 80°53'07.35" E 80°53'06.74" E 80°53'03.18" E 80°52'32.88" E 80°52'18.73"	57440	30 / 6 / 2023
27	खैरभार / उमरार नदी	5	6.981	1 2 3 4 5 6	N 23°45'20.74" N 23°45'34.22" N 23°45'46.51" N 23°45'46.82" N 23°45'36.67" N 23°45'22.65"	E 80°43'21.13" E 80°43'04.14" E 80°42'53.32" E 80°42'54.88" E 80°43'05.27" E 80°43'23.16"	69810	30 / 6 / 2023

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EP-10)

अध्याय – चार

विगत तीन वर्षों में प्राप्त स्वामित्व या राजस्व का विवरण

वर्ष 2018-19	
रेत	24121000
वर्ष 2019-20	
निरंक	
वर्ष 2020-21	
रेत	292143540.99
वर्ष 2021-22	
रेत	465518882.2

अध्याय – पांच

विगत तीन वर्षों के दौरान बालू या रेत खनिज के उत्पादन का विवरण

वर्ष 2018-19	
रेत	241210 घनमीटर
वर्ष 2019-20	
निरंक	

वर्ष 2020-21	
रेत	516349.87 घनमीटर
वर्ष 2021-22	
रेत	917812.98 घनमीटर

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

अध्याय – छः

जिले की नदियों में तलछटों के जमाव की प्रक्रिया

पूरा जिला गंगा नदीतंत्र का भाग है। जिले की मुख्य नदियाँ सोन, महानदी तथा जोहिला है। सोननदी जिले के दक्षिणी-पूर्वी भाग में बहती है तथा समस्त पूर्वी भाग के नदीतंत्र को व्यवस्थित करती है। जोहिला नदी जिले के दक्षिणी भाग में बहती है तथा केल्हाटी गांव के पास यह सोन नदी में मिल जाती है। महानदी जिले के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में बहती है तथा जिले के पश्चिमी भाग में नदी तंत्र व्यवस्थित करती है। महानदी मार्कण्डे घाट के पास सोन नदी में मिल जाती है। पूरे जिले का नदी तंत्र इन्हीं नदियों द्वारा घिरा हुआ है।

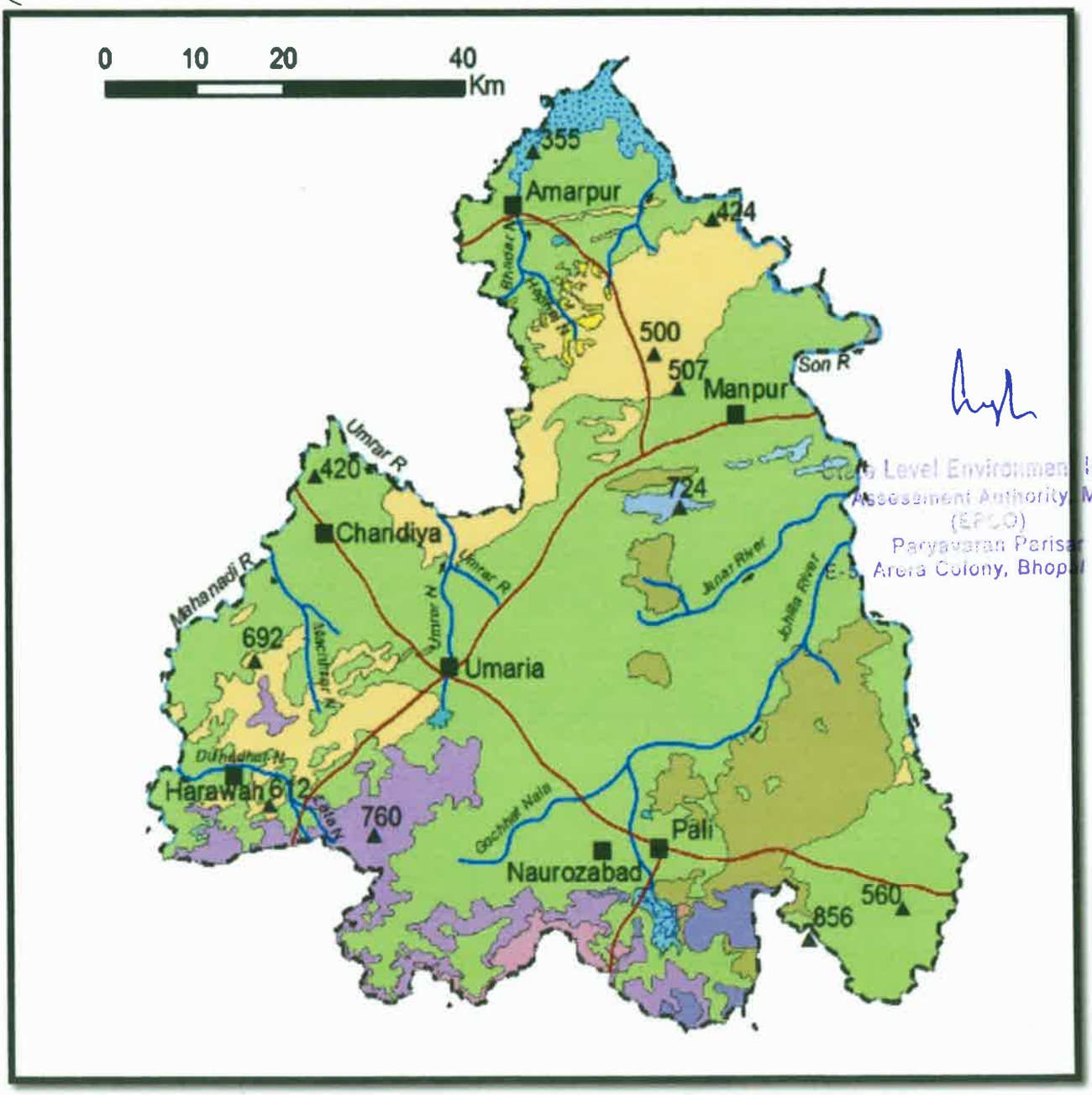

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सोन नदी:- सोन नदी जिले की मुख्य नदी है जो जिले के दक्षिणी-पूर्वी भाग में शहडोल तथा उमरिया जिले की बाउन्ड्री बनाती है यह जिले में विस्तृत नदी घाटी का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई 113 किमी. है। इसकी सहायक नदियाँ जोहिला तथा बनास नदी हैं । सोन नदी गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी तथा भारतीय पौराणिक मान्यतानुसार धार्मिक नदी है। पौराणिक मान्यतानुसार सोन तथा नर्मदा नदियाँ ब्रह्म्माजी के आंख से निकले दो बूंद है।

सोन नदी, सोन कुंड से लगभग पेण्ड्रा रेल्वे स्टेशन से 19 किमी. की दूरी पर है। यह स्थान सोन मुडा के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें भगवान भोले नाथ का मंदिर है इस नदी के नजदीक ग्राम सोन और बछरवार है, यह नदी शुरू में 29 किमी. तक उत्तर की ओर बहती है। इसके बाद मरवाही पठार में उत्तर-पश्चिम की ओर मुड जाती है। इसके बाद नदी शहडोल जिले में बहती है। जिसकी मुख्य सहायक नदियाँ केवई, कटना, केशर, कुनूख, चंडी यह सब सोन नदी के दाहिने कगार पर मिलती हैं। सोन नदी के बायें कगार पर तिपन, मुडना, जोहिला तथा महानदी मिलती है। जिसमें से जोहिला तथा महानदी दो महत्वपूर्ण नदियाँ है जोहिला नदी बरतु गांव के पास मिलती है महानदी ग्राम झरसी गांव के पास मिलती है। उसके आगे यह कैमोर पहाड़ को तोडकर उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ जाती है जहां पर यह शहडोल जिले की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। उत्तरी भाग में सोन नदी की एमएसएल 300 मी. है तथा आगे चलकर गोपा नदी पर मिलती है। जिले के पूर्वी भाग में गोड़वाना महा समूह के शैल बलुआ पत्थर तथा कौन्गलोमेरेट में बहती है। गोड़वाना बलुआ पत्थर में सिगमेन्टिग पदार्थ सिलिका युक्त तथा इसके वेधन की क्षमता अत्यंत होने के कारण नदी के द्वारा इसका कटाव तथा बहाव सघनतापूर्वक होने के कारण नदी में उच्च क्वालिटी में बालू का निर्माण जिले के पूर्वी भाग में होता है जिले के उत्तरी भाग में सोन नदी महाकौशल पूर्वतः शिलाओ को काटकर कुछ दूर पहले पश्चिम की ओर बहती है। फिर आगे चलकर इसकी दिशा महानदी में मिलने से पहले उत्तर-पूर्व की ओर बहती है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EFCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

इस भाग में महाकौशल का क्वार्टजाईट तथा विन्ध्य के बलुआ पत्थर को काटती हुई सोन नदी आगे बहती है। यह क्षेत्र भी बालू के लिये जाना जाता है। किन्तु पूरा क्षेत्र बाण सागर बांध में डूब क्षेत्र में आने के कारण इसकी बालू जलमग्न है, बरसात के बाद नदी में जल बहाव 620 घन फिट/सेकेंड सोन

नदी में वर्षा जल 54390 वर्ग किमी. क्षेत्र से वर्षा जल एकत्रित होकर नदी में आता है, तथा बरसात में जल का बहाव 8,30,000 क्यू. फिट/सेकेंड यह वर्षा जल भारी वर्षा से एकत्रित होता है, जो कि कुछ समय तक चलता है, लेकिन लगभग चार दिन से अधिक नहीं चलता है। बरसात के समय नदी के फ्लड प्लेन में बहुत सारा बालू एकत्रित होता है तथा नदी के निचले हिस्से में बालू का बहुत सारा जमाव होता है। इसका शुमार देश की बड़ी नदियों में होता है। सोन नदी की चौड़ाई 5 किमी. है। इसका बाढ़कृत मैदान 3 किमी. से 5 किमी. लम्बा है। मानसून के समय सोन नदी भी विकराल होती है। यदि बाढ़ के पहले बालू नहीं निकाला गया तो बाढ़ में यह बह कर डैम जाता है। मानसून में वर्षान्त के समय नदी के आस-पास के क्षेत्र से चट्टानों के ऊपर से चट्टानों के टुकड़े नदी में आते है तथा नदी की जलधारा के साथ बहाव में इनमें घर्षण के द्वारा बालू बजरी तथा अत्यंत महीन कण नदी के आस-पास के खेतों के साथ-साथ नदी में जमा होते है। नदी के बहाव के साथ जब बालू नदी जल प्रवाह में ज्यादा हो जाती है तथा नदी का वेग कम होने से ढलान के नदी के दोनों किनारों में बालू का निक्षेप करती है। यह प्रक्रिया साल दर साल मानसून की वर्षा से होती रहती है। जब मानसून कमजोर रहता है, तो नदी में जल बहाव कम होने के कारण चट्टानों का अपरदन भी कम होता है तथा नदी में इनके परिवहन में भी कमी आती है। फलस्वरूप बालू का जमाव कम मात्रा में होता है। नदी में बालू का वार्षिक जमाव 3-4 मीटर प्रतिवर्ष होता है।

जोहिला नदी:- जोहिला नदी, सोन नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जोहिला नदी जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है पौराणिक मान्यतानुसार यह नदी भी पवित्र नदी मानी जाती है। अमरकंटक में पुरानी कल्चुरी कला कृति में नर्मदा नदी के निकट जोहिला देवी की मूर्ति स्थापित है। जोहिला नदी के उदगम के पास जालेश्वर शिव मंदिर स्थित है। उदगम स्थल कैहलरी गांव के पास जोहिला नदी क्षेत्र भगवान भोलेनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। तथा महाशिवरात्रि के समय जोहिला नदी के उदगम पर भव्य मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5 Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जोहिला नदी का उदगम मेकल रेंज के पश्चिमी तट पर देवशनि (3687 फिट) पर्वत माला है। जहां से जोहिला नदी निकलती है। जोहिला नदी पाली तक दक्षिणी-पूर्व तक बहती है। इसके बाद सोन नदी गढ़ी दादर रेंज से जल एकत्रित करती है। जो कि केन्द्रीय जल क्षेत्र का भाग है। जोहिला नदी उच्च

पर्वतीय पठार से पाली के पास बनाशिया गांव तक बहती है, पहाड़ में नदी धारा कई जगह से मुड़ती हुई आगे बहती है। जिले में नदी की कुल लंबाई 122 किमी. है जिसमें से 40 किमी. पाली के नीचे है। जहां से यह मुड़कर उत्तर-पूर्व की ओर बहती है। इसकी सहायक नदी गोचट नदी है, जो कि नौरोजाबाद के पश्चिम से बहते हुये नौरोजाबाद के उत्तर में जोहिला से संगम स्थल बनाती है। पाली के पहले नदी बेसाल्ट लमेटाबेड्स ग्रेनाईट रॉक के ऊपर से बहती है। कठोर चट्टान होने के कारण नदी में बोल्डर का निर्माण होता है। गोचट नदी मिलने के पश्चात् जोहिला नदी उत्तर-पूर्व की ओर सोन नदी के संगम तक सम्पूर्ण भाग में गोड़वाना शैल, सैण्ड स्टोन क्ले, कौन्गलोमेरेट रॉक के ऊपर से बहती है। इस नदी में मुख्य रूप से बोल्डर मिलता है तथा गोंडवाना क्षेत्र में कुछ भागों में बोल्डर के साथ-साथ बजरी भी मिलती है।

महानदी:- महानदी, सोन नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। महानदी सतपुड़ा पर्वत मालाओं से निकलती है। जिस स्थान से महानदी निकलती है। उस स्थान को तोरदरा (761 डैस्) कहते है। तोरदरा मंडला जिले के ग्राम-निवास के पूर्व में स्थित है। महानदी मुख्य रूप से मंडला, जबलपुर, सतना जिले से होकर बहती है। यह उमरिया जिले के पश्चिमी सीमा के कुछ भाग में बहती है इसकी सहायक नदियां उमरार है। जो कि जिले के दक्षिण-पश्चिम भाग में बहकर महानदी में मिलती है। मन्दार नाला जिले के उत्तरी भाग में महाकौशल की पहाडी को काटते हुये विन्ध्य पठार से होकर महानदी के सोन संगम के पहले महानदी में मिलती है। महानदी मारकंडे आश्रम के पास सरसी गांव में सोन नदी में मिलती है। नदी का निचला भाग नदी घाटी के रूप में काफी उपजाऊ क्षेत्र है। महानदी जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क तथा पड़खुरी के चारो ओर स्थित है। महानदी की कुल लंबाई 160 किमी. है। जिसमे से 75 किमी. उमरिया जिले में बहती है। जो कि जिले की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में महानदी अधिकांश भाग में महाकौशल क्वार्टजाईट ग्रेनाईट से होकर बहती है तथा महानदी चंदिया के पास गोड़वाना महासमूह के शैल, सैण्ड स्टोन, क्ले, कोन्गलोमरेट रॉक के ऊपर से बहती है। ग्रेनाईट तथा महाकौशल का भाग महानदी में बोल्डर निर्माण करता है तथा गोड़वाना समूह का भाग नदी में बालू बजरी निर्माण का कारक है, चंदिया की गहरी चट्टानों से बहती है। इसमें भी बालू-बजरी एकत्रित होती है। जिले के उत्तरी भाग में मन्दार नाला महाकौशल पर्वत मालाओं के पहले गोड़वाना महा समूह की चट्टानों से होकर बहता है तथा महाकौशल समूह की पहाड़ियों के लगभग 20 किमी. पहले मंदार नाले की चौड़ाई बढ़ जाती है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

महाकौशल समूह की पहाडियों के बाद मंदार नाला विन्ध्य महा समूह के भू-भाग में बहता है तथा पूरा भाग बालू के भंडारों से भरा है।

नदी तल से बालू निकालने के बाद बरसात के समय नदी तल में बालू की पुनः पूर्ति बालू के पुनर्भरण/परिवहन द्वारा होती है, तथा नदी तल में बालू की मात्रा पुनः एकत्रित हो जाती है। बालू का परिवहन अवसाद के लक्षण पर निर्भर करता है, इनका आकार घनत्व तथा अवसाद की चलन क्षमता बालू के विभिन्न ग्रेड विभिन्न परतों में नदी तल में जमा होते है। इस प्रकार यदि बालू की ग्रेडिंग नहीं होती है तो नदी की गहराई घट जाती है। और इससे नदी में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। बालू का जमाव नदी तल की स्थिति को सुदृढ़ करता है, और इससे बालू के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुगमता होती है। नदी तल स्वच्छ बालू के मुख्य स्त्रोत है।

बालू पुनर्भरण को प्रभावित करने वाले कारक

बालू का वार्षिक पुनर्भरण अवसाद के क्रमिक जमाव पर निर्भर करता है, बरसात के समय तीव्र जल बहाव में पहाड़ी, ढ़लान से अधिक मात्रा में बलुआ पत्थर को नदी में आने तथा तीव्र जल बहाव से बालू तथा ग्रेवल नदी तल में जमा होते है। बरसात के बाद जब नदी का बहाव कम हो जाता है। उस समय बालू का परिवहन तथा पुनर्भरण कम मात्रा में होता है। नदी में परिवहन के दौरान बालू की ग्रेन साइज कम होती जाती है।

पुनर्भरण मुख्यतः अवसाद के परिवहन पर निर्भर करता है, जो कि जल बहाव के कारण होता है। जल में अवसाद परिवहन के समय अवसाद कण तीन भागों में विभाजित हो जाते है, जिसे सिल्ट, क्ले तथा बालू कहते है। विक्षेपित लोड़ आगे चलकर जल के द्वारा साफ किया जाता है, जो सिल्ट तथा क्ले के रूप में निम्न कणिक अवसाद के रूप में जमा हो जाते है।

नदी के जल बहाव का क्षेत्र जल बहाव की गति नदी का ढ़लान तथा अवसाद के विक्षेप की मात्रा पुनर्भरण में प्रभावी कारक है।

इस प्रकार संक्षेप में बालू पुनर्भरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है:-

1. जल बहाव का प्रकार, बाढ़कृत मैदान
2. भू-विज्ञान का क्षेत्र तथा भू-भौगोलिकी
3. जलवायु की स्थिति तथा वर्षा
4. अपक्षय तथा अपरदन
5. जलग्रहण क्षेत्र
6. अवसादन और परिवहन

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

कार्यालय सचिवालय जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
DEIAA एवं DEAC कलेक्टर कार्यालय (खनिज–शाखा) उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक
प्रति, 1895 / प्र.क.40 / DEIAA /DEAC / 2016 उमरिया दिनांक 26/10/2016

मेसर्स सलूजा स्टोन क्रेशर
प्रो. श्री अविनाश सलूजा
पिता श्री ओम प्रकाश सलूजा
निवासी वार्ड न 23 कट्टी मोहल्ला शहडोल
जिला शहडोल (म0प्र0)

विषयः—प्र.क. 40 / DEIAA /DEAC / 2016 ग्राम ओदरी तहसील पाली जिला उमरिया (म0प्र0) की शासकीय भूमि आराजी खसरा क्रमांक 469, 470, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 कुल रकवा 4.880 हेक्टेयर मे से उपलब्ध रकवा 4.131 हेक्टेयर क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर (क्रेशर से गिट्टी निर्माण हेतु) उत्खनिपट्टा उत्पादन मात्रा 15390 घ.मी. आवेदक मेसर्स सलूजा स्टोन क्रेशर।

सदर्भ —आपका आवेदन DEIAA के समक्ष प्रस्तुत प्र.क. 40 / DEIAA /DEAC / 2016 दिनांक 08.09.2016।

---00---

आपके पक्ष मे ग्राम ओदरी तहसील पाली जिला उमरिया (म0प्र0) की शासकीय भूमि आराजी खसरा क्रमांक 469, 470, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 कुल रकवा 4.880 हेक्टेयर मे से उपलब्ध रकवा 4.131 हेक्टेयर क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर (क्रेशर से गिट्टी निर्माण हेतु) उत्खनिपट्टा संचालक महोदय के पत्र क्रमांक 11590–11591 / खनिज / न. क्र18 / उ.प. / 2015 भोपाल दिनांक 12.07.2016 से ओदित क्षेत्र उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृति प्रदान की गई माननीय न्यायालयों के आदेश के परिपेक्ष्य में जिला स्तरीय DEIAA/DEAC को आवेदन दिनांक 08.09.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण मे DEAC की बैठक दिनांक 15.09.2016 की सूचना पट्टाधारी को कार्यालयीन पत्र कमांक 1676 / प्र.क. 40 / DEAC/2016 उमरिया दिनांक 12.09.2016 से भेजी गई थी। प्रकरण में आवेदक एवं प्रकरण के RQP द्वारा पर्यावरणीय अनुमति के परिपेक्ष्य में प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत करते हुए निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया है।

I - आवेदक के RQP द्वारा प्रेजेटेशन की प्रति एवं Form I M प्रस्तुत किया गया।
II - आवेदित क्षेत्र नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, घोषित जैव विविधता क्षेत्र से 10 कि.मी. के अंदर नही है।
III आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर के बाहर स्थित है।
IV आवेदित क्षेत्र से 500 मी. के अंदर कोई मानव बसाहट / शैक्षणिक संस्था / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थित नही है।
V- आवेदित क्षेत्र से 500 मी. के अंदर कोई जलीय निकाय / नदी / तालाय / नहर स्थित नही है।
VI– आवेदित क्षेत्र से 500 मी. की परिधि पर 01 उत्खनिपट्टा स्वीकृत है जिसका कुल रकवा 3.962 हे. है तथा 02 नीलाम खदान स्वीकृत है जिसका कुल रकवा 3.916 हे. जिसका अनुबंध होना शेष है।

अतः DEAC के सदस्यों एवं अध्यक्ष द्वारा प्रकरण के RQP द्वारा पर्यावरणीय अनुमति के परिपेक्ष्य में प्रेजेटेशन का श्रवण करने के पश्चात् सर्वसम्मिति से लिये गये निर्णय के आधार मेसर्स सलूजा स्टोनक्रेशर प्रो. श्री अविनाथ सलूजा पिता श्री ओम प्रकाश सलूजा निवासी वार्ड न. 23 कट्टी मोहल्ला शहडोल जिला शहडोल (म0प्र0) को ग्राम ओदरी तहसील पाली जिला उमरिया (म0प्र0) की शासकीय भूमि आराजी खसरा क्रमांक 469, 470, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 कुल रकवा 4.880 हेक्टेयर मे से उपलब्ध रकवा 4.131 हेक्टेयर क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर (क्रेशर से गिट्टी निर्माण हेतु) उत्खनिपट्टा 10 वर्ष हेतु DEAC द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड एवं विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट A) को संलग्न कर जिला स्तरीय DEIAA को पर्यावरणीय अनुमति के स्वीकृत हेतु प्रकरण का प्रस्ताव भेजा गया है। तदानुसार DEIAA की बैठक में अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा प्रकरण का अवलोकन पश्चात् निम्न शर्तो के अधीन ग्राम ओदरी तहसील पाली जिला उमरिया (म0प्र0) की शासकीय भूमि आराजी खसरा क्रमांक 469, 470, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 कुल रकवा 4.880 हेक्टेयर मे से उपलब्ध रकवा 4.131 हेक्टेयर क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर (क्रेशर से गिट्टी निर्माण हेतु) उत्खनिपट्टा 10 वर्ष हेतु उत्पादन मात्रा 15390 घ.मी. (माइनिंग प्लान अनुसार) निम्न शर्तो के अधीन पर्यावरणीय अनुमति जारी की जाती है।

सदस्य सचिव
DEIAA जिला उमरिया (म0प्र0)

7. इंजीयिरिंग संरचना, स्टाप डैम, चेक डेम, बेराज पनबिजली बांध इत्यादि ।

अपक्षय एवं कटाव:- अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया हैं, इसमें शैलो का विघटन और अपघटन मूल स्थान पर ही होता है। विघटन तापमान में परिवर्तन और पाले के प्रभाव से होता हैं। इस प्रक्रिया में शेल टुकड़ों में बिखर जाते हैं अपघटन की प्रक्रिया में शेलों के अन्दर रासायनिक परिवर्तन होते है। शेलों में विभिन्न प्रकार के खनिज कण एक दूसरे से दृढ़ता के साथ जुडें रहते हैं, लेकिन पानी के साथ मिलकर कुछ खनिज कण अलग हो जाते है कुछ खनिजों का स्वरूप बदल जाता है। प्रकृति में विघटन और अपघटन की प्रक्रियाएं साथ-साथ चलती रहती है। अपक्षय की क्रिया में जीव जंतुओं का बिल बनाना भी शामिल है। अपक्षय क्रिया में पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़े रहते है। अपक्षय में परिवहन नहीं होता है। अपक्षय के द्वारा चट्टानों के टुकड़े अलग होकर जल बहाव के द्वारा नदी तल में पहुंच जाते है। इसे अपक्षय कहते है। अपक्षय तीन प्रकार के होते है– भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय तथा जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय तथा जैविक अपक्षय एक साथ चलते है, तथा प्राकृतिक जल की रासायनिक क्रिया के द्वारा चट्टान की संरचना प्रभावित होती है। कटाव प्रक्रिया मुख्य रूप से पानी और हवा के एजेंट के माध्यम से, जल ग्रहण से अपक्षय के उत्पादों को नदी तल में पहुंचा देते हैं। अपक्षय और कटाव अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है, खड़ी ढ़लान के क्षेत्र में चट्टानें आसानी से यांत्रिक अपक्षय के द्वारा जल बहाव से विघटित होकर नदी तल की ओर पहुंचते हैं । कटाव के लिए जल बहाव आवश्यक है, पानी से कटाव तब होता है जब पानी किसी सतह पर बह रहा है तथा अधिक तलछट ले जाने में सक्षम है।

अवसाद और परिवहन:- अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणामस्वरुप उनके अवसादों से निर्मित शेल को अवसादी शेल (sedimentary rock) कहा जाता हैं। वायु, जल और हिम के चिरंतन आघातों से पूर्वस्थित शेलों का निरंतर अपक्षय एवं विदारण होता रहता है। इस प्रकार के अपक्षरण से उपलब्ध पदार्थ कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी इत्यादि, जलधाराओं, वायु या हिमनदों द्वारा परिवहित होकर प्राय: निचले प्रदेशों सागर, झील अथवा नदी की घाटियों में एकत्र हो जाते हैं। कालांतर में संघनित होकर वे स्तरीभूत हो जाते हैं। इन स्तरीभूत शेलों को अवसाद शेल (Sedimentary rock) कहते है। अवसाद शेलों का निर्माण तीन प्रकार से होता है। पहले प्रकार के शेलों का निर्माण विभिन्न खनिजों और शिलाखंडों के भौतिक कारणों से टूटकर इकट्ठा होने से होता है। विभिन्न प्राकृतिक आघातों से विदीर्ण रेत एवं मिट्टी नदियों या

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

वायु के झोकों द्वारा परिवहित होकर उपयुक्त स्थलों में एकत्र हो जाती है और पहली प्रकार की शिलाओं को जन्म देती है। ऐसी शिलाओं को व्यपघर्षण शेल कहते है। बलुआ पत्थर या शेल इसी प्रकार की शिलाएँ हैं। दूसरे प्रकार के शेल जल में घुले पदार्थों के रासायनिक निस्सादन (प्रेसीपिटेशन) निर्मित होते है। निस्सादन दो प्रकार का होता है, या तो जल में घुले पदार्थों की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं से या जल के वाष्पीकरण से। ऐसी शिलाओं को रासायनिक शेल कहते हैं। विभिन्न कार्बोनेट, जैसे चूने का पत्थर, डोलोमाइट आदि फास्फेट एवं विविध लवण इसी वर्ग में आते हैं। तीसरे प्रकार के शैलों के विकास में जीवों का हाथ है। मृत्यु के उपरांत प्रवाल (मूँगा), शैवाल (ऐल्जी), खोलधारी जलचर, युक्ताप्य (डाईऐटोम) आदि के कठोर अवशेष एकत्रित होकर शेलो का निर्माण करते है। इसी प्रकार मृत वनस्पतियों के संचयन से कोयला बनता है। रासायनिक शिलाओं के निर्माण में जीवाणुओं का सहयोग उल्लेखनीय है।

सूक्ष्म जीवाणुओं की उत्प्रेरणाओं से जल में घुले पदार्थों का निस्सादन तीव्र हो जाता है। कोयला, ऐल्यूमिनियम का अयस्क, बाक्साइट, लोहे का अयस्क, लैटेराइट, नमक, जिप्सम, फास्फेट, मैगनेसाइट, सीमेंट का अयस्क, चूने का पत्थर, इत्यादि कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ अवसाद शेलों में उपलब्ध होते है। जैसे बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला, जिप्सम, लोयस, मोरेन इत्यादि अवसादी शेल हैं। जल की बहाव क्षमता धीमी/कम होती है, तब तलछट में अवसाद का जमाव अधिक मात्रा में होता है। तीव्र गति से जल बहाव होने से नदी तलछट में कम मात्रा में अवसाद जमा होते है। मिट्टी, गाद तथा रेत जल की तुलना में हल्के होने के कारण नदी तल के सम्पर्क के बिना पानी की सतह के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाये जाते है। इस प्रक्रिया को निलम्बन कहते है। निलंबित लोड़ पानी की धारा को गंदा कर देते है। तलछट परिवहन प्राकृतिक नदी घाटियों की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब जल बहाव धीमा होता है तब वह अधिकतम मात्रा में अवसाद का परिवहन करता है।

जलवायु की दशा एवं वर्षा:- अपक्षय, अपरदन, अवसाद एवं उसका परिवहन किसी भी क्षेत्र की जलवायु की दशा पर निर्भर करता है, सभी प्रकार के अपक्षय के लिए उस क्षेत्र की जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपक्षय मुख्यतः जलवायु पर ही निर्भर रहता है, वर्षा-बालू के पुनर्भरण को प्रभावित करने वाला सामान्य किन्तु अत्यंत शक्तिमान कारक है, उमरिया जिले की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1248 मि.मी. है। जिले का वर्षाकाल मुख्यतः जुलाई से सितम्बर माह के बीच रहता है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सामान्यतः जुलाई और अगस्त के महीनों में उच्चतम वर्षा होती है। वर्षाकाल के दौरान नदियां अपने उच्चतम जलस्तर तक बहती है, इस दौरान नदियों एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा ऊँचाई वाले क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों से अवसाद अपने साथ बहाकर लाती है। अवसाद की मात्रा धरातल की ढाल और वर्षा की गति पर निर्भर होती है, ढाल की प्रवणता और जल बहाव की तीव्रता दोनों ही अवसाद को बहने की शक्ति को वर्धित करती है। वर्षा का जल नदियों पर बहते हुये अपने साथ अवसाद को भी बहाकर लाता है, जब तक जल में अवसाद को बहाकर ले जाने की शक्ति रहती है तब तक वह जल के साथ बहता चला जाता है और शक्तिक्षीण होने पर वह नदी तल में बैठ जाता है। अतः जितनी अधिक वर्षा होगी बालू का पुनर्भरण उतने ही जल्दी और अधिक मात्रा में होगा।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

अध्याय – सात

जिले का साधारण प्रोफाइल

उमरिया जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक ज़िला है। ज़िले का मुख्यालय उमरिया है। उमरिया जिले की स्थापना 6 जुलाई सन् 1998 को हुई थी। यह शहडोल संभाग में आता है और इसकी अवस्थिति उत्तरी अक्षांश 23°38' से 24°20' और पूर्वी देशांतर 80°28 'से 82°12' के बीच है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 4548 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी आबादी 644,758 है।

जिले में स्थित विभिन्न तहसीलों, विकासखण्डों तथा नगर पंचायतों की जानकारी निम्नानुसार है -

तहसील:- बांधवगढ़ (उमरिया), करकेली, नौरोजाबाद, पाली, चंदिया, बिलासपुर, मानपुर ।

विकासखण्ड:- करकेली (उमरिया), मानपुर, पाली

नगर पालिका परिषद्:- उमरिया, पाली

नगर पंचायत:- चंदिया, नौरोजाबाद, मानपुर

2011 की जनगणना के अनंतिम आबादी के आंकड़ों के अनुसार:-

क्षेत्र- 4,548 वर्ग किमी
कुल आबादी - 644,758
पुरुष- 330,674
महिला- 314,084
मकान- 1,45,024
राजस्व उप सम्भाग- 03
राजस्व तहसील - 07
ग्राम पंचायत - 234
स्थानीय शहरी निकाय –05
राजस्व ग्राम – 683

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EIA-SO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

शिक्षा:-

कुल शिक्षित	247303
पुरूष	156899
महिलाएं	90404

शिक्षा का प्रतिशत:-

कुल	58.71
पुरूष	72.89
महिलाएं	44.54

कामगार:-

कुल कामगार	217537
मुख्य श्रमिक	141725
आंशिक श्रमिक	75812
गैर श्रमिक	298426

अध्याय – आठ

जिले में भूमि के उपयोग का पेटर्न (वन, कृषि, उद्यान कृषि, खनन आदि)

उमरिया जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4503 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें वनभूमि का क्षेत्रफल 823.1245 वर्ग किलोमीटर और वन क्षेत्र 18.28 प्रतिशत है। उमरिया जिले के अंतर्गत खरीफ फसलों का क्षेत्र 98800 हे. तथा रबी की फसलों का क्षेत्र 65180 हे. है। इसके अलावा कुल पड़त भूमि 33948 हे. है जिसमें से चालू पड़ती भूमि 16040 हे. और पुरानी पड़ती भूमि 17908 हे. तथा निराफसल क्षेत्र 103188 हे. है। सम्पूर्ण फसलों का क्षेत्र 139687 हे. है। जिले में कुल सिंचित क्षेत्र 34050 हे. है जिले में सिचिंत भूमि का प्रतिशत 34.05 है। जिले मे पाया जाने वाला दो फसलीय क्षेत्र 60180 हे. है तथा फसल सघनता 163 है। जिले में मृदा ढलान अधिक होने से मिट्टी कटाव अपेक्षाकृत अधिक है मिट्टी की जलधारण क्षमता कम होने से उत्पादकता का स्तर कम है भूमि की स्थिति निम्नानुसार है –

क्र.	विवरण	इकाई	सांख्यिकी
1	कुल कास्त योग्य भूमि	हे.	**103188**
2	अ– हल्की एवं रेतीली (68:)	हे.	**70498**
3	ब– मध्यम एवं दोमट (21:)	हे.	**21149**
4	स– भारी एवं काली (08:)	हे.	**9065**

<u>जिले में कुल खनन क्षेत्र 7780.113 हेक्टेयर है।</u>

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

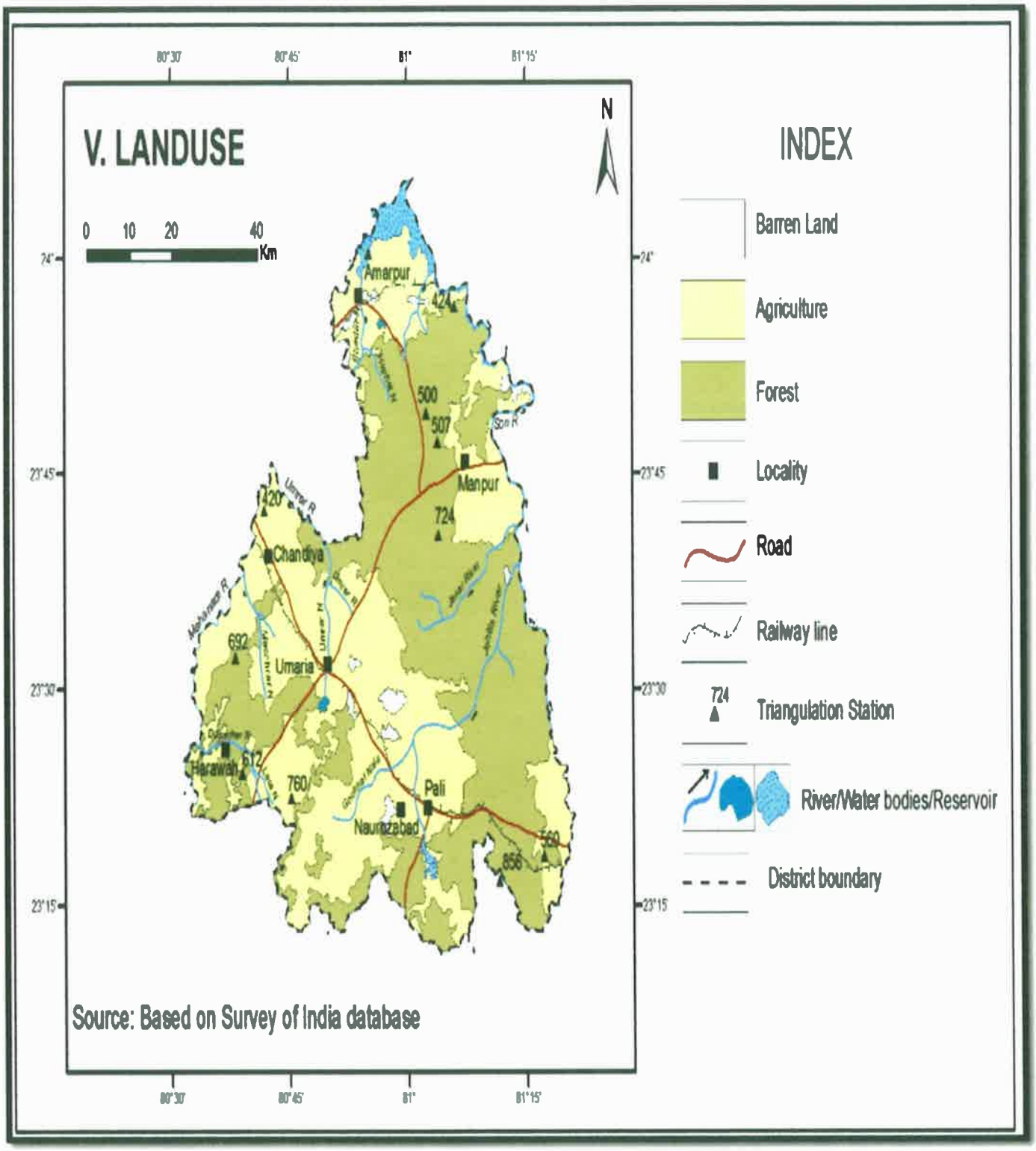

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

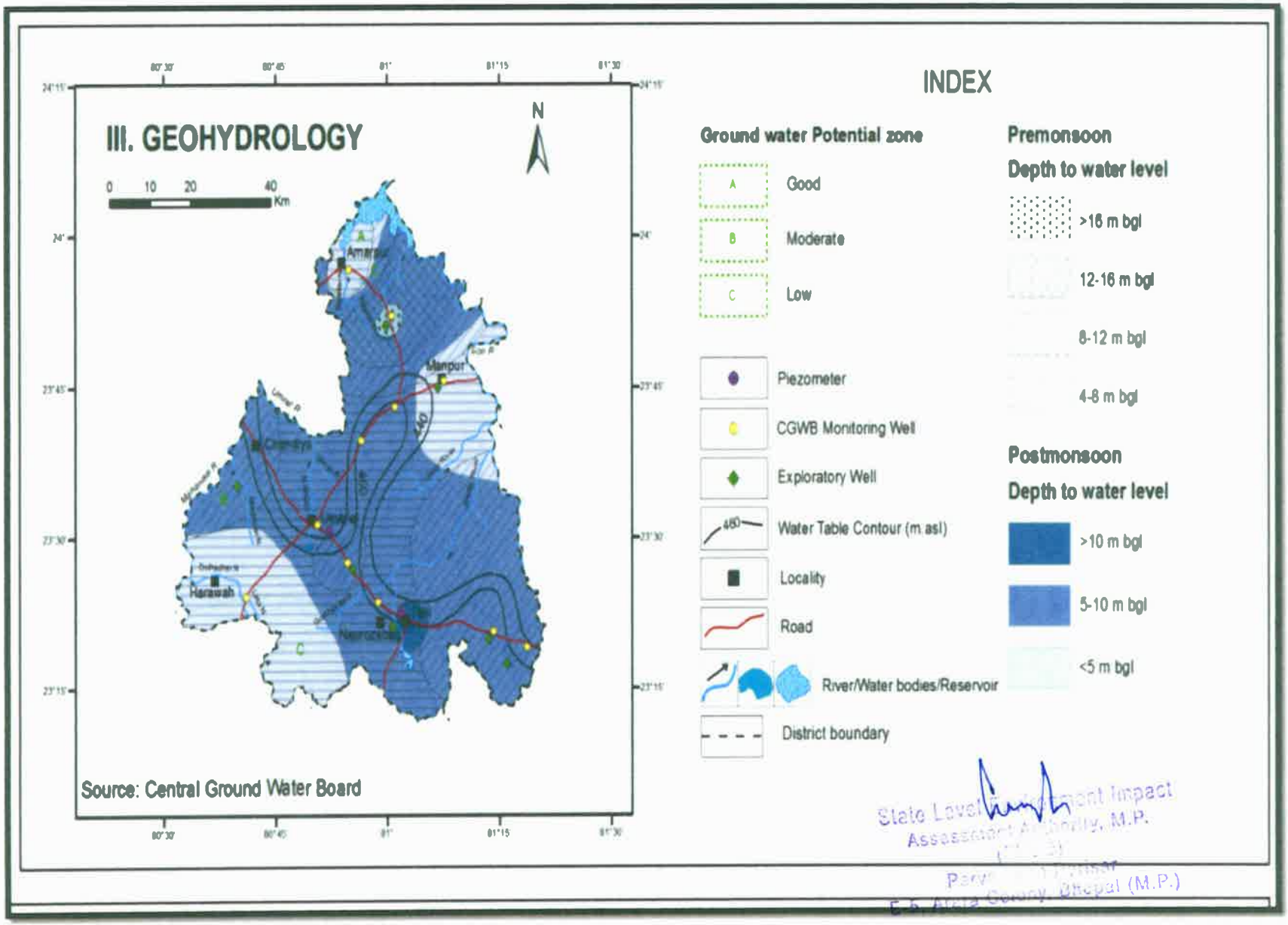

Source: Central Ground Water Board

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जलवायु क्षेत्र:- शहडोल संभाग छत्तीसगढ़ की उत्तरी पहाड़ी भाग कृषि जलवायु क्षेत्र अंतर्गत आता है। इस जोन की धान प्रमुख फसल है। इसके अतिरिक्त खरीफ में मक्का, कोदो, कुटकी, उड़द, अरहर, तिल एवं रबी में गेंहू, चना, मटर, सरसों, राई आदि प्रमुख फसलें बोई जाती है।

सिंचाई:- उमरिया जिले में सोन, जोहिला, मुडना, महानदी आदि प्रमुख नदियां है। इन नदियों के अतिरिक्त छोटे-छोटे नदी नाले बहुतायत संख्या में है। जिनसे जिले में उद्वहन सिंचाई के माध्यम से सिंचित क्षेत्र विस्तार की प्रबल संभावनाएं है। जिले में सिंचाई क्षेत्र का स्त्रोंतवार विवरण निम्नानुसार है

क्र.	सिंचाई स्त्रोत	सिंचाई क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	नहर	2432
2	तालाब	1000
3	नलकूप	11886
4	कुआं	7539
5	अन्य स्त्रोत	11193
	योग	**34050**

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिले में विगत तीन वर्षों की उद्यानिकी क्षेत्रफल निम्नानुसार है:-

क्र.	उद्यानिकी फसल का नाम	वर्ष 2018-2019		वर्ष 2019-2020		वर्ष 2020-2021		वर्ष 2021-2022	
		रकबा (हे.)	उत्पादन (मी.टन)	रकबा (हे.)	उत्पादन (मी.टन)	रकबा (हे.)	उत्पादन (मी.टन)	रकबा (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	फल	2342	37028	3300	52845	3596	57453	4302	66943
2	सब्जी	8584	121122	10515	148553	11430	161376	13128	186430.50
3	मसाला	2663	11310	3320	25546	3580	27460	3432	7447
4	औषधिय	33	48	40	58	53	75	185	592.80
5	फूल (पुष्प)	38	536	65	985	84	1270	101.50	1470
	योग	**13660**	**170045**	**17240**	**227987**	**18743**	**247634**	**21757**	**286698.90**

जिले में स्थित वनों की जानकारी निम्नानुसार है -

उमरिया में वनमण्डल उमरिया का गठन वर्ष 1956 को हुआ, म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ.25-42/2012/10-3 दिनांक 03.05.2013 द्वारा उमरिया वनमण्डल का पुनर्गठन किया गया है। वनमण्डल की सीमा उत्तर दिशा में बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के बफर जोन की सीमा, पूर्व दिशा में शहडोल जिले की सीमा (सोन नदी एवं मुड़ना नाला) दक्षिण दिशा में अनूपपुर एवं डिण्डौरी जिले की सीमा पश्चिम दिशा में महानदी कटनी जिले की सीमा बनाती है। उमरिया वनमण्डल अक्षांश 23°11'47.96" से 24°01'55.68" देशांतर 80°32'49.27" से 81°20'11.19" के मध्य में स्थित है। उमरिया जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4503 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें वनभूमि का क्षेत्रफल 823.1245 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र 18.28 प्रतिशत है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2935] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2016/अग्रहायण 23, 1938
No. 2935] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4027(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1244 (अ) तारीख 29 मार्च, 2016, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश में अवस्थित है और दोनों संरक्षित क्षेत्र बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षिती (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्याघ्र आरक्षिती कहा गया है) का कोर क्षेत्र गठित करते हैं जिसका विस्तार 716.903 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है ;

और, बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षिती 1536.938 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जो 716.903 वर्ग किलोमीटर व्याघ्र आरक्षिती का कोर क्षेत्र है और 820.035 वर्ग किलोमीटर मध्यवर्ती क्षेत्र है ;

और, व्याघ्र आरक्षिती में 373 फूलदार पादप की प्रजातियां, स्तनधारियों की 35 प्रजातियां, पक्षी की 238 प्रजातियां और तितलियों की 111 प्रजातियां अभिलिखित है ;

और, व्याघ्र आरक्षिती और आसपास के क्षेत्र वन्यजीव के अंतर्गत दुर्लभ लुप्तप्राय और संकट में प्रजातियों जैसे सांभर (*करवस यूनिकलर निगरा*), रीछ (*मेटरसस यूरसिनस*), तेंदुआ (*पेंथरा पारडस*), चौसिंगा मृग (*टेटराकेरस क्वाड्रिकॉरनिस*), चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैयना हैयना*), भारतीय जंगली कुत्ता (*कॉन अलपाइनस*), भारतीय साल (*मेनिस क्रासिकौडाटा*), बाघ (*पैंथरा टिगरिस*), जंगली भैंसा (*बॉस गौरस*) का वास है ;

और, व्याघ्र आरक्षिती और आसपास के क्षेत्र में दुर्लभ लुप्तप्राय और संकट में वनस्पति की प्रजातियों में बीजा/बीजसल (*पेटरोकॉरपस मर्सपियम*), भीरा/भीरहा (*क्लोरोजाइलोन स्वीटोनियो*) सम्मिलित है ;

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCD) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

और, व्याघ्र आरक्षिती और आसपास के क्षेत्र में दुर्लभ लुप्तप्राय और संकट में पक्षियों की प्रजातियों में एशियन वुलिनेक *(सिकोनिया)*, लेसर एडजटैंक स्ट्रोक (*लेपटोप्टिलोस जावानिकस*), कॉमन पोचार्ड (*यैथया फरिना*), सरस क्राने (*ग्रस एन्टीगोने*), ब्लैक-हेडेड इबिस (*थ्रेसकिओरनिस मेलानोसेफालुस*), ग्रे-हेडेड इबिस (*थ्रेसकिओरनिस मेलानोसेफालुस*), ग्रेट स्टोन पलोवर (*बीच थिक-क्री*) (*साकस मैगनिरोस्टरिस*), रिवर टर्न (*स्टेरना औरनाटिया*), एलेक्लड्रीन पैराकिट (*प्सीट्राकुला यूपाट्रिया*), पाइड कुको (क्लामेटोर जैकोबिनस), मालाबार पाइड धनेश (*एन्थाराकोकेरोस कोरोनाटस*), रेड-हेडेड (किंग) गिद्ध (*सारकोजिपस कालवस*), इंडियन (*लॉग-बिलड*) गिद्ध (*जिप्स इन्डिकस*), व्हाइट-रम्पड गिद्ध (*जिप्स बेंगालेनसिस*) सम्मिलित है ;

और, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्यजीव अभयारण्य, जो बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षिती का कोर क्षेत्र गठित करते हैं, की सीमा से 2 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :–

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं–(1) बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पानपाथा वन्यजीव अभयारण्य जो बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षिती का कोर क्षेत्र गठित करता है, की सीमा से 2 किलोमीटर तक विस्तारित पारिस्थितिक संवेदी जोन 1030.382 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन और कोर क्षेत्र के निर्देशांक उपाबंध I के रुप में उपाबद्ध है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन 1030.382 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के तीन जिलों अर्थात् उमरिया, कटनी और शहडोल के 132 ग्राम शामिल हैं।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर का साथ उपाबंध II के रुप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के साथ उपाबंध III के रुप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:–

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पारिस्थितक पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(9) व्याघ्र आरक्षिती का मध्यवर्ती भाग के रुप में पारिस्थितिक संवेदी जोन के भाग है, मध्यवर्ती क्षेत्र से संबंधित व्याघ्र संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना को तैयार करने के दौरान विचार में ली जाएगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 9, 16, 22, 33 और 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, और उन्हें सुदृढ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं हैं ।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत – आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

Regional Environment Impact Assessment Authority, M.P. (REIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु यह कि जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से वहाँ विद्यामान स्थापनाओं का विस्तार आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक एक किलोमीटर से परे है वहाँ नए होटल और रिसोर्ट का संनिर्माण आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां –

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नए बृहत जल विद्युत और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रार्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार जारी रह सकेंगे : परंतु यह और कि विद्यमान आरा मीलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समापन अवधि के पश्चात नहीं किया जाएगा ।

		विनियमित क्रियाकलाप
9.	होटल और विश्राम स्थलों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
10.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
11.	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ख) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्ययोजना निर्देशों का पालन किया जाएगा ।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
14.	विद्युत केबलों, और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) ग्रामों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केबल जहाँ बिजली नहीं है वहाँ नया बिजली और केबल उत्थापन के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । (ii) विद्यमान विद्युत लाइनों का संवर्धन और नवीनीकरण को अनुज्ञात किया जाएगा । (iii) भूमिगत केबल लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	(i) लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (ii) वन्यजीव की स्वतंत्र आवाजाही की रीति अनुज्ञात की जाएगी। (iii) स्थापनों मे विद्यमान बाड़ लगाना जिनका उपरोक्त शर्तों के साथ अनुपालन नहीं किया गया है, उन्हें अन्तिम अधिसूचना की तारीख से छह माह के भीतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हटाया या उपांतरित किया जाएगा ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
E-5, (M.P.)

17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित औद्योगिक ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
23.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	कृषि प्रणली में प्रबल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	खाई -स्थल।	कोई नई खाई स्थापित नहीं की जाएगी। परंतु, यह कि विद्यमान खाई स्थल का प्रचालन इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि खुले में अग्नि जलाने की अनुमति न हो।
27.	डेयरी क्रियाकलाप और पशु पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	बकरी पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	पारिस्थितिक-पर्यटन क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि का बढ्रावा दिया जाए।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
40.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
41.	समुदाय प्रकृति भंडार।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) प्रभागीय आयुक्त, शाहडोल -अध्यक्ष;

(ii) प्रभागीय आयुक्त, जबलपुर -सदस्य;

(iii) जिला कलेक्टर, उमरिया -सदस्य;

(iv) जिला कलेक्टर, शाहडोल -सदस्य;

(v) जिला कलेक्टर, कटनी -सदस्य;

(vi) अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, शाहडोल -सदस्य;

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

(vii) अधीक्षक अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, शाहडोल -सदस्य;

(viii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया -सदस्य;

(ix) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, शाहडोल -सदस्य;

(x) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी -सदस्य;

(xi) नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य;

(xii) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि -सदस्य;

(xiii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(xiv) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य;

(xv) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य;

(xvi) क्षेत्र निदेशक, बांधवगढ़ व्याघ्र आरक्षिती, उमरिया- सदस्य-सचिव।

6. निर्देश शर्तें –

(i) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(ii) समिति की अवधि तीन वर्ष होगी ।

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(iv) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(v) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(vi) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(vii) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध IV में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(viii) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

उपाबंध – I

पारिस्थितिक संवेदी जोन के कोर क्षेत्र के निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
क	23°29'48.9"	80°46'55.2"
ख	23°57'2.6"	80°46'55.2"
ग	23°57'2.6"	81°11'48.3"
घ	23°29'48.9"	81°11'48.3"

कोर क्षेत्र की सीमा से 2 किलोमीटर दूर पारिस्थितिक संवेदी जोन

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
क	23°27'17.5"	80°43'19.2"
ख	23°59'45.1"	80°43'19.2"
ग	23°59'45.1"	81°15'43.3"
घ	23°27'17.5"	81°15'43.3"

उपाबंध – II

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

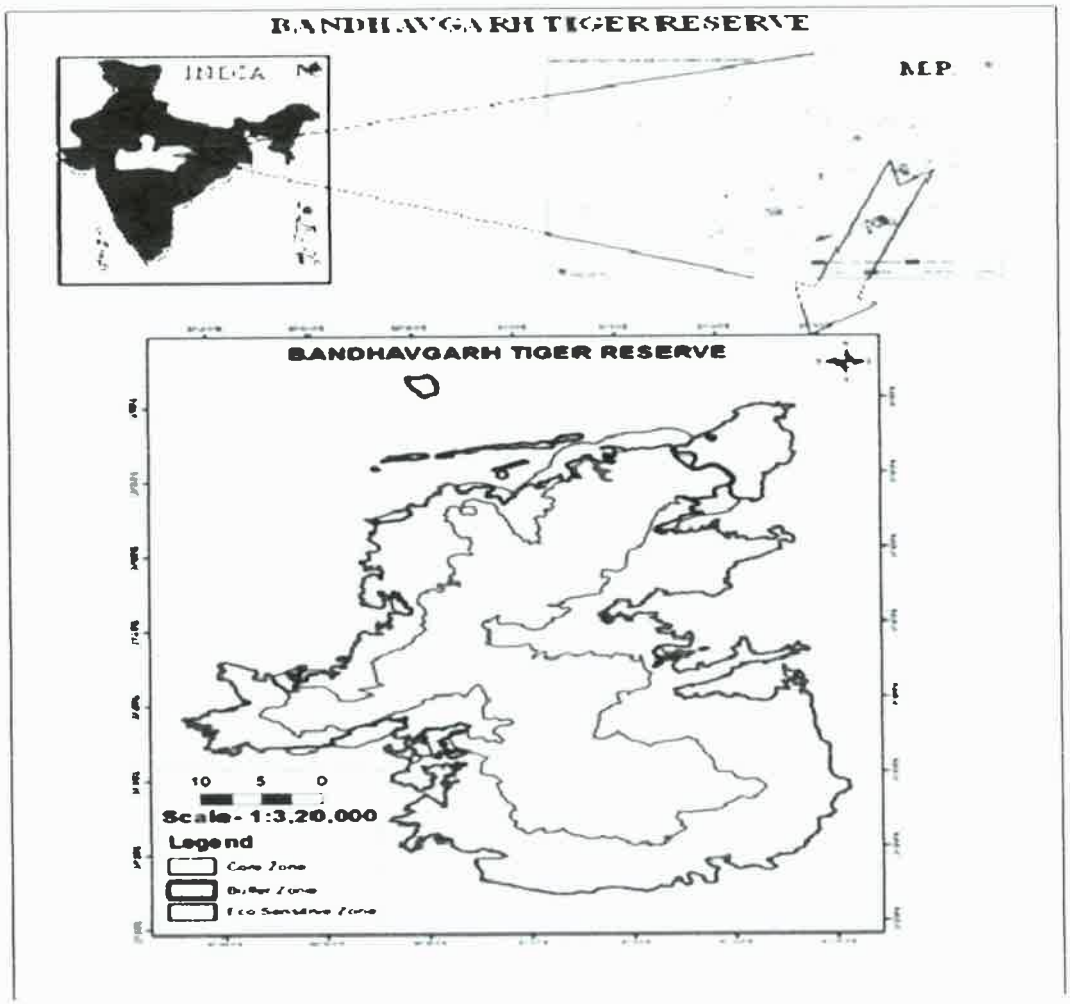

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची निर्देशांकों के साथ

सं.	ग्राम के नाम	जिला	अक्षांश	देशांतर
1.	अटरिया	उमरिया	23.694324	80.792351
2.	बदखेरा/पंजरहा	उमरिया	23.655582	81.113183
3.	बदरेहाल	उमरिया	23.583273	80.964365
4.	बदवाही	उमरिया	23.773750	80.956400
5.	बदवाही	उमरिया	23.536404	81.139076
6.	बदवाही/मेदहा	उमरिया	23.536404	81.139076
7.	बदवार	उमरिया	23.543846	80.931738
8.	बगदारा	कटनी	23.685528	80.861861
9.	बगदारी (एफ वी)	उमरिया	23.698521	80.883706
10.	बगदारी/मौटोला/करकचहा	उमरिया	23.554444	81.174703
11.	बगदो	उमरिया	23.877139	81.129833
12.	बकेली	उमरिया	23.800389	80.923861
13.	बरदौहा	उमरिया	23.591967	80.886167
14.	बरताराई	उमरिया	23.647504	80.882888
15.	बसकुटा	उमरिया	23.469967	81.007113
16.	भरहुत/पिपरा टोला	उमरिया	23.469967	81.007113
17.	बिजौरी/हर्री/ कछारा टोला	उमरिया	23.691698	81.179885
18.	बिझरिया	उमरिया	23.726105	81.052019
19.	भमरहा	उमरिया	23.936220	81.138110
20.	चन्दवार	उमरिया	23.726105	81.052019
21.	चनसुरा	उमरिया	23.726105	81.052019
22.	चेचहरिया	उमरिया	23.514569	81.156519
23.	चेनचपुर	उमरिया	23.576740	81.182676
24.	छपर	उमरिया	23.613900	80.925653
25.	छपदौर	उमरिया	23.726105	81.052019
26.	छतनटोला	उमरिया	23.515644	80.982377
27.	छयान	उमरिया	23.613900	80.925653
28.	छोट मराइ (मराइ खुर्द)	उमरिया	23.954250	81.095972
29.	छोटी खारी	शाहडोल	23.613900	80.925653
30.	चिलहारी	उमरिया	23.514569	81.156519
31.	चिर्रवाह	उमरिया	23.608776	80.825455

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

41

32.	चितरौन	उमरिया	23.726105	81.052019
33.	चोरहा	उमरिया	23.608776	80.825455
34.	ददरौदी	उमरिया	23.660146	80.765898
35.	दमना	उमरिया	23.678531	81.105884
36.	देओरी	उमरिया	23.643819	81.099246
37.	देओरी (हनचारा)	उमरिया	23.643819	81.099246
38.	धाकोदर	उमरिया	23.632197	80.929358
39.	धामोखर	उमरिया	23.638306	80.788333
40.	धौरखोह/बंधादेव	उमरिया	23.643819	81.099246
41.	दोबहा	उमरिया	23.746056	80.978750
42.	दुलहरा	उमरिया	23.726596	81.117208
43.	गजरहा	उमरिया	23.734750	80.923667
44.	गरहरोला	उमरिया	23.719556	80.966611
45.	गटा	उमरिया	23.673240	81.103358
46.	घघौद	उमरिया	23.689784	81.104002
47.	घघदर	उमरिया	23.590570	80.935030
48.	घुनसु	उमरिया	23.488663	80.958334
49.	गिदारी	उमरिया	23.504431	81.114445
50.	गोबरातल	उमरिया	23.645375	81.176729
51.	गोहादी	उमरिया	23.645539	80.979579
52.	गोरैया	उमरिया	23.494375	81.044559
53.	गुरुवाही	उमरिया	23.753088	81.029845
54.	हरदी	उमरिया	23.948472	81.108944
55.	हरदुआ	उमरिया	23.763612	80.884654
56.	हिरौली	उमरिया	23.653672	81.189730
57.	जमुनारा	उमरिया	23.736502	81.066445
58.	झल	उमरिया	23.938694	81.068750
59.	झलवार	उमरिया	23.938694	81.068750
60.	करचुलिहा	कटनी	23.706471	80.794724
61.	करोनदी	उमरिया	23.530793	81.151202
62.	कटाहर	उमरिया	23.822500	80.980867
63.	कथाई	उमरिया	23.716525	81.160561
64.	कथली	उमरिया	23.721646	81.081520
65.	केलहरी	उमरिया	23.721646	81.081520

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
Parya... E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

42

66.	खैरा	उमरिया	23.732697	81.073693
67.	खमहा	उमरिया	23.712860	81.091671
68.	खरीबदी	शाहडोल	23.613900	80.925653
69.	खेरवाकला	उमरिया	23.612260	80.854592
70.	खिछकिदी/सोनटोला	उमरिया	23.627583	81.139611
71.	खिटौली	कटनी	23.708333	80.832222
72.	खुसरिया	शाहडोल	23.708333	80.832222
73.	खुसरवाह	उमरिया	23.708333	80.832222
74.	कोदार	उमरिया	23.624233	80.885062
75.	कुचवाही	उमरिया	23.739228	81.044550
76.	कुदारी	उमरिया	23.739228	81.044550
77.	कुदरी टोला	उमरिया	23.919900	81.044600
78.	कुदरी/खोहरी	उमरिया	23.919900	81.044600
79.	कुदिया (विरन)	उमरिया	23.879280	80.958530
80.	कुमहर्रा	उमरिया	23.571483	81.085833
81.	कुथुलिया	उमरिया	23.857067	81.040483
82.	लखनौटी	उमरिया	23.818056	81.101583
83.	लखुमार	उमरिया	23.712860	81.091671
84.	महामन	उमरिया	23.667196	80.964805
85.	मझौली	उमरिया	23.855917	81.007278
86.	मझौली	उमरिया	23.673383	80.937900
87.	मझौली (सन)	उमरिया	23.712860	81.091671
88.	मझौली/मैरी	उमरिया	23.712860	81.091671
89.	मझगावा	उमरिया	23.612260	80.854592
90.	मझखेटा	उमरिया	23.638538	81.071200
91.	मकरा	उमरिया	23.638538	81.071200
92.	माला	उमरिया	23.732697	81.073693
93.	मलहारा	उमरिया	23.627583	81.139611
94.	मनटोला	उमरिया	23.772550	81.127445
95.	मराई कलान	उमरिया	23.626483	81.172620
96.	मरदारी	उमरिया	23.692917	80.882528
97.	मरहीन	उमरिया	23.692917	80.882528
98.	मेदकी	कटनी	23.703864	80.831574
99.	मेदरा	कटनी	23.703864	80.831574

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

100.	नरवार/दोन्गरीटोला	उमरिया	23.471941	81.049628
101.	नौगमा	उमरिया	23.471941	81.049628
102.	निओसी	उमरिया	23.471941	81.049628
103.	निपनीया	कटनी	23.626483	81.172620
104.	पदवार	उमरिया	23.626483	81.172620
105.	पलझा	उमरिया	23.647982	81.141195
106.	पनपाथा	उमरिया	23.692917	80.882528
107.	परासी (गदवाह)	उमरिया	23.692917	80.882528
108.	पटौर	उमरिया	23.774767	81.035900
109.	पटेहरा	उमरिया	23.626483	81.172620
110.	पथारी	उमरिया	23.626483	81.172620
111.	पटपराहा	उमरिया	23.525488	80.969239
112.	पुटोर	उमरिया	23.525488	80.969239
113.	राघोपुर	उमरिया	23.525488	80.969239
114.	रायपुर/सायापुर	उमरिया	23.663806	80.763583
115.	राखी (अमोदार)	उमरिया	23.724074	81.062096
116.	रनछा	उमरिया	23.731972	80.982083
117.	रोहनिया	उमरिया	23.464117	81.080129
118.	सकरिया	उमरिया	23.502249	81.120019
119.	सलाइया	उमरिया	23.630639	80.794111
120.	सलखानिया	उमरिया	23.758361	80.898611
121.	समरकोइनी	उमरिया	23.625230	81.158750
122.	सरवनिया	उमरिया	23.603690	80.868521
123.	सेहरा	उमरिया	23.881583	81.153194
124.	सेहरा टोला	उमरिया	23.471850	80.984367
125.	सेमरा	उमरिया	23.735596	80.852031
126.	सेमरी	उमरिया	23.792138	81.125142
127.	सुखदास	उमरिया	23.792138	81.125142
128.	ताला	उमरिया	23.721361	81.017130
129.	ताली	उमरिया	23.627861	80.820361
130.	तेकन	कटनी	23.881583	81.153194
131.	उमरिया	उमरिया	23.804800	80.936467
132.	उरदना	उमरिया	23.804800	80.936467

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

[फा. सं. 25/178/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 4027(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1244 (E), dated the 29th March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Bandhavgarh National Park and Panpatha Wildlife Sanctuary are located in Umaria district in the State of Madhya Pradesh and both the Protected Areas together constitute the core area of the Bandhavgarh Tiger Reserve (hereinafter referred to as Tiger Reserve) which is spread over 716.903 square kilometres;

AND WHEREAS, the Bandhavgarh Tiger Reserve is spread over an area of 1536.938 square kilometres of which 716.903 square kilometres is core area of the Tiger Reserve and 820.035 square kilometres is the buffer area;

AND WHEREAS, 373 species of flowering plants, 35 species of mammals, 238 species of birds and 111 species of butterflies have been recorded from the Tiger Reserve;

AND WHEREAS, the tiger reserve and the adjoining area is home to wildlife comprising rare endangered and threatened species of Sambar *(Cervus unicolor nigra)*, *sloth* Bear *(Meturus ursinus)*, Leoprad *(Panthera pardus)*, Four-horned antelope *(Tetracerus quadricornis)*, Striped Hyaena *(Hyaena hyaena)*, Indian Wild Dog *(Cuon alpines)*, Indian Pangolin *(Manis crassicaudata)*, Tiger *(Panthera tigris)*, Indian bison *(Bos gaurus)*;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve and the adjoining area is having rare endangered and threatened species of flora including Beeja/Beejasal *(Pterocarpus marsupium)*, Bhirra/Bhirha *(Chloroxylon swietenio)*.

AND WHEREAS, the Tiger Reserve and the adjoining area comprises rare endangered and threatened species of birds including Asian woolyneck *(ciconia)*, Lesser Adjutant Stork *(Leptoptilos javanicus)*, Common Pochard *(Aythya farina)*, Sarus Crane *(Grus Antigone)*, Black-headed Ibis *(Threskiornis melanocephalus)*, Grey-headed Ibis *(Threskiornis melanocephalus)*, Great Stone Plover(Beach Thick-Knee) *(Esacus magnirostris)*, River Tern *(Sterna aurantia)*, Alexandrine Parakeet *(Psittacula eupatria)*, Pied Cucko *(Clamator jacobinus)*, Malabar pied hornbill *(Anthracoceros coronatus)*, Red-headed (king) Vulture *(Sarcogyps calvus)*, Indian (long-billed) Vulture *(Gyps indicus)*, White-rumped Vulture *(Gyps bengalensis)*;

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
E-5, ... Bhopal (M.P.)

45

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Bandhavgarh National Park and Panpatha Wildlife Sanctuary, which together constitute the core area of the Tiger Reserve, as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to an extent of two kilometers from the boundary of Bandhavgarh National Park and Panpatha Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1030.382 square kilometre with an extent of up to two kilometers from the boundary of Bandhavgarh National Park and Panpatha Wildlife Sanctuary and the co-ordinates of core area and the boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

(2) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1030.382 square kilometres which includes 132 villages in three Districts viz. Umaria, Katni and Shahdol of the Madhya Pradesh State.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure II.**

(4) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Eco-tourism;

(v) Municipal ;

(vi) Revenue ;

(vii) Agriculture ;

(viii) State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation;

(x) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) As the buffer zone of the Tiger Reserve is part of the Eco-sensitive Zone, the Tiger Conservation plan relating to the buffer zone shall also be taken into consideration during preparation of the Zonal Master Plan.

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 9,16,22,33 and 36 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to eco-tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Madhya Pradesh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Tiger Reserve except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan:

Provided further that beyond one kilometer upto the extent of the Eco-sensitive Zone construction of new hotels and resorts may be permitted as per Zonal Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with reference to in the Eco-sensitive except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

		Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that the renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
	Regulated activities	
9.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
10.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government;

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SPCO)
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) Erection of New electric poles and cables to be permitted only for villages/areas where there is no electricity. (ii) Augmentation/renovation of Existing electric lines is permitted. (iii) Promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	(i) Regulated under applicable laws. (ii) Shall be done in a manner to allow free movement of wildlife. (iii) Existing fencing of establishments not compliant with the above condition shall be removed or modified to meet the requirement within six months from the date of final notification.
16.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
26.	Trenching Ground.	No new trenching shall be established. However, existing trenching ground will be operated subject to the condition that no open burning will be allowed.
27.	Dairy activities and Cattle rearing.	Regulated as per applicable laws.
28.	Use of polythene bags .	Regulated as per applicable laws.

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.

50

29.	Goat Farming.	Regulated as per applicable laws.
30.	Solid Waste Management.	Regulated as per applicable laws.
31.	Eco-tourism activities.	Regulated as per applicable laws.
Promoted activity		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities.	Permitted under applicable laws.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc. to be promoted.
38.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Community Nature Reserves.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) Divisional Commissioner, Shahdol — Chairman;

(ii) Divisional Commissioner, Jabalpur — Member;

(iii) District Collector, Umaria — Member;

(iv) District Collector, Shahdol — Member;

(v) District Collector, Katni — Member;

(vi) Superintending Engineer PWD, Shahdol — Member;

(vii) Superintending Engineer Public Health Department, Shahdol — Member;

(viii) CEO of District Panchayat, Umaria — Member;

(ix) CEO of District Panchayat, Shahdol — Member;

(x) CEO of District Panchayat, Katni — Member;

(xi) Representative of the Town & Country Planning Department — Member;

(xii) Representative of the Madhya Pradesh Pollution Control Board — Member;

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar Bhopal (M.P.)

(xiii) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case - Member;

(xiv) One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case - Member;

(xv) Member State Biodiversity Board - Member

(xvi) Field Director, Bandhavgarh Tiger Reserve, Umaria — Member- Secretary.

2. **Terms of Reference.-** (i) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(ii) The tenure of the Committee shall be three years.

(iii) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(iv) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(v) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned District Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(vi) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(vii) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Government as per proforma given in **Annexure IV**.

(viii) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

Annexure-I

Co-ordinates of Core area of the Eco-sensitive Zone

S. No	Latitude	Longitude
A	23°29'48.9''	80°46'55.2''
B	23°57'2.6''	80°46'55.2''
C	23°57'2.6''	81°11'48.3''
D	23°29'48.9''	81°11'48.3''

Eco Sensitive Zone having distance of 2 KM. from Core boundary

S. No	Latitude	Longitude
A	23°27'17.5''	80°43'19.2''
B	23°59'45.1''	80°43'19.2''
C	23°59'45.1''	81°15'43.3''
D	23°27'17.5''	81°15'43.3''

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Parvavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

92

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES

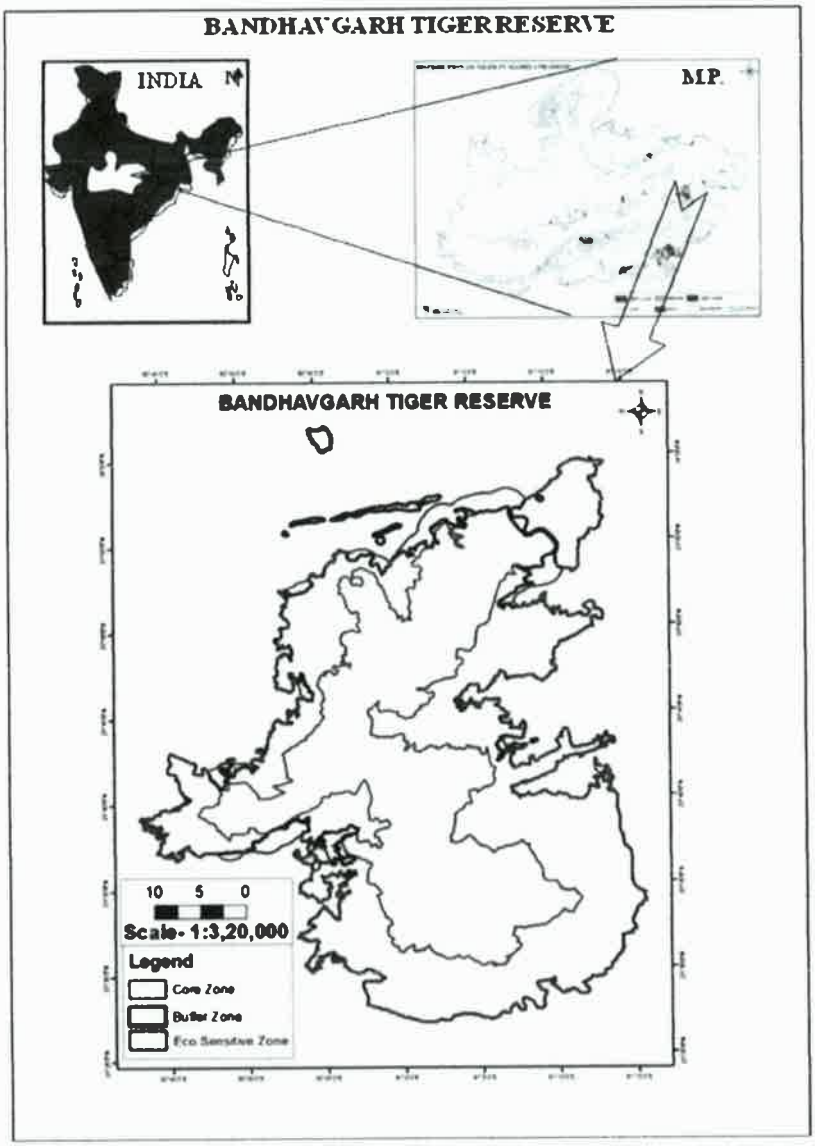

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Annexure III

List of villages with Co-ordinates falling within the Eco-sensitive zone

No.	Name of village	District	Lat	Long
1.	Atariya	Umaria	23.694324	80.792351
2.	Badkhera/Panjraha	Umaria	23.655582	81.113183
3.	Badrehal	Umaria	23.583273	80.964365
4.	Badwahi	Umaria	23.773750	80.956400
5.	Badwahi	Umaria	23.536404	81.139076
6.	Badwahi/Medaha	Umaria	23.536404	81.139076
7.	Badwar	Umaria	23.543846	80.931738
8.	Bagdara	Katni	23.685528	80.861861
9.	Bagdari (FV)	Umaria	23.698521	80.883706
10.	Bagdari/Mautola/Karkachaha	Umaria	23.554444	81.174703
11.	Bagdo	Umaria	23.877139	81.129833
12.	Bakeli	Umaria	23.800389	80.923861
13.	Bardauha	Umaria	23.591967	80.886167
14.	Bartarai	Umaria	23.647504	80.882888
15.	Baskuta	Umaria	23.469967	81.007113
16.	Bharhut/Pipra Tola	Umaria	23.469967	81.007113
17.	Bijauri/Harri/Kachhratola	Umaria	23.691698	81.179885
18.	Bijhariya	Umaria	23.726105	81.052019
19.	Bhamraha	Umaria	23.936220	81.138110
20.	Chandwar	Umaria	23.726105	81.052019
21.	Chansura	Umaria	23.726105	81.052019
22.	Chechariya	Umaria	23.514569	81.156519
23.	Chenchpur	Umaria	23.576740	81.182676
24.	Chhapar	Umaria	23.613900	80.925653
25.	Chhapdaur	Umaria	23.726105	81.052019
26.	Chhatantola	Umaria	23.515644	80.982377
27.	Chhayan	Umaria	23.613900	80.925653
28.	Chhot Marai (Marai Khurd)	Umaria	23.954250	81.095972
29.	Chhoti Khari	Shahdol	23.613900	80.925653
30.	Chilhari	Umaria	23.514569	81.156519
31.	Chirrwah	Umaria	23.608776	80.825455
32.	Chitraon	Umaria	23.726105	81.052019
33.	Chorha	Umaria	23.608776	80.825455
34.	Dadraudi	Umaria	23.660146	80.765898
35.	Damna	Umaria	23.678531	81.105884
36.	Deori	Umaria	23.643819	81.099246
37.	Deori (Hunchara)	Umaria	23.643819	81.099246
38.	Dhakodar	Umaria	23.632197	80.929358
39.	Dhamokhar	Umaria	23.638306	80.788333
40.	Dhaurkhoh/Bandhadev	Umaria	23.643819	81.099246
41.	Dobha	Umaria	23.746056	80.978750

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (E...) Paryavaran Parisar ... Colony, Bhopal (M.P.)

54

42.	Dulahara	Umaria	23.726596	81.117208
43.	Gajaraha	Umaria	23.734750	80.923667
44.	Garhrola	Umaria	23.719556	80.966611
45.	Gata	Umaria	23.673240	81.103358
46.	Ghaghaud	Umaria	23.689784	81.104002
47.	Ghaghdar	Umaria	23.590570	80.935030
48.	Ghunsu	Umaria	23.488663	80.958334
49.	Gidari	Umaria	23.504431	81.114445
50.	Gobratal	Umaria	23.645375	81.176729
51.	Gohadi	Umaria	23.645539	80.979579
52.	Goraiya	Umaria	23.494375	81.044559
53.	Guruwahi	Umaria	23.753088	81.029845
54.	Hardi	Umaria	23.948472	81.108944
55.	Hardua	Umaria	23.763612	80.884654
56.	Hirauli	Umaria	23.653672	81.189730
57.	Jamunara	Umaria	23.736502	81.066445
58.	Jhal	Umaria	23.938694	81.068750
59.	Jhalwar	Umaria	23.938694	81.068750
60.	Karchuliha	Katni	23.706471	80.794724
61.	Karondi	Umaria	23.530793	81.151202
62.	Katahar	Umaria	23.822500	80.980867
63.	Kathai	Umaria	23.716525	81.160561
64.	Kathli	Umaria	23.721646	81.081520
65.	Kelhari	Umaria	23.721646	81.081520
66.	Khaira	Umaria	23.732697	81.073693
67.	Khamha	Umaria	23.712860	81.091671
68.	Kharibadi	Shahdol	23.613900	80.925653
69.	Kherwakala	Umaria	23.612260	80.854592
70.	Khichhkidi/Sontola	Umaria	23.627583	81.139611
71.	Khitauli	Katni	23.708333	80.832222
72.	Khusariya	Shahdol	23.708333	80.832222
73.	Khusarwah	Umaria	23.708333	80.832222
74.	Kodar	Umaria	23.624233	80.885062
75.	Kuchwahi	Umaria	23.739228	81.044550
76.	Kudari	Umaria	23.739228	81.044550
77.	Kudri tola	Umaria	23.919900	81.044600
78.	Kudri/Khohari	Umaria	23.919900	81.044600
79.	Kudia (Viran)	Umaria	23.879280	80.958530
80.	Kumharra	Umaria	23.571483	81.085833
81.	Kuthuliya	Umaria	23.857067	81.040483
82.	Lakhnauti	Umaria	23.818056	81.101583
83.	Lakhumar	Umaria	23.712860	81.091671
84.	Mahaman	Umaria	23.667196	80.964805
85.	Majhauli	Umaria	23.855917	81.007278
86.	Majhauli	Umaria	23.673383	80.937900

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
Bhopal (M.P.)

87.	Majhauli (Son)	Umaria	23.712860	81.091671
88.	Majhauli/Mairi	Umaria	23.712860	81.091671
89.	Majhgawa	Umaria	23.612260	80.854592
90.	Majhkheta	Umaria	23.638538	81.071200
91.	Makra	Umaria	23.638538	81.071200
92.	Mala	Umaria	23.732697	81.073693
93.	Malahara	Umaria	23.627583	81.139611
94.	Mantola	Umaria	23.772550	81.127445
95.	Marai Kalan	Umaria	23.626483	81.172620
96.	Mardari	Umaria	23.692917	80.882528
97.	Marhaun	Umaria	23.692917	80.882528
98.	Medki	Katni	23.703864	80.831574
99.	Medra	Katni	23.703864	80.831574
100.	Narwar/Dongritola	Umaria	23.471941	81.049628
101.	Naugama	Umaria	23.471941	81.049628
102.	Neosi	Umaria	23.471941	81.049628
103.	Nipaniya	Katni	23.626483	81.172620
104.	Padwar	Umaria	23.626483	81.172620
105.	Paljha	Umaria	23.647982	81.141195
106.	Panpatha	Umaria	23.692917	80.882528
107.	Parasi (Gadawah)	Umaria	23.692917	80.882528
108.	Pataur	Umaria	23.774767	81.035900
109.	Patehara	Umaria	23.626483	81.172620
110.	Pathari	Umaria	23.626483	81.172620
111.	Patparaha	Umaria	23.525488	80.969239
112.	Pitor	Umaria	23.525488	80.969239
113.	Raghopur	Umaria	23.525488	80.969239
114.	Raipur/Sayapur	Umaria	23.663806	80.763583
115.	Rakhi (Amodar)	Umaria	23.724074	81.062096
116.	Ranchha	Umaria	23.731972	80.982083
117.	Rohaniya	Umaria	23.464117	81.080129
118.	Sakariya	Umaria	23.502249	81.120019
119.	Salaiya	Umaria	23.630639	80.794111
120.	Salkhaniya	Umaria	23.758361	80.898611
121.	Samarkoini	Umaria	23.625230	81.158750
122.	Sarwaniya	Umaria	23.603690	80.868521
123.	Sehra	Umaria	23.881583	81.153194
124.	Sehra tola	Umaria	23.471850	80.984367
125.	Semra	Umaria	23.735596	80.852031
126.	Semri	Umaria	23.792138	81.125142
127.	Sukhdas	Umaria	23.792138	81.125142
128.	Tala	Umaria	23.721361	81.017130
129.	Tali	Umaria	23.627861	80.820361
130.	Tekan	Katni	23.881583	81.153194
131.	Umaria	Umaria	23.804800	80.936467
132.	Urdana	Umaria	23.804800	80.936467

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

56

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points: Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006: [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

[F. No. 25/178/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCD) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.12.20 15:33:40 +05'30'

57

उमरिया जिले का वन क्षेत्र:-

क्र.	कार्यरत इकाई	रकवा (वर्ग कि. मी.)	आरक्षित (हे. में.)	संरक्षित (हे. में.)
1	राज्य वन विकास निगम उमरिया	297.346	24622.340	5112.286
2	वनमंडल उमरिया	823.1245	64249.70	18062.75
	योग	**1120.4705**	**88872.04**	**23175.036**

कार्य आयोजना विवरण:-

क्र.	कार्य आयोजना अधिकारी का नाम	कार्य आयोजना का क्षेत्रफल हे. में	कार्य आयोजना अवधि	भारत सरकार के अनुमोदन का दिनांक
1	श्री प्रदीप वासुदेवा (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक	82312.45	2017-18 से 2026-27	12-3/2004 (फोर) 1560 दिनांक 19.02.2018

वनो के प्रबंधन हेतु प्रशासनिक संरचना:-

उप वनमंडल	परिक्षेत्र/काष्ठागार	प. स. वृत्त संख्या	बीट संख्या
उमरिया	उमरिया	4	14
	नौरोजाबाद	6	21
	चंदिया	5	16
	काष्ठागार उमरिया	---	---
पाली	पाली	3	14
	घुनघुटी	8	26
योग		**26**	**91**

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

वनमंडल में उपलब्ध प्रजातिवार वन का विवरण प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार

वनमंडल	वन प्रकार (डिजिटाईजड क्षेत्रफल हेक्टेयर में)						योग (हे.में)
	सागौन	साल	मिश्रित	खैर	सलाई	रिक्त/वृक्षारोपण/ अतिक्रमण	
उमरिया	**2472.20**	**29589.08**	**35708.07**	**58.50**	**191.28**	**14875.56**	**82894.69**

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया के भौगोलिक क्षेत्रफल :-

क्रमांक	जोन	आरक्षित वन (वर्ग किमी में)	संरक्षित वन (वर्ग किमी में)	राजस्व भूमि (वर्ग किमी में)	कुल क्षेत्र (वर्ग किमी में)
1	कोर	627.359	53.587	35.957	716.903
2	बफर	270.115	378.592	171.328	820.035
	योग	**897.474**	**432.179**	**207.285**	**1536.938**

टीप:- बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया की प्रांरभिक अधिसूचना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के रूप् में 23 मार्च 1968 को 105 वर्ग कि.मी. के द्वारा अधिसूचना पार्क अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत वन परिक्षेत्र ताला के रूप में की गई। तत्पश्चात राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार स्वरूप वर्तमान में बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1536.938 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में 09 परिक्षेत्र क्रमश: ताला, खितौली, कल्लवाह, मगधी (राष्ट्रीय उद्यान कोर जोन), पनपथा, पतौर (अभ्यारण्य कोर जोन), मानपुर, पनपथा, धमोखर (बांधवगढ टाईगर रिजर्व बफर जोन) के रूप में फैला है। जिसमें वन साईड क्वालिटी-III, साल एवं मिश्रित वन घनत्व 0.3 से 0.6 का है। बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व अंतर्गत कराई जाने वाली All india Tiger Estimation-2018 के अनुसार वर्तमान में बाघों की संख्या 104 है। इसके अतिरिक्त टाईगर रिजर्व में शेड्यूल एवं अन्य वन्यप्राणियों यथा-तेन्दुआ आदि पाये जाते है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

अध्याय – नौ

जिले की भूगर्भीय स्थिति

जिले की मुख्य हिल रेंज बाधंवगढ़-सोहागपुर हिल रेंज हैं। जो कि उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका विस्तार सोन नदी के आगे भी है। सोन नदी के पश्चिमी तट पर जोहिला नदी के संगम के पास मानपुर का समतल भू-भाग है। सोन घाटी उपजाऊ है। यह विधृंय पर्वत मालाओं द्वारा उत्तरी ओर घिरी है। महानदी घाटी पश्चिम की ओर उपजाऊ समतल मैदान के मध्य में स्थित है। इस घाटी में उमरिया और चंदिया का क्षेत्र स्थित है। दक्षिण में जोहिला घाटी है।

पूरा जिला गंगा नदीतंत्र का भाग है। जिले की मुख्य नदियाँ सोन, महानदी तथा जोहिला है। सोननदी जिले के दक्षिणी-पूर्वी भाग में बहती है तथा समस्त पूर्वी भाग के नदीतट को व्यवस्थित करती है। जोहिला नदी जिले के दक्षिणी भाग में बहती है तथा कोल्हाटी गांव के पास यह सोन नदी में मिल जाती हैं। महानदी जिले के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में बहती है तथा जिले के पश्चिमी भाग में नदी तट व्यवस्थित करती हैं। महानदी मार्कण्डे घाट के पास सोन नदी में मिल जाती है। पूरे जिले का नदी तट इन्ही नदियों द्वारा व्यवस्थित होता है।

जिले मे मानसून मध्य जून से सिंतबर तक रहता है तथा शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। गर्मी मार्च-अप्रैल से जून तक रहती है। मई सबसे गर्म महीना हैं जिसमें 47^0C तक तापक्रम होता है। ठंड में 00 से 7^0C तक तापक्रम रहता है। मानसून के समय आर्दता 70 प्रतिशत तक रहती है तथा गर्मियों मे यह घटकर 25 प्रतिशत तक हो जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 52 इंच है।

उमरिया जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह उत्तर में सतना जिले, दक्षिण में डिंडोरी जिले, पूर्व में शहडोल जिले और पश्चिम में कटनी जिले से घिरा हुआ है। उमरिया जिले का क्षेत्रफल 4548 वर्ग किमी है। यह उत्तर से दक्षिण में लगभग 150 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिले में कुल 591 गाँव बसे हैं।

दक्षिण-पश्चिमी मानसून के मौसम को छोड़कर इस जिले की जलवायु में गर्मी और सामान्य सूखापन रहता है। उमरिया जिले में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1248.8 मिमी होती है। अधिकतम वर्षा दक्षिण-पश्चिम

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Parivesh Bhawan Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

मानसून अवधि के दौरान यानी जून से सितंबर के बीच होती है। भौगोलिक रूप से, पठार, पहाड़ियों और घाटियों द्वारा दर्शाए गए संरचनात्मक भू-आकृतियाँ जिले के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्से में विकसित हुई हैं। उमरिया जिला में विभिन्न प्रकार के रॉक बेसाल्टिक, सेडिमेंटरी और ग्रेनिटिक इलाके पाये जाते है। मिट्टी भी क्षेत्र की लिथोलॉजी पर निर्भर करती है। यहां से होकर बहने वाली नदियों में सोन, जोहिला और छोटी-महानदी शामिल है।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

अध्याय – दस

मासवार वर्षा की जानकारी

माह/वर्ष	माह की कुल वर्षा	कुल वर्षा	वर्षा के दिन
जून 2017	53.3	53.3	7
जूलाई 2017	215.3	268.6	18
अगस्त 2017	135	403.6	12
सितम्बर 2017	107.7	511.3	8
अक्टूबर 2017	12.5	523.8	2
नवम्बर 2017	0	523.8	0
दिसम्बर 2017	0	523.8	0
जनवरी 2018	0	523.8	0
फरवरी 2018	27.2	551	3
मार्च 2018	0	551	0
अप्रेल 2018	10.7	561.7	2
मई 2018	0	561.7	0
जून 2018	116.5	116.5	8
जूलाई 2018	327.5	444	19
अगस्त 2018	475.3	919.4	24
सितम्बर 2018	246.8	1166.5	8
अक्टूबर 2018	0	1166.5	0
नवम्बर 2018	0	1166.5	0
दिसम्बर 2018	19.3	1185.5	2
जनवरी 2019	9.7	1195.2	2
फरवरी 2019	13.8	1209	1
मार्च 2019	10.7	1219.7	0
अप्रेल 2019	19.4	1239.1	2
मई 2019	0	1239.1	0
जून 2019	41.5	41.5	6
जूलाई 2019	401.1	442.6	15
अगस्त 2019	442.8	885.4	19
सितम्बर 2019	338.5	1224.2	15
अक्टूबर 2019	31.6	1256.3	3
नवम्बर 2019	0	1256.3	0
दिसम्बर 2019	28.8	1283.5	4
जनवरी 2020	45.7	1329.2	5
फरवरी 2020	24.2	1353.4	2
मार्च 2020	80.4	1433.8	5
अप्रेल 2020	45.8	1479.6	3
मई 2020	25.9	1505.5	2
जून 2020	247.2	247.2	19
जूलाई 2020	216.2	463.4	12

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

अगस्त 2020	564.2	1027.6	25
सितम्बर 2020	60.6	1088.2	9
अक्टूबर 2020	84.2	1172.4	5
नवम्बर 2020	20.0	1192.4	3
दिसम्बर 2020	6.0	1198.4	6
जनवरी 2021	1.4	1199.8	2
फरवरी 2021	41.10	1240.9	3
मार्च 2021	26.7	1267.6	5
अप्रैल 2021	26.2	1293.8	6
मई 2021	426.9	1720.7	31
जून 2021	638	2358.7	47
जुलाई 2021	938.7	3297.4	56
अगस्त 2021	587.8	3885.2	50
सितम्बर 2021	560.9	4446.1	54
अक्टूबर 2021	82.5	4528.6	8
नवम्बर 2021	0	4528.6	0
दिसम्बर 2021	57.7	4586.3	4
जनवरी 2022	83.2	4669.5	10
फरवरी 2022	39.7	4709.2	8
मार्च 2022	0	4709.2	0

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

अध्याय – ग्यारह

जिले का भू-विज्ञान तथा खनिज संपदा

जिले का भू-विज्ञान

कालक्रम	संस्तरो का समूह	संस्तर	संस्तरो की प्रकृति
अति नुतन (होलोसीन/ क्वाटरनरी)	--	--	बालू एवं रेत का जमाव जो कि नदी एवं नालों पर
नूतन (सिनोजोइक)	--	लेटेराईट	समस्त चट्टानों के ऊपर केपिंग के रूप में
क्रिटेसियस से पेलियोजोइक	डेक्कन ट्रेप	बेसाल्ट लावा और डोलेराईट डाईक	गहरे काले समूह से मध्यम कण मैसिव और कड़ा चट्टान
क्रिटेशियस	लमेटा ग्रुप	चूना पत्थर, सैंड स्टोन	ग्रीन फेल्स्पेथिक सैंडस्टोन और चर्टी चूना पत्थर
परमियन से कार्बोनिफेरस एवं क्रिटेशियस समूह (गोंडवाना समूह)	अन्क्लासीफाईड गोंडवाना (कार्बोनिफेरस से क्रिटेशियस)	बलुआ पत्थर, मृत्तिका, शेल, कांग्लोमिरेट	सफ़ेद, पीली, दानेदार लौहयुक्त बलुआ पत्थर, हरे रैंड की अपरदित मृत्तिका, हरी रंग की शेल, जीवाश्म युक्त मृत्तिका
	बाराकर संस्तर (पर्मियन)	बलुआ पत्थर, मृत्तिका शेल, कोल सीम	सफ़ेद से धूसर, माध्यम से बड़े कण युक्त बलुआ पत्थर, धूसर रंग की बालू युक्त शेल, संघत चमकदार कोयला संस्तर (सीम)
	तालचीर संस्तर (कार्बोनिफेरस से पर्मियन)	सैंडस्टोन, शेल, कांग्लोमिरेट	हलके ग्रे रंग का सैंडस्टोन, आलिव ग्रीन स्लेटी शेल
प्रोटेरियोजोईक से मीसो एवं नियो प्रोटेरियोजोईक विन्ध्य महासमूह	सेमरी समूह (मीसोप्रोटेरियोजोईक)	आलिव शेल, ग्लूकोनाइड बेड, चूना पत्थर शेल, पोरसिलेनाईट, क्वार्टजाईट, कांग्लोमिरेट	आलिव ग्रीन महीन कड़ा और काम्पेक्ट, ग्रे और नीले रंग के मोटे संस्तरों से युक्त . पोरसिलेनाईट, पीले महीन कड़े और काम्पेक्ट क्वार्टजाईट के साथ चर्ट और कांग्लोमिरेट भी मिलता है
पेलियो प्रोटेरियोजोईक	महाकौशल समूह	मेटासेडीमेंट, फिलाईट, चूना पत्थर, क्वार्टजाईट, कांग्लोमिरेट बी.एच.क्यू., मार्बल, डोलोमाईट, मेटा	क्रिस्टलीय चूना पत्थर और मेटा सेडीमेंट्स जो कि हरे, गुलाबी, लाल रंग – मध्य से छोटे दानेदार कठोर मैसिव चट्टान, मार्बल और डोलोमाईट

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

		बेसिक टफ और ऐश बेड	सफ़ेद और नीले रंग के हैं, भ्रंसित हैं मेटा बेसिक और टफ कोर्स ग्रेंड और कठोर है

जिले में आर्कियन से होलोसीन काल के शैल प्रकार विद्यमान है। जिलों के दक्षिण-पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम भागों में पुरातन कायान्तरित शैल के प्रकार पाये जाते हैं। जो कि ग्रेनाईट नीस तथा ग्रेनाईट से युक्त है। पेलियो प्रोटिरोझोयिक काल के महाकौशल समूह के उत्तर एवं पश्चिम में पाये जाते है। जिले के उत्तर भाग में विंध्य समूह की चट्टानें विद्यमान है। जिले के मध्य उत्तरी भाग में गोंडवाना समूह की चट्टानें विद्यमान हैं जिले के दक्षिण में लमेटा एवं बेसाल्टिक/डोलेराइट चट्टाने उपलब्ध हैं। जिले के मध्य भाग में डाईकों का समूह एवं गोंड़वाना समूह में बड़े भ्रंश उपस्थित है। तालचीर समूह उमरिया के उत्तर-पश्चिम में पाया जाता है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिले की खनिज संपदा :- जिले में आर्थिक खनिजों में कोयला, रेत, मार्बल, मृदा, फायरक्ले, फुलर्सअर्थ, ओकर्स, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, लेटेराईट, ग्रेनाइट प्रमुख रूप से उपलब्ध हैं

कोयला

उमरिया जिले में कोल फील्ड 139 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला है। कोयला गोंडवाना समूह के बराबर संस्तर में पाया जाता है। उमरिया कोल फील्ड में 6 कोल सीम पाई जाती है। इस कोल फील्ड में पाई जाने वाली कोल सीम निम्न गुणवत्ता की है। कोल ए.से जी. ग्रेड का है। 57.52 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार इस क्षेत्र में आंकलित किया गया है। उमरिया जिले में खनिज कोयले की सबसे उच्चत्तम क्वालिटी उमरिया कोलमाईनस में पायी जाती है। कोयले की सप्लाई मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान व अन्य राज्यों में की जाती है। कोयले का उपयोग संजय गाँधी ताप विद्युत पावर प्लांट बिरसिंहपुर पाली में विद्युत उत्पादन के लिये किया जाता है।

रेत

जिला उमरिया में खनिज रेत की क्वालिटी उच्चत्तम कोटि की है। जिला उमरिया अंतर्गत सोन नदी,भदार नदी,उमरार नदी, महानदी एवं उक्त नदियों की शाखाओं से निर्मित नालों में खनिज रेत बहुतायत में पायी जाती है। जिसकी सप्लाई जिले के निकटतम जिलों में भी की जाती है।

मार्बल

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

जिले में ग्राम-कोटलदे में खनिज मार्बल पाया जाता है जो कि लो क्वालिटी का है जो फ्रैक्चरड रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला अंतर्गत ग्राम झिलमिली, मझगवां, करुआ, भलवार एवं लोढ़ा के पास मिलता है। यह कायांतरित चट्टान है, इसका भवन निर्माण में उपयोग होता है। इसके सुंदर रंग तथा पालिस के कारण यह भवन निर्माण में बहुतायत में उपयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही लो क्वालिटी के मार्बल के टुकडों को पीसकर अन्य व्यावसायिक उपयोग में भी लिया जाता है।

मृदा

मृदा खनिजों तथा कोलाइडल पदार्थो का समूह है। एक ही तरह की मृदा गुण अलग-अलग जगहों में बदलते रहते हैं भौतिक तथा रिफ्रेक्ट्री गुण के आधार पर 7 तरह की मृदा परिभाषित की गई है। (1) पोटटी (2) चाइना क्ले (3) फायर क्ले (4) लियोमर्ज (5) बालक्ले (6) फुलर्सअर्थ (7) वेन्टोनाइट।

क्ले उन मृदा पदार्थो को कहते हैं जिनमें (अ) कोलार प्रकृति (ब) प्लास्टीसिटी (स) मूलस्था से हाइड्रस एल्युमिनियम सिलीकेट है। डी.टी.ए. विधि द्वारा क्ले खनिज की पहचान की जाती है जो निम्न हैः-

(1) कैओलिनाइट (2) मोन्टमारिलोनाइट (3) एटापुअन्गाइट (4) क्लोराइड एवं अनेक समूहित संरचनाएं।

प्राप्ति

उमरिया के आस-पास मृदा के अच्छे भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा ऊमडेरी, कोइलाटी, बरौदी, दुबल फायरक्ले, फुलर्सअर्थ, ओकर्स चंदिया तहसील अंतर्गत पाई जाती है। 0.50 मी से 2 मीटर के मृदा भंडार लगभग 64 वर्ग कि.मी. की एरिया में फैले हैं। जो कि मझगवां, देवरा एवं झाला क्षेत्रों में बहुत अधिक मृदा भंडार पाये जाते हैं।

इसके अलावा अनेक जगहों में सैंडी मृदा के छोटे आकार के भंडार पाए जाते हैं। सामान्यतः नदी घाटी में भी मृदा पाई जाती है। ये बालू मिश्रित होने के कारण आर्थिक महत्व के नहीं होते हैं।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Parisar Bhopal (M.P.)

डोलोमिटिक मार्बल

लेंस आकृति के डोलोमिटिक मार्बल मझगवां तहसील चंदिया के पास पाया जाता है। यह मझगवां गाव के पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में स्थित पहाड़ियों में पाया जाता है। यह मध्यम से स्थूल कणिक, दुधिया सफेद से सफेद तथा सैकराइडल अभिविन्यास का है। पश्चिमी पहाड़ी में डोलोमाइट 500 मीटर लम्बा 25 मीटर चैड़ा तथा गहराई 15 मीटर है। यहां पर डोलोमाइट के लगभग 0.469 मिलियन टन के भंडार हैं। दक्षिण पश्चिम में 200 मीटर×300 मीटर×100 मीटर के आयाम में डोलोमाइट पाया जाता है। यहां पर लगभग 0.15 मिलियन टन के भंडार है।

उत्तर पश्चिम में 250 मी×100 मी×30 मीटर के आयाम में डोलोमाइट मिलता है। यहां पर लगभग 1875 मिलियन टन के भंडार है।

भवन निर्माण सामग्री

जिले में मुख्य रूप से भवन निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। जो निम्नानुसार है :- (1) ग्रेनाइट (2) बेसाल्ट (3) बलुआ पत्थर (4) चूना व पत्थर (5) मार्बल (6) मृदा ।

1- **ग्रेनाईट** - ग्रेनाईट कठोर अग्नेय चट्टान है। जो कि समस्त प्रकार के यांत्रिक कार्यो में उपयोगी है। इसका मुख्य रूप से उपयोग टाइल्स मे तथा बहुमंजिला मकानों की नीव निर्माण में होता है। ग्रेनाइट की पालिश कर डाइमेंशन पत्थर के रूप में उपयोगी है। यह उमरिया में ग्राम-चंदवार, मझगवां, भरौला, लोढ़ा, धनवाही में पाया जाता है। यह 6 से 8 कि.मी. की चौड़ाई में तथा 35 कि.मी. की लम्बाई में महानदी के पूर्व में पाया जाता है। ग्रेनाइट कठोर, काम्पैक्ट, सूक्ष्म कणिक तथा स्यूकोक्रैटिक है। इसके फेल्सपार, सफेद से गुलाबी रंग का है एवं स्फटिक सफेद रंग का है। इसमें हरे रंग का हार्नब्लेड पाया जाता है। इसमें काले रंग का माइका भी मिलता है।

2- **बेसाल्ट-** जिले के अधिकांश भाग में बेसाल्ट बहुतायत में पाया जाता है। कठोर होने के कारण यह बहुतायत में भवन निर्माण में उपयोगी है। बेसाल्ट से गिट्टी निर्माण किया जाता है। जिसका उपयोग रोड, ब्रिज, डैम, रेल्वे लाइन तथा भवन निर्माण में किया जाता है।

3- **बलुआ पत्थर-** यह परतदार चट्टान है। जो मुख्य रूप से स्फटिक कठोर होता है। जिसमें सीमेंटिंग पदार्थ सिलिका, चूना, फेल्सपार एवं लोहयुक्त होता है। इसका भवन निर्माण में बहुतायत में उपयोग किया जाता है। मृदायुक्त सीमेंटिंग पदार्थ से बलुआ पत्थर कमजोर होता है। जबकि सिलिका युक्त, सीमेंटिंग पदार्थ से बलुआ पत्थर मजबूत एवं कठोर होता है। गोंडवाना तथा विध्ंयन समूहों में बलुआ पत्थर बहुतायत में पाया जाता है। विध्यन बलुआ पत्थर सूक्ष्म कणिक, कठोर, काम्पैक्ट तथा मैसिभ होता है। यह बहुतायत मे पाया जाता है। तथा सफेद, क्रीम, लाल तथा भूरे रंग में पाया जाता है। गोडवाना बलुआ पत्थर उपरी गोंडवाना में मिलता है। यह निम्न कणिक है तथा विंध्यन बलुआ पत्थर से कम कठोर है भवन निर्माण में इसका भी बहुतायत से उपयोग किया जाता है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Parvavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

4- चूना पत्थर- चूना पत्थर का बहुतायत में उपयोग भवन निर्माण सामग्री/रंगाई के रूप में किया जाता है। यद्यपि सिलिकायुक्त चूनापत्थर कठोर होता है। फिर भी इसका उपयोग फेसिंग में नहीं किया जाता। चूनापत्थर जिले में यत्र-तत्र विखरे विध्यन समूह तथा लमेटा समूह तथा इंटरट्रैपियन में मिलता है।

5- मार्बल- यह कायांतरित चट्टान है, इसका भवन निर्माण मेंउपयोग होता है। इसके सुंदर रंग तथा पालिस के कारण यह भवन निर्माण में बहुतायत में उपयोग में लाया जाता है। जिले में तहसील बिलासपुर अंतर्गत ग्राम-कोटलदे, मझगवां एवं लोरहा रेलवे स्टेशन के पास मिलता है। यह लगभग 25 कि.मी. लम्बे क्षेत्र में पाया जाता है।

6- मृदा- मृदा से टाइल्स तथा ईटे बनाई जाती है। यह पानी के साथ फैलती है। कुछ मृदा में प्लास्टिीसिटी तथा मोन्डिंग के लिए बालू मिलाया जाता है। ईटा के लिए मृदा साफ, एक समान गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। जिले में मृदा सोन तथा जोहिला नदी घाटी में पाई जाती है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Table 22 Sand Mining Area details based on Pre Monsoon					
SL. No	Name of Mines	Name of Tehsil	Total Area in Sq.M.	Depth in meters	Sand Mines Quantity cubic meters
1	गोवर्दे	मानपुर	200000	2.5	500000
2	मोहबला	मानपुर	101100	2.5	252750
3	सलैया	मानपुर	49250	2.5	123125
4	सुखदास	मानपुर	40330	2.5	100825
5	बटुरावाह	मानपुर	17040	2.5	42600
6	पडवार	मानपुर	49920	2.5	124800
7	मुडगुडी	मानपुर	60000	2.5	150000
8	पिटौर	मानपुर	35000	2.5	87500
9	मझौली	मानपुर	20640	2.5	51600
10	अमिलिहा	मानपुर	40000	2.5	100000
11	मुडेहना	मानपुर	28450	2.5	71125
12	भमरहा	मानपुर	61100	2.5	152750
13	गोवर्दे	मानपुर	95000	2.5	237500
14	गोवर्दे व बडार	मानपुर	15000	2.5	37500
15	चन्सुरा	मानपुर	13000	2.5	32500
16	कोडार	मानपुर	57440	2.5	143600
17	खैरभार-1	चंदिया	20240	2.5	50600

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SLEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

18	खैरभार-2	चंदिया	69810	2.5	174525
19	टेकन	चंदिया	40000	2.5	100000
20	अतरिया	चंदिया	40000	2.5	100000
21	झाला	चंदिया	34140	2.5	85350
22	कोयलारी	चंदिया	52600	2.5	131500
23	नरवार	चंदिया	27800	2.5	69500
24	बहेरघटा	चंदिया	14240	2.5	35600
25	झिलमिली	बिलासपुर	41780	2.5	104450
26	खेरवाखुर्द	बांधवगढ	46140	2.5	115350
27	करकटी	पाली	20230	2.5	50575
Total Area			1290250	Total Volume	3225625

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Sand Mining Area details based on Post Monsoon					
SL. No	Name of Mines	Name of Tehsil	Total Area in Sq.M.	Depth in meters	Sand Mines Quantity cubic meters
1	गोवर्दे	मानपुर	200000	3.0	600000
2	मोहबला	मानपुर	101100	3.0	303300
3	सलैया	मानपुर	49250	3.0	147750
4	सुखदास	मानपुर	40330	3.0	120990
5	बटुरावाह	मानपुर	17040	3.0	51120
6	पडवार	मानपुर	49920	3.0	149760
7	मुडगुडी	मानपुर	60000	3.0	180000
8	पिटौर	मानपुर	35000	3.0	105000
9	मझौली	मानपुर	20640	3.0	61920
10	अमिलिहा	मानपुर	40000	3.0	120000
11	मुडेहना	मानपुर	28450	3.0	85350
12	भमरहा	मानपुर	61100	3.0	183300
13	गोवर्दे	मानपुर	95000	3.0	285000
14	गोवर्दे व बडार	मानपुर	15000	3.0	45000
15	चन्सुरा	मानपुर	13000	3.0	39000
16	कोडार	मानपुर	57440	3.0	172320
17	खैरभार-1	चंदिया	20240	3.0	60720

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

18	खैरभार-2	चंदिया	69810	3.0	209430
19	टेकन	चंदिया	40000	3.0	120000
20	अतरिया	चंदिया	40000	3.0	120000
21	झाला	चंदिया	34140	3.0	102420
22	कोयलारी	चंदिया	52600	3.0	157800
23	नरवार	चंदिया	27800	3.0	83400
24	बहेरघटा	चंदिया	14240	3.0	42720
25	झिलमिली	बिलासपुर	41780	3.0	125340
26	खेरवाखुर्द	बांधवगढ	46140	3.0	138420
27	करकटी	पाली	20230	3.0	60690
Total Area			1290250	Total Volume	3870750

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Annexure-I

मुख्य नदियों के विवरण सहित निकासी प्रणाली

क्र.सं.	नदी का नाम	निष्कासन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	जिले में प्रतिशत निष्कासित क्षेत्र
1	सोननदी	0.670	4.56
2	उमरार	0.486	48.82
3	भदार	0.262	26.13
4	बरुआनाला	0.256	11.20
5	हलफल	0.167	15.54
6	डेंगरहा	0.184	14.43
7	महानदी	0.015	0.506
8	जरवाही	0.036	10.45

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(E... 5)
Parya... Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Annexure-II

महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताएं

क्र.सं.	नदी या धारा का नाम	जिले में कुल लंबाई (किलोमीटर)	उदगम का स्थान	उदगम के स्थान पर ऊंचाई
1	सोननदी	113 कि.मी.	सोन मुंडा – अमरकंटक	1048 मी
2	उमरार	16.23 कि.मी.	महरोई	450 मी
3	भदार	20.11 कि.मी.	ताला (बांधवगढ़)	400 मी
4	बरुआनाला	57.11 कि.मी.	-	-
5	हलफल	10.74 कि.मी.	पडवार	400 मी
6	डेंगरहा	21.3 कि.मी.	सेमरिया-पिपरिया	430 मी
7	महानदी	75 कि.मी.	तोरदरा	761 मी
8	जरवाही	8.61 कि.मी.	बटुरावाह	420 मी

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सं. क्र	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया नदी या धारा का भाग	खनिजछूटके लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की लंबाई (कि.मी.में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की औसत चैड़ाई (मीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	कुल रेत खनिज क्षमता Area x Depth =Volume		खनन योग्य खनिज क्षमता (घनमीटर/ मीट्रिक टन मे) कुल खनिज क्षमता का 60 प्रतिशत = Volume x 60/100		Last 3 year Sand Excavation Details in cubic meter		
					घनमीटर	मीट्रिक टन = घनमीटर x1.4	घनमीटर	मीट्रिक टन= घनमीटरx1.4	2019-20	2020-21	2021-22
1	सोननदी ग्राम – गोवेर्दे खसरा नं – 591,1228	1.50	133.54	200000 x 3	600000	840000	360000	504000	No Production has been done due to absence of Environment clearance.		
2	सोननदी ग्राम –मोहबला खसरा नं – 317,384	0.650	157.480	101100 x 3	303300	424620	181980	254772	0	174128.89	222924.45
3	भदार नदी ग्राम – सलैया खसरा नं – 807	0.598	82.357859	49250 x 3	147750	206850	88650	124110	0	61317.04	84760.06
4	भदार नदी ग्राम – सुखदास खसरा नं - 1/2	1.342	30.052161	40330 x 3	120990	169386	72594	101631.6	0	22574.07	84972.72
5	ज़रवाही नाला ग्राम – बटुरवाह खसरा नं – 252	0.81	21.037	17040 x 3	51120	71568	30672	42940.8	0	1828	23826
6	हलफल नदी ग्राम – पडवार खसरा नं – 666 व 701	1.34	37.253	49920 x 3	149760	209664	89856	125798.4	0	22191.94	96526.66

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

7	भदार नदी ग्राम – मुडगुडी खसरा नं – 263 व350	2.64	22.73	60000 x 3	180000	252000	108000	151200	No Production has been done due to absence of Environment clearance.		
8	हलफलनदी ग्राम – पिटौर खसरा नं - 107	0.35	100	35000 x 3	105000	147000	63000	88200	0	22300.84	55108.37
9	सोननदी ग्राम – मझौली खसरा नं - 24/192	0.26	79.38	20640 x 3	61920	86688	37152	52012.8	0	18683.08	35476.58
10	सोननदी ग्राम – अमिलिहा खसरा नं - 1/601	0.29	137.93	40000 x 3	120000	168000	72000	100800	0	59029.53	78993.90
11	डेंगरहानाला ग्राम – मुडेहना खसरा नं – 15	0.790	36.01265	28450 x 3	85350	119490	51210	71694	0	8516	10696.10
12	सोननदी ग्राम – भमरहा खसरा नं – 1005/1008 व 442/1007/1	0.634	96.3722	61100 x 3	183300	256620	109980	153972	No Production has been done due to absence of Environment clearance.		
13	सोननदी ग्राम – गोवर्दे खसरा नं – 566/1226	0.92	103.26	95000 x 3	285000	399000	171000	239400	No Production has been done due to absence of Environment clearance.		
14	सोननदी ग्राम – गोवर्देवबडार खसरा नं – 1191 व 1	0.32	46.875	15000 x 3	45000	63000	27000	37800	0	9268.44	5047.34

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

15	भदार नदी ग्राम – चन्सुरा खसरा नं – 61	0.96	13.54	13000 x 3	39000	54600	23400	32760	No Production has been done due to absence of Environment clearance.		
16	बरूआ नाला ग्राम – कोडार खसरा नं – 29/1 व 29/2	2.18	26.3486	57440 x 3	172320	241248	103392	144744.8	No Production has been done due to absence of Environment clearance.		
17	उमरार नदी ग्राम – खैरभार-1 खसरा नं – 344	0.58	34.8965	20240 x 3	60720	85008	36432	51004.8	0	15158.75	10628.61
18	उमरार नदी ग्राम – खैरभार-2 खसरा नं – 05	1.14	61.2368	69810 x 3	209430	293202	125658	175921.2	No Production has been done due to absence of Environment clearance.		
19	उमरार नदी ग्राम – टेकन खसरा नं – 01	2.710	14.76014	40000 x 3	120000	168000	72000	100800	0	27451.52	40363.18
20	उमरार नदी ग्राम – अतरिया खसरा नं – 01	0.793	50.441361	40000 x 3	120000	168000	72000	100800	0	18610.88	56506.87
21	उमरार नदी ग्राम – झाला खसरा नं – 75	1.007	33.90026	34140 x 3	102420	143388	61452	86032.8	0	28940.85	11808.88
22	उमरार नदी ग्राम – कोयलारी खसरा नं – 01	1.10	47.8181	52600 x 3	157800	220920	94680	132552	No Production has been done due to absence of Environment clearance.		

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

23	बरूआ नाला ग्राम – नरवार खसरा नं – 352	1.283	21.58385	27800 x 3	83400	116760	50040	70056	0	6432.61	16304.40
24	महानदी ग्राम – बहेरघटा खसरा नं – 53	0.36	39.5555	14240 x 3	42720	59808	25632	35884.8	No Production has been done due to absence of Environment clearance.		
25	बरूआ नाला ग्राम – झिलमिली खसरा नं – 2,8, 32	2.242	18.635	41780 x 3	125340	175476	75204	105285.6	0	2907.75	29478.26
26	डेंगरहानाला ग्राम – खेरवाखुर्द खसरा नं – 201/248	2.440	18.9098	46140 x 3	138420	193788	83052	116272.8	0	13637.68	47593.60
27	बरूआ नाला ग्राम – करकटी खसरा नं – 36	0.803	25.1930	20230 x 3	60690	84966	36414	50979.6	0	3372	6797
	Total	30.042 (Approx)	45.31 avg. (Approx)	1290250 x 3	3870750	5419050	2322450	3251430	0	516349.87	917812.98

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Annexure-IV

खनिज क्षमता

बोल्डर (घन मीटर)	रेत		कुल खनन योग्य खनिज क्षमता	
	घनमीटर	मीट्रिक टन	घनमीटर	मीट्रिक टन
490281.512	3870750	5419050	2322450	3251430

Annexure-V

वार्षिक जमाव

बोल्डर (घन मीटर)	रेत (घन मीटर)	कुल खनन योग्य खनिज क्षमता (घन मीटर)
490281.512	3870750	2322450

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Annexure-VI

क्र सं.	नदी या धारा	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया नदी या धारा का भाग	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की लंबाई (कि.मी.में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की औसत चैड़ाई (मीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	खनन योग्य खनिज क्षमता घनमीटर में (कुल खनिज क्षमता का 60 प्रतिशत)	खनन योग्य खनिज क्षमता मीट्रिक टन में (कुल खनिज क्षमता का 60 प्रतिशत) मीट्रिक टन= घनमीटरx1.4
1	सोननदी	सोननदी	4.574	107.81	532840	959112	1342757
2	उमरार नदी	उमरार नदी	7.33	40.51	256790	462222	647110.8
3	भदार नदी	भदार नदी	5.54	37.17	162580	292644	409701.6
4	बरुआनाला	बरुआनाला	6.508	22.96	147250	265050	371070
5	हलफल	हलफल	1.69	68.63	84920	152856	213998.4
6	डेंगरहा	डेंगरहा	3.23	27.46	74590	134262	187966.8
7	महानदी	महानदी	0.36	39.55	14240	25632	35884.8
8	जरवाही	जरवाही	0.81	21.03	17040	30672	42940.8
जिले के लिए योग			**30.042**	**45.31 (औसत चौड़ाई)**	**1290250**	**2322450**	**3251430**

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Detail of Sand/M-Sand Sources

(a) Rivers :

River Name/M-Sand Plant	Total Stretch of River (in KM)	Type of River (Perennial or Non-Perennial)
सोननदी	113 कि.मी.	Perennial
उमरार नदी	16.23 कि.मी.	Perennial
भदार नदी	20.11 कि.मी.	Perennial
बरुआनाला	57.11 कि.मी.	Perennial
हलफल	10.74 कि.मी.	Perennial
डेंगरहा	21.3 कि.मी.	Perennial
महानदी	75 कि.मी.	Perennial
जरवाही	8.61 कि.मी.	Perennial

State Level Environmental Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

(b) De-Siltation Location : (Lakes/Ponds/Dams etc.)

Name of Reservoir/Dams	Maintain/Controlled by State Govt./PSU etc.	Location	District	Tehsil	Village	Size (Ha)
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(c) Patta Lands/Khatedari Land :

Owner	Sy. No.	Area (Ha)	District	Tehsil	Village	Agricultural Land (Yes/No)
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(d) M-Sand Plants :

Plant Name	Owner	District	Tehsil	Village	Geo-location	Quantity Tones/Annum
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Annexure-VIII

List of Potential Sand Mining Area (existing & proposed) Rivers

River Details	Lease Details	Area (in Ha)	Distance (in KM from PA/BR/WC	Distance from Forest area (in KM)	Mining leases within 500 meters (if yes cluster area)	Total excavation in Tones/Annum considering digging depth max as 3 meters	Mineral to be mined (Sand/Bajri /RBM etc.)	Existing/ Proposed
Bhadar River	Khasra N.-108 Gram-Padwar Tehsil-Manpur Distt. Umaria (m.p.)	3.157	-	To Core Zone 4.470 & To Bufer Zone 2.380	yes	63140	Sand	Proposed
Bhadar River	Khasra N.-109 Gram-Padwar Tehsil-Manpur Distt. Umaria (m.p.)	2.821	-	To Core Zone 3.380 & To Bufer Zone 0.500	yes	56420	Sand	Proposed
Padriya River	Khasra N.-32 & 333 Gram-Pathari Tehsil-Naurojabad Distt. Umaria (m.p.)	7.919	-	To Forest Boundary 10	-	79190	Sand	Proposed
Son River	Khasra N.-217/405 Gram-Parasi Tehsil-Manpur Distt. Umaria (m.p.)	10.000	-	To Core Zone 9.10 & To Bufer Zone 1.09	-	200000	Sand	Proposed

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

Patta Lands/Khatedari Land : (existing & Proposed)

Owner	Sy. No.	Area (Ha)	District	Tehsil	Village	Total Reserve (MT)	Total Mineral to be mined (MT)	Existing/ Proposed
Smt.Bebi Bai W/o Ramkishore Cast-Kalar Niwasi Gram Padwar Tehsil-Manpur Distt-Umaria (m.p.)	2/14	1.214	Distt-Umaria (m.p.)	Tehsil-Manpur	Gram-Padwar	36420	36420	Proposed

उक्त निजी क्षेत्र में खनिज रेत भंडारित है, जो नदी से अलग क्षेत्र है, जिसमें नदियों के बहाव के साथ प्रतिवर्ष पुनर्भरण संभव नहीं है। यह क्षेत्र केवल रेत का भंडारित क्षेत्र है।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

De-Siltation Location : Lakes/Ponds/Dams etc.) (Existing & proposed)

Name of Reservoir/ Dams	Maintain/Controlled by State Govt./PSU etc.	Location	District	Tehsil	Village	Size (Ha)	Quantity MT/ Year	Existing/ Proposed
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

M-Sand Plants : (existing & Proposed)

Plant Name	Owner	District	Tehsil	Village	Geo-location	Quantity Tones/Annum	Existing/ Proposed
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.

Annexure-IX

Cluster & Contiguous Cluster Details Clusters

River Name	Cluster No.	Lease No	Location (Riverbed/ Patta Land)	Village	Area (in Ha)	Total Excavation (Ton)	Total Mineral Excavation (Ton)
Bhadar River	1	-	Riverbed	Gram-Salaiya khasra no.807	4.925	77125	77125
Bhadar River	2	-	Riverbed	Gram-Padwar Khasra No.-666 & 701	4.992	62407	62407

उक्त स्वीकृत खदानों से **Annexure-VIII (अनुलग्नक- VIII)** में उल्लेखित प्रस्तावित खदान ग्राम पडवार से **Cluster** निर्मित हो रहा है।

Contiguous Clusters :

River Name	Contiguous Cluster No.	Cluster No.	Number of leases in the cluster	Location (Riverbed/ Patta Land)	Distance between clusters	Villages	Area of Cluster (Ha)	Total Mineral Excavation (Ton)
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCC) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Annexure-X

Transportation Routes for individual Sand Quarry and Sand Quarry in Cluster

For Leases : Lease No	Transportation Route No	Number of tippers /day of lease	Number of tippers/ day of all the lease on route	Length of Route in KM	Type of Road (Black Topped/unpaved)	Recommendation for raod (Black Topped/unpaved)	The road will be constructed by Govt./Lease Owner	Route Map & Location
Atariya	PMGSY	-	-	7	Black Topped	Black Topped	Govt.	Shahpura – Dindori
Jhala	PMGSY	-	-	10	Black Topped	Black Topped	Govt.	Chandiya – banka
Khairbhar	PMGSY	15	-	1	Black Topped	Black Topped	Govt.	Khairbhar – bhanka
Khervakhurd	PMGSY	5	-	8	Black Topped	Black Topped	Govt.	Khervakhurd – umaria
Mohbala	MDR	30	-	2	Black Topped	Black Topped	Govt.	Balloud – manpur
Salaiya	PMGSY	20	-	4	Black Topped	Black Topped	Govt.	Dighiya - barhi -satna
Tekan	PMGSY	-	-	8	Black Topped	Black Topped	Govt.	Shahpura – Dindori
Mudehna	SH	10	-	2	Black Topped	Black Topped	Govt.	Umaria – katni
Narwar	PMGSY	-	-	1	Black Topped	Black Topped	Govt.	Narwar – lorha
Majhouli	PMGSY/ MDR	10	-	2	Black Topped	Black Topped	Govt.	shahdol

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar,
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Karkati	PMGSY	5	-	6	Black Topped	Black Topped	Govt.	Behratola – puravar
Padwar	PMGSY	-	-	6	Black Topped	Black Topped	Govt.	Amarpur – barhi
Jhilmili	PMGSY	-	-	15	Black Topped	Black Topped	Govt.	Shahpura – Dindori
Pitour	PMGSY	-	-	9	Black Topped	Black Topped	Govt.	Amarpur – barhi
Amiliya	PMGSY	-	-	19	Black Topped	Black Topped	Govt.	Rewa – byohari
Sukhdas	PMGSY	25	-	7	Black Topped	Black Topped	Govt.	Dighiya - barhi -satna
Goverde	SH	-	-	1	Black Topped	Black Topped	Govt.	Rewa – satna – dindori
Goverde	SH	-	-	1	Black Topped	Black Topped	Govt.	Rewa – satna
Khairbhar 2	PMGSY	-	-	2.5	Black Topped	Black Topped	Govt.	Khairbhar – bhanka
Mudgudi	PMGSY	-	-		Black Topped	Black Topped	Govt.	Dighiya - barhi -satna
Baherghata	PMGSY	-	-	10	Black Topped	Black Topped	Govt.	Shahpura – Dindori
Koylari	PMGSY	-	-	10	Black Topped	Black Topped	Govt.	Koylari – chandia
Bhamraha	MDR	-	-	7	Black Topped	Black Topped	Govt.	Bhamraha
Goverde badar	PMGSY	-	-	2	Black Topped	Black Topped	Govt.	Manpur
Kodar	PMGSY	-	-	6	Black Topped	Black Topped	Govt.	Kodar – umaria
Chansura	PMGSY	-	-	500m	Black Topped	Black Topped	Govt.	Chansura
Baturawah	PMGSY	-	-	500m	Black Topped	Black Topped	Govt.	Baturawah

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

For Clusters

Cluster No	Transportation Route No	Number of tippers/ day of lease	Number of tippers/ day of all the clusters on route	Length of Route in KM	Type of Road (Black Topped/unpaved)	Recommendation for raod (Black Topped/unpaved)	The road will be constructed by Govt./ Lease Owner	Route Map & Location
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
Paryavas Bhawan
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Annexure-XI

Final List of Potential Sand Mining Area (existing & proposed)

Rivers

River Details	Lease Details	Area (in Ha)	Distance (in KM) form PA/BR/WC	Distance from Forest Area (in KM)	Mining leases within 500 meters (if yes cluster area)	Total excavation in (MT/Yr) (Mine depth max as 3m)	Mineral to be mined (Sand/Bajri/RBM etc.)	Existing/ Proposed
Bhadar River	Khasra N.-108 Gram-Padwar Tehsil-Manpur Distt. Umaria (m.p.)	3.157	-	To Core Zone 4.470 & To Bufer Zone 2.380	yes	63140	Sand	Proposed
Bhadar River	Khasra N.-109 Gram-Padwar Tehsil-Manpur Distt. Umaria (m.p.)	2.821	-	To Core Zone 3.380 & To Bufer Zone 0.500	yes	56420	Sand	Proposed
Padriya River	Khasra N.-32 & 333 Gram-Pathari Tehsil-Naurojabad Distt. Umaria (m.p.)	7.919	-	To Forest Boundary 10	-	79190	Sand	Proposed
Son River	Khasra N.-217/405 Gram-Parasi Tehsil-Manpur Distt. Umaria (m.p.)	10.000	-	To Core Zone 9.10 & To Bufer Zone 1.09	-	200000	Sand	Proposed

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
E-5, Arera ... (M.P.)

Patta Lands/Khatedari Land: (existing & Proposed)

Owner	Sy. No	Area	District	Tehsil	Village	Total Reserve (MT)	Total Mineral to be mined (MT)	Existing/ Proposed
Smt.Bebi Bai W/o Ramkishore Cast-Kalar Niwasi Gram Padwar Tehsil-Manpur Distt-Umaria (m.p.)	2/14	1.214	Distt-Umaria (m.p.)	Tehsil-Manpur	Gram-Padwar	36420	36420	Proposed

De-Siltation Location : Lakes/Ponds/Dams etc.) (Existing & proposed)

Name of Reservoir /Dams	Maintain/Controlled by State Govt./PSU etc.	Location	District	Tehsil	Village	Size (Ha)	Quantity MT/ Year	Existing/ Proposed
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

M-Sand Plants : (existing & Proposed)

Plant Name	Owner	District	Tehsil	Village	Geo-location	Quantity MT/Annm	Existing/ Proposed
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

State Level Environment Impact Assessment Authority M.P.

E-5, ... (M.P.)

Annexure-XII

Cluster & Contiguous Cluster Details Clusters :

River Name	Cluster No.	Lease No	Location (Riverbed/ Patta Land)	Village	Area (in Ha)	Total Excavation (Ton)	Total Mineral Excavation (Ton)
Bhadar River	1	-	Riverbed	Gram-Salaiya khasra no.807	4.925	77125	77125
Bhadar River	2	-	Riverbed	Gram-Padwar Khasra No.-666 & 701	4.992	62407	62407

Contiguous Clusters :

River Name	Contiguous Cluster No.	Cluster No.	Number of leases in the cluster	Location (Riverbed/ Patta Land)	Distance between clusters	Village	Area of Cluster (Ha)	Total Mineral Excavation (Ton)
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
E-5, Are... (M.P.)

92

Annexure-XIII

Final Transportation Routes for individual Sand Quarry and Sand Quarry Cluster

For Leases

Lease No	Transportation Route No	Number of tippers/day of lease	Number of tippers/ day of all the lease on route	Length of Route in KM	Type of Road (Black Topped/unpaved)	Recommendation for raod (Black Topped/unpaved)	The road will be constructed by Govt./Lease Owner	Route Map & Location
Atariya	PMGSY	-	-	7	Black Topped	Black Topped	Govt.	Shahpura – Dindori
Jhala	PMGSY	-	-	10	Black Topped	Black Topped	Govt.	Chandiya – banka
Khairbhar	PMGSY	15	-	1	Black Topped	Black Topped	Govt.	Khairbhar – bhanka
Khervakhurd	PMGSY	5	-	8	Black Topped	Black Topped	Govt.	Khervakhurd – umaria
Mohbala	MDR	30	-	2	Black Topped	Black Topped	Govt.	Balloud – manpur
Salaiya	PMGSY	20	-	4	Black Topped	Black Topped	Govt.	Dighiya - barhi -satna
Tekan	PMGSY	-	-	8	Black	Black Topped	Govt.	Shahpura – Dindori

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

E-5, (M.P.)

					Topped			
Mudehna	SH	10	-	2	Black Topped	Black Topped	Govt.	Umaria – katni
Narwar	PMGSY	-	-	1	Black Topped	Black Topped	Govt.	Narwar – lorha
Majhouli	PMGSY/MDR	10	-	2	Black Topped	Black Topped	Govt.	Shahdol
Karkati	PMGSY	5	-	6	Black Topped	Black Topped	Govt.	Behratola – puravar
Padwar	PMGSY	-	-	6	Black Topped	Black Topped	Govt.	Amarpur – barhi
Jhilmili	PMGSY	-	-	15	Black Topped	Black Topped	Govt.	Shahpura – Dindori
Pitour	PMGSY	-	-	9	Black Topped	Black Topped	Govt.	Amarpur – barhi
Amiliya	PMGSY	-	-	19	Black Topped	Black Topped	Govt.	Rewa – byohari
Sukhdas	PMGSY	25	-	7	Black Topped	Black Topped	Govt.	Dighiya - barhi -satna
Goverde	SH	-	-	1	Black Topped	Black Topped	Govt.	Rewa – satna – dindori
Goverde	SH	-	-	1	Black	Black Topped	Govt.	Rewa – satna

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA)
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

					Topped			
Khairbhar 2	PMGSY	-	-	2.5	Black Topped	Black Topped	Govt.	Khairbhar – bhanka
Mudgudi	PMGSY	-	-		Black Topped	Black Topped	Govt.	Dighiya - barhi -satna
Baherghata	PMGSY	-	-	10	Black Topped	Black Topped	Govt.	Shahpura – Dindori
Koylari	PMGSY	-	-	10	Black Topped	Black Topped	Govt.	Koylari – chandia
Bhamraha	MDR	-	-	7	Black Topped	Black Topped	Govt.	Bhamraha
Goverde badar	PMGSY	-	-	2	Black Topped	Black Topped	Govt.	Manpur
Kodar	PMGSY	-	-	6	Black Topped	Black Topped	Govt.	Kodar – umaria
Chansura	PMGSY	-	-	500m	Black Topped	Black Topped	Govt.	Chansura
Baturawah	PMGSY	-	-	500m	Black Topped	Black Topped	Govt.	Baturawah

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.

For Clusters :-

Cluster No	Transportation on Route No	Number of tippers/ day of cluster	Number of tippers/ day of all the clusters on route	Length of Route in KM	Type of Road (Black Topped/unpaved)	Recommendation for raod (Black Topped/unpaved)	The road will be constructed by Govt./ Lease Owner	Route Map & Location
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

96

जिले में स्थित रेत खदानों में रेत पुर्नभरण की जानकारी

Annexure-XIV

जिले में मानसून प्रारंभ की तिथि/माह	जिले का मानसून अवसान तिथि/ माह	नदी का नाम	खदान का नाम	रेत खदान की लंबाई (मीटर)	रेत खदान की चैडाई (मीटर)	खदान का क्षेत्रफल	रेत खदान की औसत गहराई (मीटर)	रेत खदान में उपलब्ध खनिज की मात्रा	खनन योग्य खनिज क्षमता ((घनमीटर में) (कुल खनिज क्षमता का 60%)	मानसून के पूर्व उपलब्ध रेत खनिज की मात्रा (घ.मी.)	मानसून के पश्चात् उपलब्ध रेत खनिज की मात्रा (घ.मी.)	प्रतिवर्ष अनुमानत उत्पादन की मात्रा (घ.मी.)
01.07.2020	30.09.2020	सोननदी	गोवर्दे	1500	133.333	200000	3	600000	360000	500000	600000	390000
01.07.2020	30.09.2020	सोननदी	मोहबला	0.65	157.48	101100	3	303300	181980	252750	303300	222925
01.07.2020	30.09.2020	भदार नदी	सलैया	598	82.357859	49250	3	147750	88650	123125	147750	77125
01.07.2020	30.09.2020	भदार नदी	सुखदास	1342	30.052161	40330	3	120990	72594	100825	120990	58438
01.07.2020	30.09.2020	ज़रवाही नाला	बदुरावाह	810	21.037	17040	3	51120	30672	42600	51120	34128
01.07.2020	30.09.2020	हलफल नदी	पडवार	1340	37.2537	49920	3	149760	89856	124800	149760	62407
01.07.2020	30.09.2020	भदार नदी	मुडगुडी	2640	22.72729	60000	3	180000	108000	150000	180000	63000
01.07.2020	30.09.2020	हलफल नदी	पिटौर	350	100	35000	3	105000	63000	87500	105000	49500
01.07.2020	30.09.2020	सोननदी	मझौली	260	79.3845	20640	3	61920	37152	51600	61920	40076
01.07.2020	30.09.2020	सोननदी	अमिलिहा	290	137.931	40000	3	120000	72000	100000	120000	79200

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

01.07.2020	30.09.2020	डेंगरहा नाला	मुडेहना	790	36.01265	28450	3	85350	51210	71125	85350	28480
01.07.2020	30.09.2020	सोननदी	भमरहा	634	96.3722	61100	3	183300	109980	152750	183300	**61100**
01.07.2020	30.09.2020	सोननदी	गोवर्दे	920	103.2609	95000	3	285000	171000	237500	285000	**95000**
01.07.2020	30.09.2020	सोननदी	गोवर्दे व बडार	320	46.875	15000	3	45000	27000	37500	45000	15000
01.07.2020	30.09.2020	भदार नदी	चन्सुरा	960	13.5417	13000	3	39000	23400	32500	39000	**13000**
01.07.2020	30.09.2020	बरूआ नाला	कोडार	2180	26.34861	57440	3	172320	103392	143600	172320	**57440**
01.07.2020	30.09.2020	उमरार नदी	खैरभार-1	580	34.8965	20240	3	60720	36432	50600	60720	**16192**
01.07.2020	30.09.2020	उमरार नदी	खैरभार-2	1140	61.2368	69810	3	209430	125658	174525	209430	**69810**
01.07.2020	30.09.2020	उमरार नदी	टेकन	2710	14.76014	40000	3	120000	72000	100000	120000	**40000**
01.07.2020	30.09.2020	उमरार नदी	अतरिया	793	50.441361	40000	3	120000	72000	100000	120000	**40000**
01.07.2020	30.09.2020	उमरार नदी	झाला	1007	33.9027	34140	3	102420	61452	85350	102420	34140
01.07.2020	30.09.2020	उमरार नदी	कोयलारी	1100	47.8182	52600	3	157800	94680	131500	157800	**78900**
01.07.2020	30.09.2020	बरूआ नाला	नरवार	1283	21.668	27800	3	83400	50040	69500	83400	**27800**

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
Parivesh Bhawan
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

01.07.2020	30.09.2020	महानदी	बहेरघटा	360	39.5555	14240	3	42720	25632	35600	42720	**14240**
01.07.2020	30.09.2020	डेंगरहा नाला	झिलमिली	2242	18.63515	41780	3	125340	75204	104450	125340	41780
01.07.2020	30.09.2020	बरुआना ला	खेरवाखुर्द	2440	18.9098	46140	3	138420	83052	115350	138420	**46140**
01.07.2020	30.09.2020	बरूआ नाला	करकटी	803	25.193	20230	3	60690	36414	50575	60690	**20230**

1. रेत खनन हेतु उपयुक्त क्षेत्रों के चिन्हाकंन के अतिरिक्त रेत के ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाये जहां पर पर्यावरण की दृष्टि से खनन संभव नहीं है या उस स्थान पर खनन से पर्यावरण को क्षति पहुंचती :-

क्र.	खदान का नाम	तहसील का नाम	खसरा	रकवा	रिमार्क
1	भरौला	बांधवगढ	724	2.420 हे.	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
2	करहिया	चंदिया	2	14.739 हे.	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
3	खिचकिडी	मानपुर	604	26.466 हे.	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
4	कुडी	मानपुर	192, 416, 118/420	6.688 हे.	उक्त रकवा डूब क्षेत्र में आता है।
5	सलैया	मानपुर	29, 117	4.049 हे.	उक्त रकवा डूब क्षेत्र में है।
6	देवगंवा	मानपुर	587	11.967 हे.	उक्त रकवा डूब क्षेत्र में है।
7	गडरियाटोला	मानपुर	2	2.023 हे.	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
8	उजान	करकेली	67	1.465 हे.	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
9	बेली	पाली	52	3.193 हे.	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
10	कन्नाबहरा	पाली	145	1.895 हे.	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
11	कुरावर	पाली	172	2.214 हे.	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
12	रोहनिया	मानपुर	52, 575, 608	4.048 हे.	उक्त रकवा डूब क्षेत्र में आता है।
13	चितरांव	मानपुर	1/475, 275, 476	44.338 हे.	उक्त रकवा डूब क्षेत्र में आता है।
14	बसकुटा	मानपुर	192/1	1.963 हे.	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
15	गोयरा	पाली	182, 200	1.416 हे.	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
16	सिंघवाड	करकेली	11	1.732 हे.	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(M.P.)

2. मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 के अनुसार रेत खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र :-

क्र.	खदान का नाम	तहसील का नाम	खसरा	रकवा	वन से दूरी	ईको सेंसटिव जोन अधिसूचना, बांधवगढ एवं पनपथा से दूरी	रिमार्क
1	भरौला	बांधवगढ	724	2.420 हे.	249 मीटर	6461 मीटर	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
2	करहिया	चंदिया	2	14.739 हे.	600 मीटर	6769 मीटर	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
3	खिचकिडी	मानपुर	604	26.466 हे.	225 मीटर	0 मीटर	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
4	सलैया	मानपुर	29, 117	4.049 हे.	1300 मीटर	2153 मीटर	उक्त रकवा डूब क्षेत्र में है।
5	बेली	पाली	52	3.193 हे.	20 मीटर	2500 मीटर	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
6	कुरावर	पाली	172	2.214 हे.	900 मीटर	3225 मीटर	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
7	बसकुटा	मानपुर	192/1	1.963 हे.	00 मीटर	0 मीटर	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
8	गोयरा	पाली	182, 200	1.416 हे.	172 मीटर	2000 मीटर	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
9	सिंघवाड	करकेली	11	1.732 हे.	4119 मीटर	4120 मीटर	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
E-5, A... Bhopal (M.P.)

3 ऐसे निजी क्षेत्रों (खेत/निजी भूमि) को भी चिन्हित किया जाये जहां पर रेत उपलब्ध है तथा जिनका पुनर्भरण नदियों के बहाव के साथ प्रतिवर्ष संभव है :-

Owner	Sy. No.	Area (Ha)	District	Tehsil	Village	Total Reserve (MT)	Total Mineral to be mined (MT)	Existing/ Proposed
Smt.Bebi Bai W/o Ramkishore Cast-Kalar Niwasi Gram Padwar Tehsil-Manpur Distt-Umaria (m.p.)	/142	1.214	Distt-Umaria (m.p.)	Tehsil-Manpur	Gram-Padwar	36420	36420	Proposed

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)

4. जिले में नदी रेत के अतिरिक्त **M-Sand** हेतु कौन से क्षेत्र है जिनका विकास किया जा सकता है :-

क्र.	क्षेत्र/तहसील का नाम	ग्राम का नाम	रिमार्क
1	बांधवगढ	अमहा, अमुवारी, मरदरी, करौंदी	इन क्षेत्रों में खनिज पत्थर से गिट्टी निर्मित किये जाने हेतु खदान/ क्रेशर स्थापित है। जिनसे **M-Sand** बनाई जा सकती है।
2	नौरोजाबाद	आंमाडोगरी, मरदरी, कुर्रिहा	
3	बिलासपुर	निगहरी, करौंदा, सिलपरी	
4	चंदिया	बांका, राघोपुर	
5	पाली	ओदरी, बकेली	
6	मानपुर	रक्शा, कोलर एवं मुडगुडी	

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

5. जिले में रेत खनिज की आवश्यकता तथा रेत खनिज की आपूर्ति के संभावित क्षेत्रों का आकलन :-

क्र.	खदान का नाम	तहसील का नाम	खसरा	रकवा	रिमार्क
1	गोवर्दे	मानपुर	591/1228	20.000 हे.	इन क्षेत्रों में स्थित खनिज रेत की वैध खदानों से रेत की आपूर्ति की जाती है।
2	मोहबला	मानपुर	317/384	20.000 हे.	
3	सलैया	मानपुर	807	4.925 हे.	
4	सुखदास	मानपुर	1/2	4.033 हे.	
5	बटुरावाह	मानपुर	252	1.704 हे.	
6	पडवार	मानपुर	666 व 701	4.992 हे.	
7	मुडगुडी	मानपुर	263 व 350	6.000 हे.	
8	पिटौर	मानपुर	107	3.500 हे.	
9	मझौली	मानपुर	24/192	2.064 हे.	
10	अमिलिहा	मानपुर	1/601	4.000 हे.	
11	मुडेहना	मानपुर	15	2.845 हे.	
12	भमरहा	मानपुर	1005/1008व 442/1007/1	6.110 हे.	
13	गोवर्दे	मानपुर	566/1226	9.500 हे.	
14	गोवर्दे व बडार	मानपुर	1191 व 1	1.500 हे.	
15	चन्सुरा	मानपुर	61	1.300 हे.	
16	कोडार	मानपुर	29/1 व 29/2	5.744 हे.	
17	खैरभार	चंदिया	344	2.024 हे.	
18	टेकन	चंदिया	01	4.000 हे.	
19	अतरिया	चंदिया	01	4.000 हे.	
20	झाला	चंदिया	75	3.414 हे.	
21	खैरभार	चंदिया	05	6.981 हे.	
22	कोयलारी	चंदिया	01	5.260 हे.	
23	नरवार	चंदिया	352	2.780 हे.	
24	बहेरघटा	चंदिया	53	1.424 हे.	
25	झिलमिली	बिलासपुर	02, 08, 32	4.178 हे.	
26	खेरवाखुर्द	बांधवगढ	201/248	4.614 हे.	
27	करकटी	पाली	36	2.023 हे.	

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

संभावित क्षेत्र					
1	पडवार	मानपुर	108	2.821 हे.	इन क्षेत्रों में खदान होने से रेत की आपूर्ति होगी।
2	पडवार	मानपुर	109	3.157 हे.	
3	बम्हनगंवा	मानपुर	971 एवं 1029	3.229 हे.	
4	परासी	मानपुर	217/405	भाग 10.000 हे.	
5	चन्सुरा	मानपुर	1	2.525 हे.	

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (SEIAA) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

6. DSR में रेत खनन हेतु चिन्हित क्षेत्रों के समूह :–

(एक समूह से दूसरे समूह की दूरी 2.5 किमी.)

क्र.	खदान का नाम	तहसील का नाम	खसरा	रकवा	रिमार्क
1	गोवर्दे	मानपुर	591/1228	20.000 हे.	
2	गोवर्दे	मानपुर	566/1226	9.500 हे.	समूह – 1
3	गोवर्दे व बडार	मानपुर	1191 व 1	1.500 हे.	
4	मोहबला	मानपुर	317/384	20.000 हे.	समूह – 2
5	सलैया	मानपुर	807	4.925 हे.	
6	पडवार	मानपुर	666 व 701	4.992 हे.	
7	मुडगुडी	मानपुर	263 व 350	6.000 हे.	समूह – 3
8	सुखदास	मानपुर	1/2	4.033 हे.	
9	पिटौर	मानपुर	107	3.500 हे.	
10	बदुरावाह	मानपुर	252	1.704 हे.	समूह – 4
11	चन्सुरा	मानपुर	61	1.300 हे.	
12	मझौली	मानपुर	24/192	2.064 हे.	
13	अमिलिहा	मानपुर	1/601	4.000 हे.	समूह – 5
14	भमरहा	मानपुर	1005/1008 व 442/1007/1	6.110 हे.	
15	मुडेहना	मानपुर	15	2.845 हे.	समूह – 6
16	कोडार	मानपुर	29/1 व 29/2	5.744 हे.	
17	खेरवाखुर्द	बांधवगढ	201/248	4.614 हे.	समूह – 7
18	खैरभार	चंदिया	344	2.024 हे.	
19	खैरभार	चंदिया	05	6.981 हे.	
20	टेकन	चंदिया	01	4.000 हे.	
21	अतरिया	चंदिया	01	4.000 हे.	समूह – 8
22	झाला	चंदिया	75	3.414 हे.	
23	कोयलारी	चंदिया	01	5.260 हे.	
24	नरवार	चंदिया	352	2.780 हे.	
25	बहेरघटा	चंदिया	53	1.424 हे.	समूह – 9
26	झिलमिली	बिलासपुर	02, 08, 32	4.178 हे.	
27	करकटी	पाली	36	2.023 हे.	समूह – 10

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

7. जिले में रेत परिवहन के संभावित मार्गो का चिन्हांकन स्पष्ट रूप से किया जाये।

क्र.	खदान का नाम	तहसील का नाम	खसरा	रकवा	मार्ग का नाम
1	गोवर्दे	मानपुर	591/1228	20.000 हे.	मानपुर से गोवर्दे ब्यौहारी रोड
2	गोवर्दे	मानपुर	566/1226	9.500 हे.	
3	गोवर्दे व बडार	मानपुर	1191 व 1	1.500 हे.	
4	मोहबला	मानपुर	317/384	20.000 हे.	मानपुर से बल्हौड ब्यौहारी रोड
5	पिटौर	मानपुर	107	3.500 हे.	पडवार, बेल्दी अमरपुर बरही रोड
6	पडवार	मानपुर	666 व 701	4.992 हे.	
7	मुडगुडी	मानपुर	263 व 350	6.000 हे.	सलैया, कनौर बरही रोड
8	सुखदास	मानपुर	1/2	4.033 हे.	
9	सलैया	मानपुर	807	4.925 हे.	
10	बटुरावाह	मानपुर	252	1.704 हे.	पनपथा, इंदवार, भरेवा अमुपुर रोड
11	चन्सुरा	मानपुर	61	1.300 हे.	
12	मझौली	मानपुर	24/192	2.064 हे.	रायपुर, बन्नौदा पाली शहडोल रोड
13	अमिलिहा	मानपुर	1/601	4.000 हे.	मानपुर ब्योहारी मार्ग
14	भमरहा	मानपुर	1005/1008 व 442/1007/1	6.110 हे.	भमरहा से बिजौरी मानपुर रोड
15	मुडेहना	मानपुर	15	2.845 हे.	बडेरी उमरिया मार्ग
16	कोडार	मानपुर	29/1 व 29/2	5.744 हे.	
17	खेरवाखुर्द	बांधवगढ	201/248	4.614 हे.	कछरवार उमरिया रोड
18	खैरभार	चंदिया	344	2.024 हे.	बांका चंदिया उमरिया शहपुरा रोड
19	खैरभार	चंदिया	05	6.981 हे.	
20	टेकन	चंदिया	01	4.000 हे.	
21	अतरिया	चंदिया	01	4.000 हे.	
22	झाला	चंदिया	75	3.414 हे.	
23	कोयलारी	चंदिया	01	5.260 हे.	
24	नरवार	चंदिया	352	2.780 हे.	
25	बहेरघटा	चंदिया	53	1.424 हे.	बिलासपुर सिलपरी शहपुरा रोड
26	झिलमिली	बिलासपुर	02, 08, 32	4.178 हे.	
27	करकटी	पाली	36	2.023 हे.	एन.एच 43 उमरिया शहडोल रोड

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

8. रेत खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों को वन संरक्षित एवं वन तथा ईको सेंसटिव जोन अधिसूचना, बांधवगढ एवं पनपथा से दूरी आदि से स्पष्ट दूरी इंगित की गई।

क्र.	खदान का नाम	तहसील का नाम	खसरा	रकवा	वन से दूरी	ईको सेंसटिव जोन अधिसूचना, बांधवगढ एवं पनपथा से दूरी	रिमार्क
1	भरौला	बांधवगढ	724	2.420 हे.	249 मीटर	6461 मीटर	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
2	करहिया	चंदिया	2	14.739 हे.	600 मीटर	6769 मीटर	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
3	खिचकिडी	मानपुर	604	26.466 हे.	225 मीटर	0 मीटर	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
4	सलैया	मानपुर	29, 117	4.049 हे.	1300 मीटर	2153 मीटर	उक्त रकवा डूब क्षेत्र में है।
5	बेली	पाली	52	3.193 हे.	20 मीटर	2500 मीटर	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
6	कुरावर	पाली	172	2.214 हे.	900 मीटर	3225 मीटर	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
7	बसकुटा	मानपुर	192/1	1.963 हे.	00 मीटर	0 मीटर	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
8	गोयरा	पाली	182, 200	1.416 हे.	172 मीटर	2000 मीटर	वन सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर है।
9	सिंघवाड	करकेली	11	1.732 हे.	4119 मीटर	4120 मीटर	खनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

9. रेत खनन हेतु चिन्हांकन संभावित क्षेत्रों की चतुर्सीमा के अक्षांश-देशांश एवं संभावित समुद्र तल से ऊँचाई का उल्लेख किया गया।

संभावित क्षेत्र					
क्र.	**खदान का नाम**	**तहसील का नाम**	**खसरा नं.**	**रकवा**	**अक्षांश-देशांश**
1	पडवार	मानपुर	108	2.821 हे.	N23^{0}54'29.4" E080^{0}54'20.7" N23^{0}54'30.4" E080^{0}54'15.2" N23^{0}54'18.8" E080^{0}54'12.2" N23^{0}54'18.1" E080^{0}54'16.2"
2	पडवार	मानपुर	109	3.157 हे.	N23^{0}54'12.8" E080^{0}54'15.8" N23^{0}54'12.5" E080^{0}54'13.3" N23^{0}54'00.6" E080^{0}54'17.4" N23^{0}54'01.0" E080^{0}54'18.8"
3	बम्हनगंवा	मानपुर	971 एवं 1029	3.229 हे.	N23^{0}56'19.40" E81^{0}01'20.78" N23^{0}56'19.84" E81^{0}01'20.66" N23^{0}55'59.66" E81^{0}00'40.40" N23^{0}56'01.06" E81^{0}00'40.14"
4	परासी	मानपुर	217/405	भाग 10.000 हे.	N23^{0}49'18.81" E81^{0}12'13.27" N23^{0}49'24.28" E81^{0}12'12.9" N23^{0}49'27.16" E81^{0}13'51.53" N23^{0}49'19.59" E81^{0}13'49.33"
5	चन्सुरा	मानपुर	1	2.525 हे.	N23^{0}56'01.74" E81^{0}00'50.72" N23^{0}56'02.18" E81^{0}00'50.56" N23^{0}56'19.57" E81^{0}01'20.76" N23^{0}56'19.16" E81^{0}01'20.79"

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला–उमरिया म0प्र0

क्र0/ 421 /स0सं0म0/तक0 /2022–23 उमरिया, दिनांक 18.07.22

प्रति,

खनिज अधिकारी,
जिला उमरिया म0प्र0

विषय– सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईन–2016 एवं इनफोर्समेंट मानिटरिंग फार सेण्ड माइनिंग 2020 के अंतर्गत रेत खनिज हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में।

संदर्भ– आपका पत्र क0 276 दिनांक 14.07.2022

विषयान्तर्गत लेख है, कि उमरिया जिले की प्रमुख नदिया सोन, महानदी तथा जोहिला एवं सहायक नदीयों में एक्वाकल्चर जलचरों (मत्स्य) के प्राकृतिक संवर्धन हेतु कोई भी स्थान चिन्हित नहीं है। अतः जानकरी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग,
जिला–उमरिया (म0प्र0)

E:\bayekap\TECH-Nayak\Tech general 2018-19-21 new.doc 250

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया (म.प्र.)

E-mail : wrdumaria@gmail.com

पत्र क्र. 1483 /व.ले.लि./खनिज/2022 उमरिया दिनांक 27-7-2022

प्रति,

खनिज अधिकारी,
खनिज विभाग
जिला उमरिया (म.प्र.)

विषय :– सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मैनेजमेन्ट गाईड लाईन 2016 एवं इनफोर्समेन्ट मॉनिटरिंग फारं सेन्ड माइनिंग 2020 के अंतर्गत रेत खनिज हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 1276/खनिज शाखा/2022 उमरिया दिनांक 14.07.2022

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में आपके द्वारा घोषित यदि कोई नदी/घाटी का क्षेत्र एक्वाकल्चर जलचरों से संवेदनशील हो तो ऐसे स्थानों को चिहिन्त कर विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करना है से संबंधित जानकारी चाही गई थी। इससे संबंधित जानकारी जल संसाधन संभाग उमरिया अंतर्गत संधारित नही की जाती है।

अतः उपरोक्त जानकारी सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

For
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग उमरिया
जिला उमरिया (म०प्र०)

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.

PHOTOGRAPHS

OF

SAND MINES IN

UMARIA DISTRICT

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
GPS Map Camera
मझौली, मध्य प्रदेश, भारत
मझौली, मध्य प्रदेश, भारत
Lat 23.663505°
Long 81.23888°
15/07/22 12:18 PM
Google

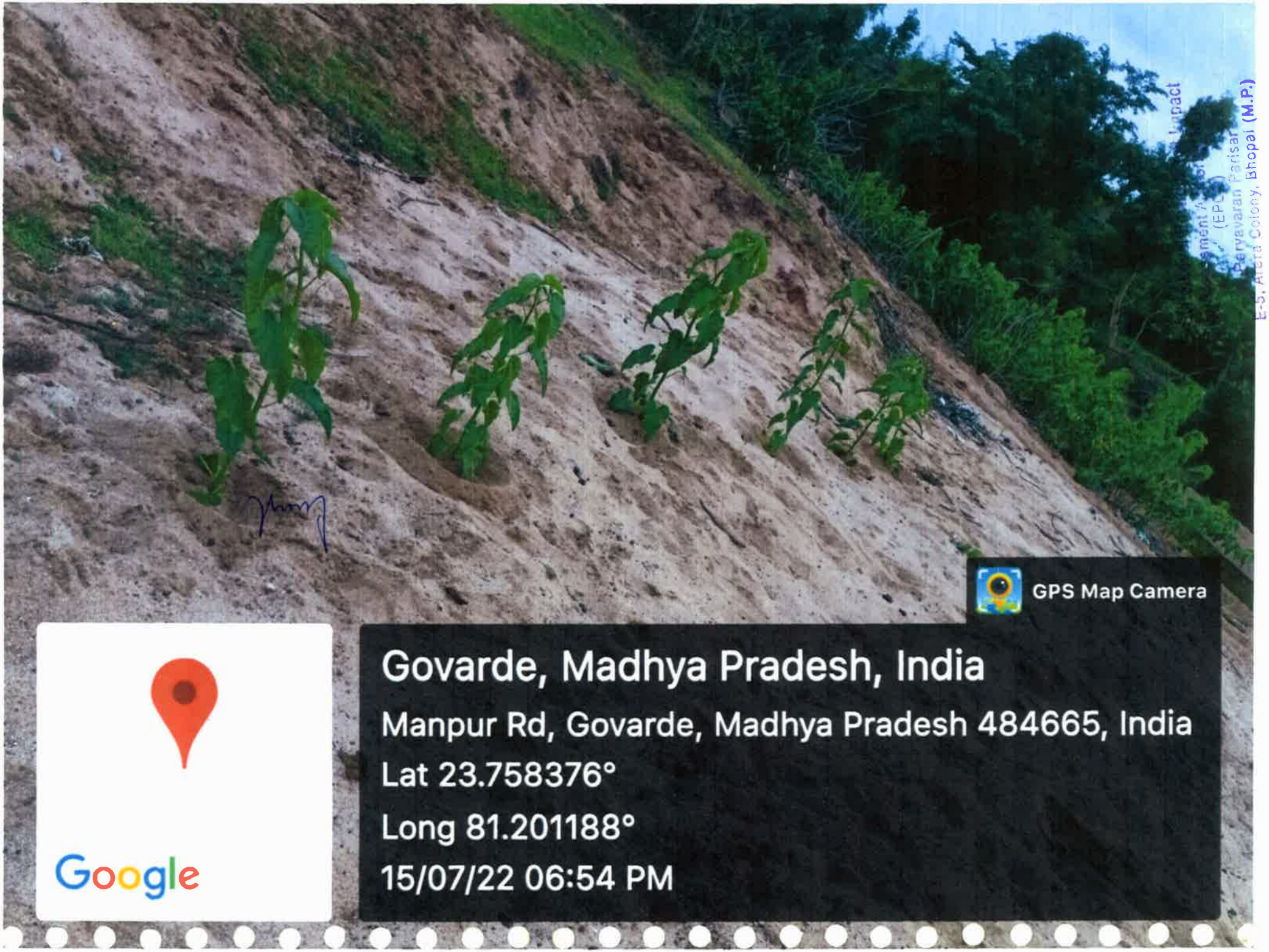
GPS Map Camera
Govarde, Madhya Pradesh, India
Manpur Rd, Govarde, Madhya Pradesh 484665, India
Lat 23.758376°
Long 81.201188°
15/07/22 06:54 PM
Google

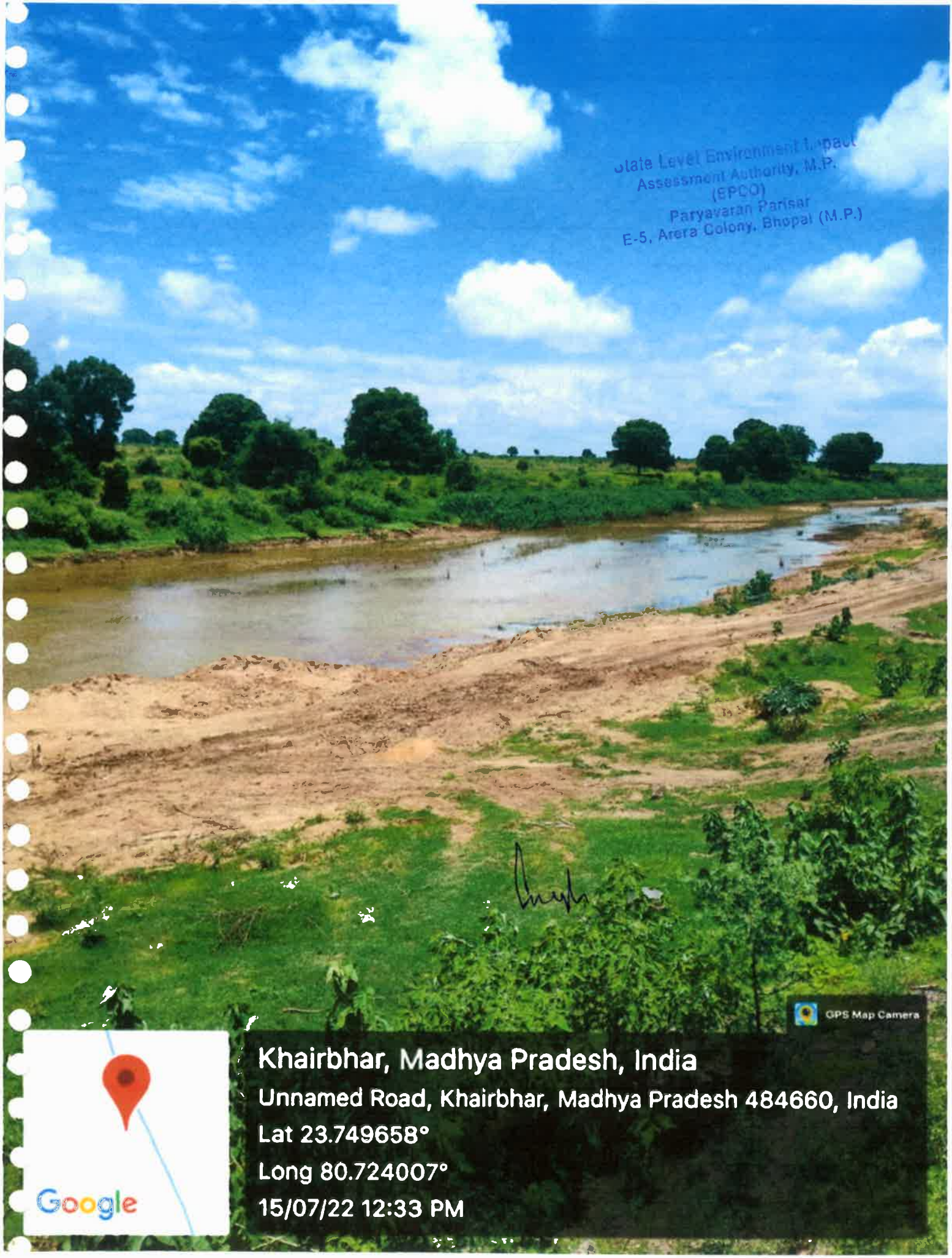
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
GPS Map Camera
Khairbhar, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Khairbhar, Madhya Pradesh 484660, India
Lat 23.749658°
Long 80.724007°
15/07/22 12:33 PM
Google

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Parya... Path Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

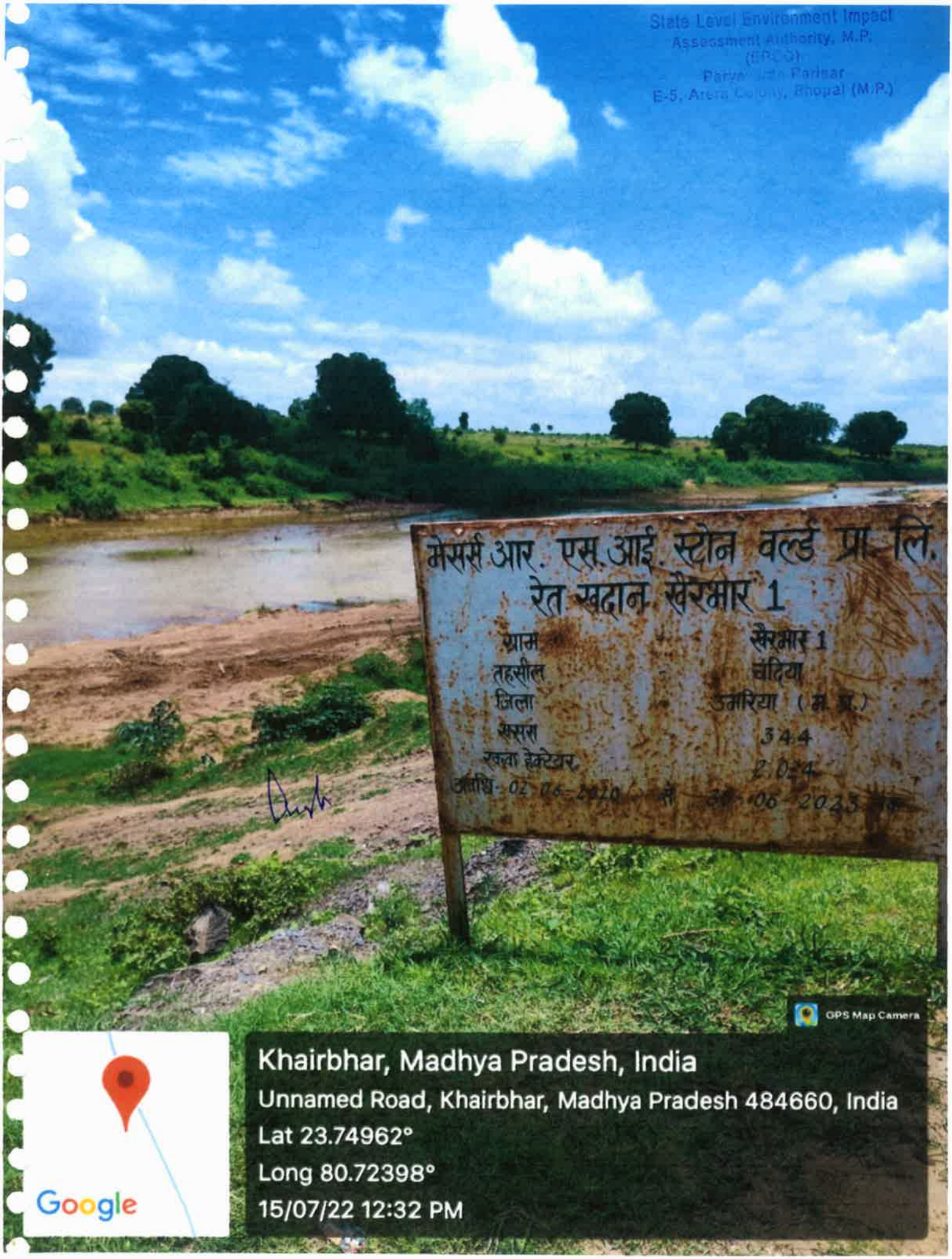

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

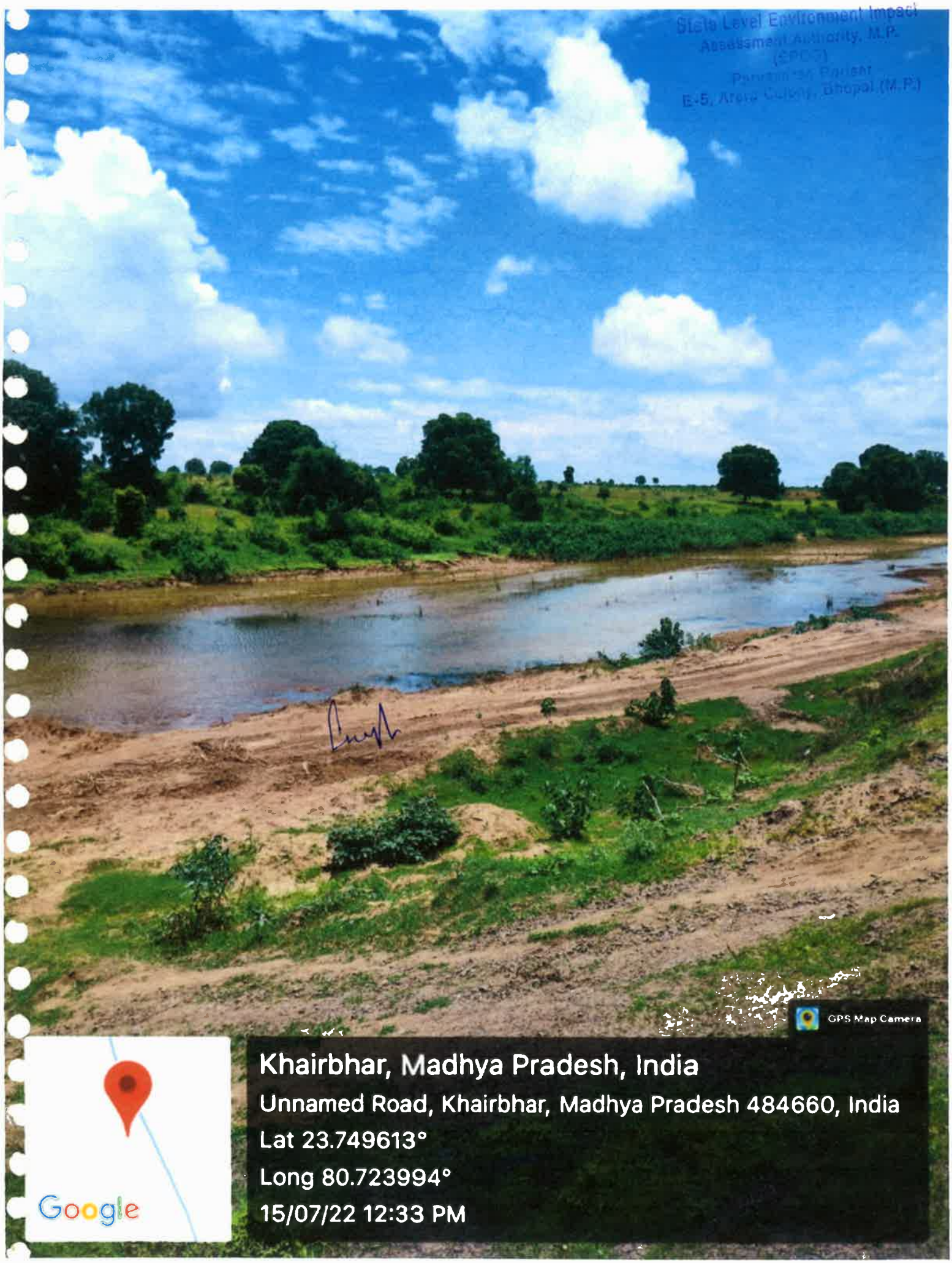

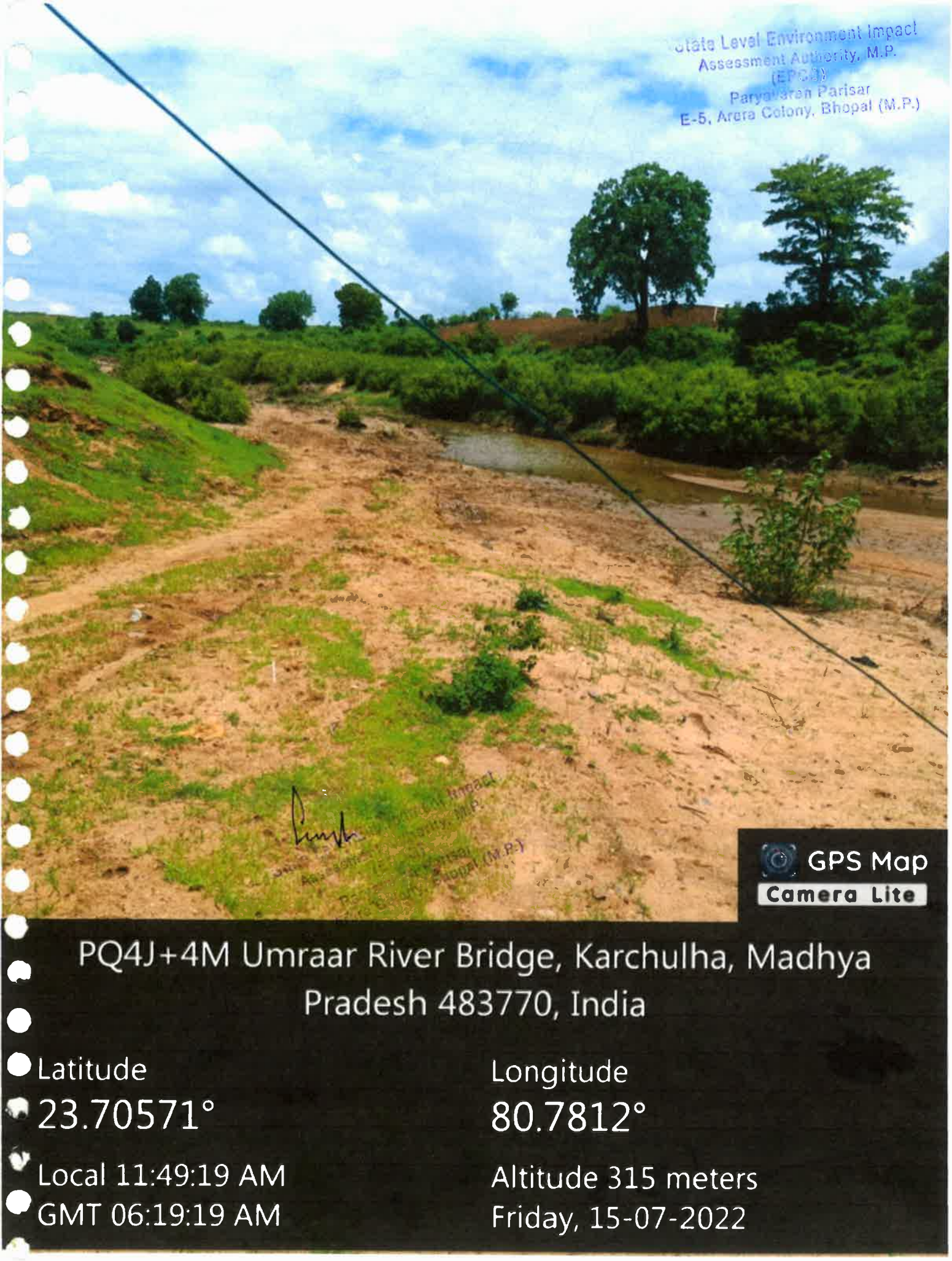
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
GPS Map
Camera Lite
PQ4J+4M Umraar River Bridge, Karchulha, Madhya Pradesh 483770, India
Latitude
23.70571°
Longitude
80.7812°
Local 11:49:19 AM
GMT 06:19:19 AM
Altitude 315 meters
Friday, 15-07-2022

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
GPS Map Camera
Govarde, Madhya Pradesh, India
Manpur Rd, Govarde, Madhya Pradesh 484665, India
Lat 23.758343°
Long 81.201103°
15/07/22 06:54 PM
Google

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
GPS Map Camera
Govarde, Madhya Pradesh, India
Manpur Rd, Govarde, Madhya Pradesh 484665, India
Lat 23.758308°
Long 81.201112°
15/07/22 06:53 PM
Google

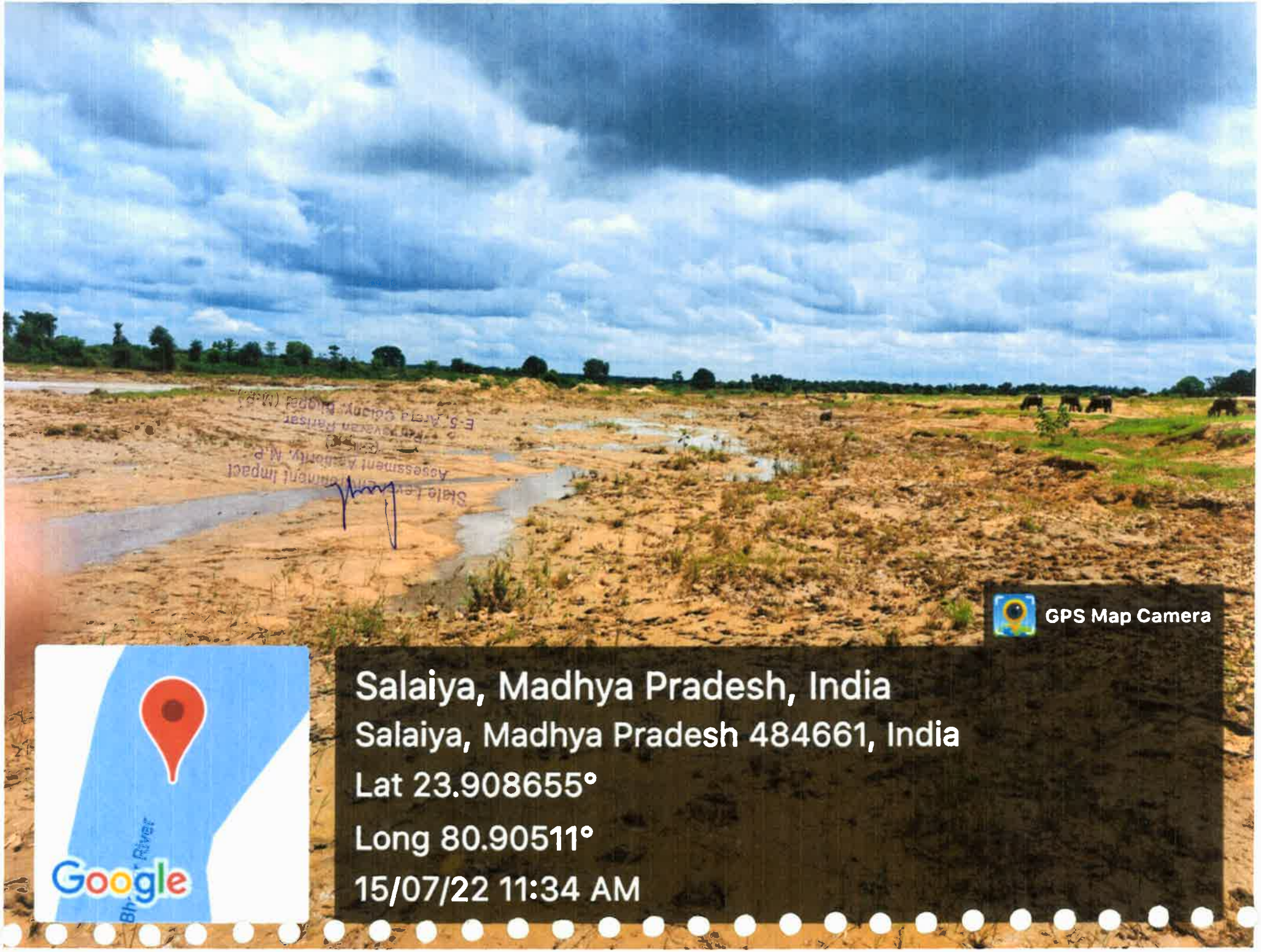
GPS Map Camera
Salaiya, Madhya Pradesh, India
Salaiya, Madhya Pradesh 484661, India
Lat 23.908655°
Long 80.90511°
15/07/22 11:34 AM
Google

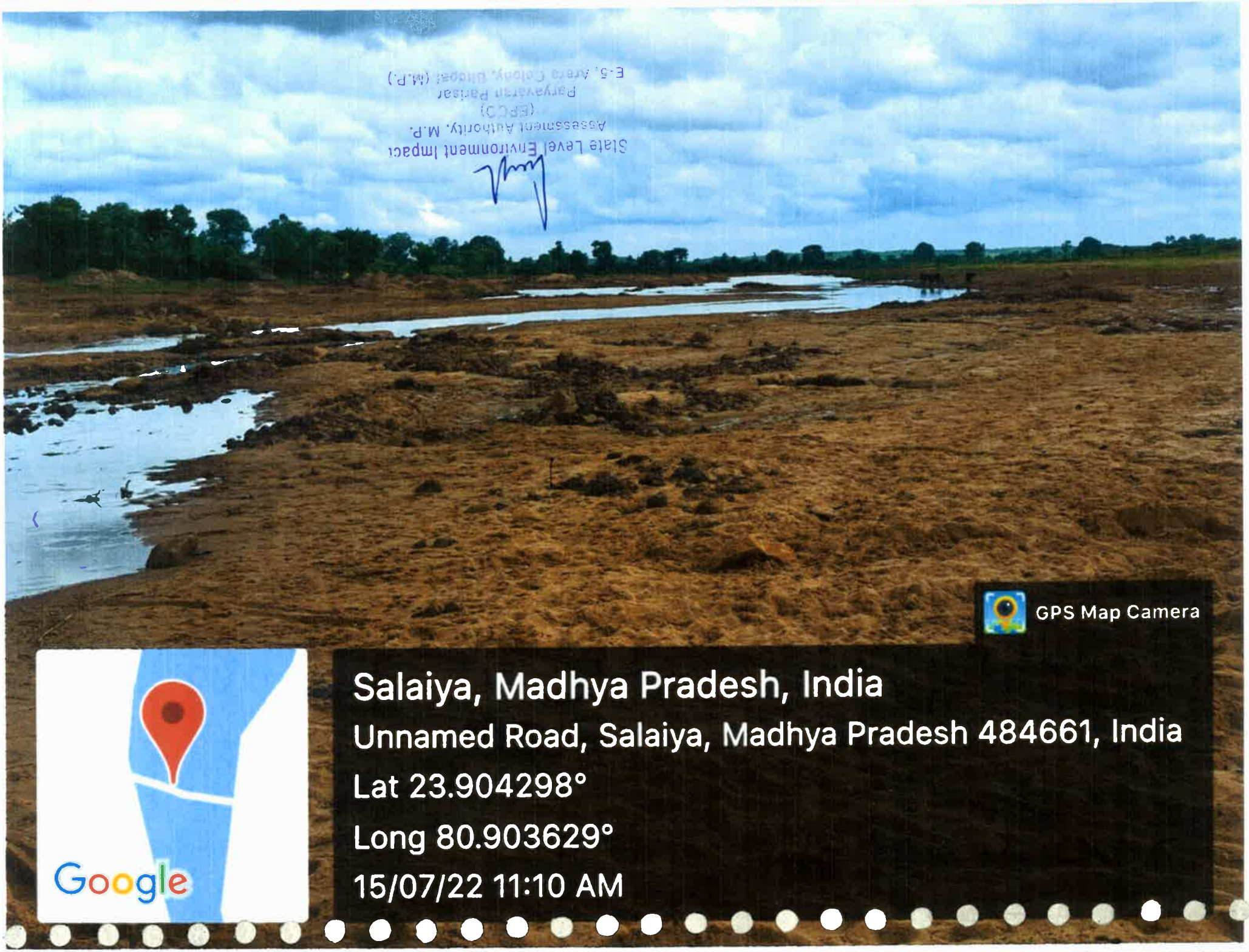
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCC)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
GPS Map Camera
Google
Salaiya, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Salaiya, Madhya Pradesh 484661, India
Lat 23.904298°
Long 80.903629°
15/07/22 11:10 AM

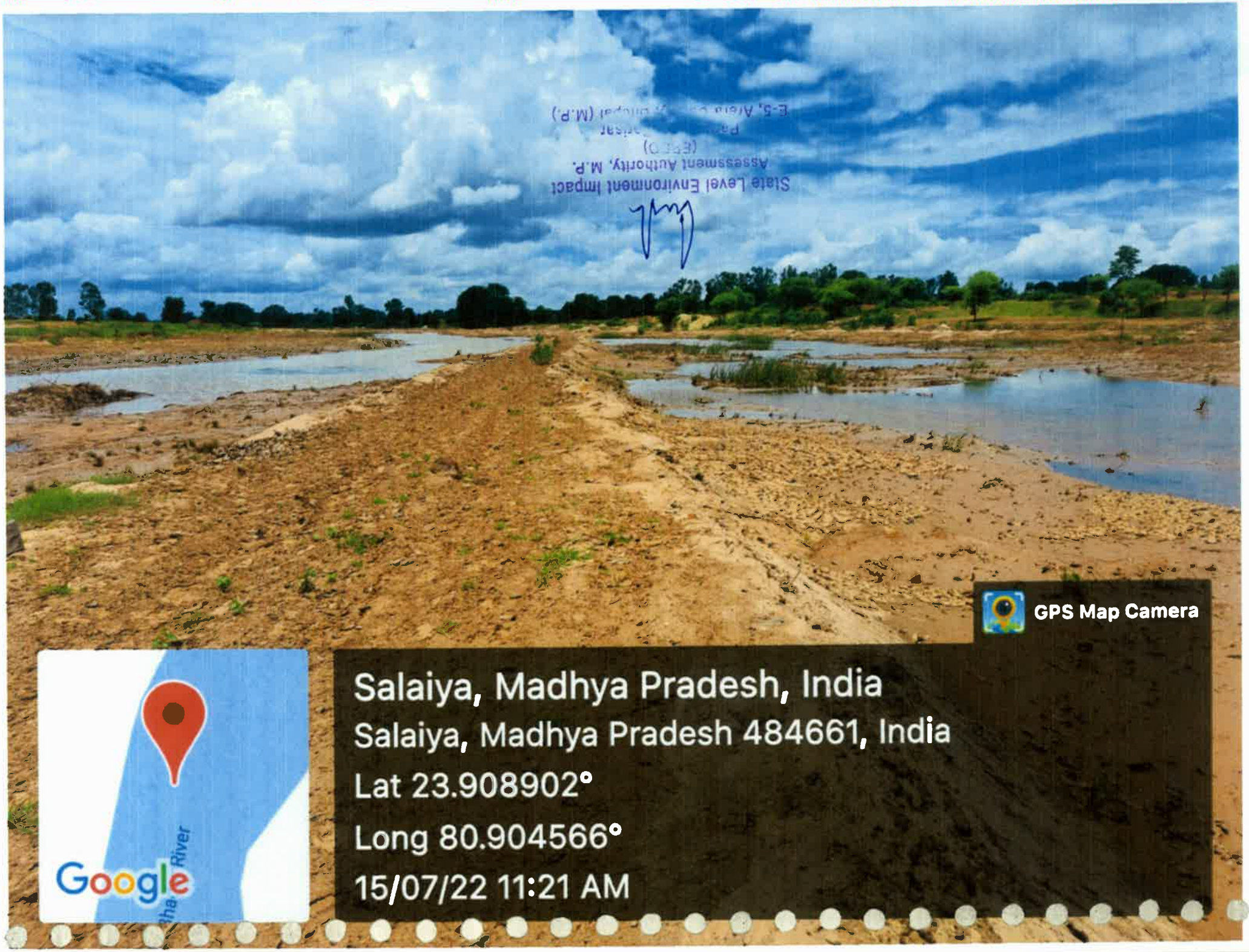
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
GPS Map Camera
Google
Salaiya, Madhya Pradesh, India
Salaiya, Madhya Pradesh 484661, India
Lat 23.908902°
Long 80.904566°
15/07/22 11:21 AM

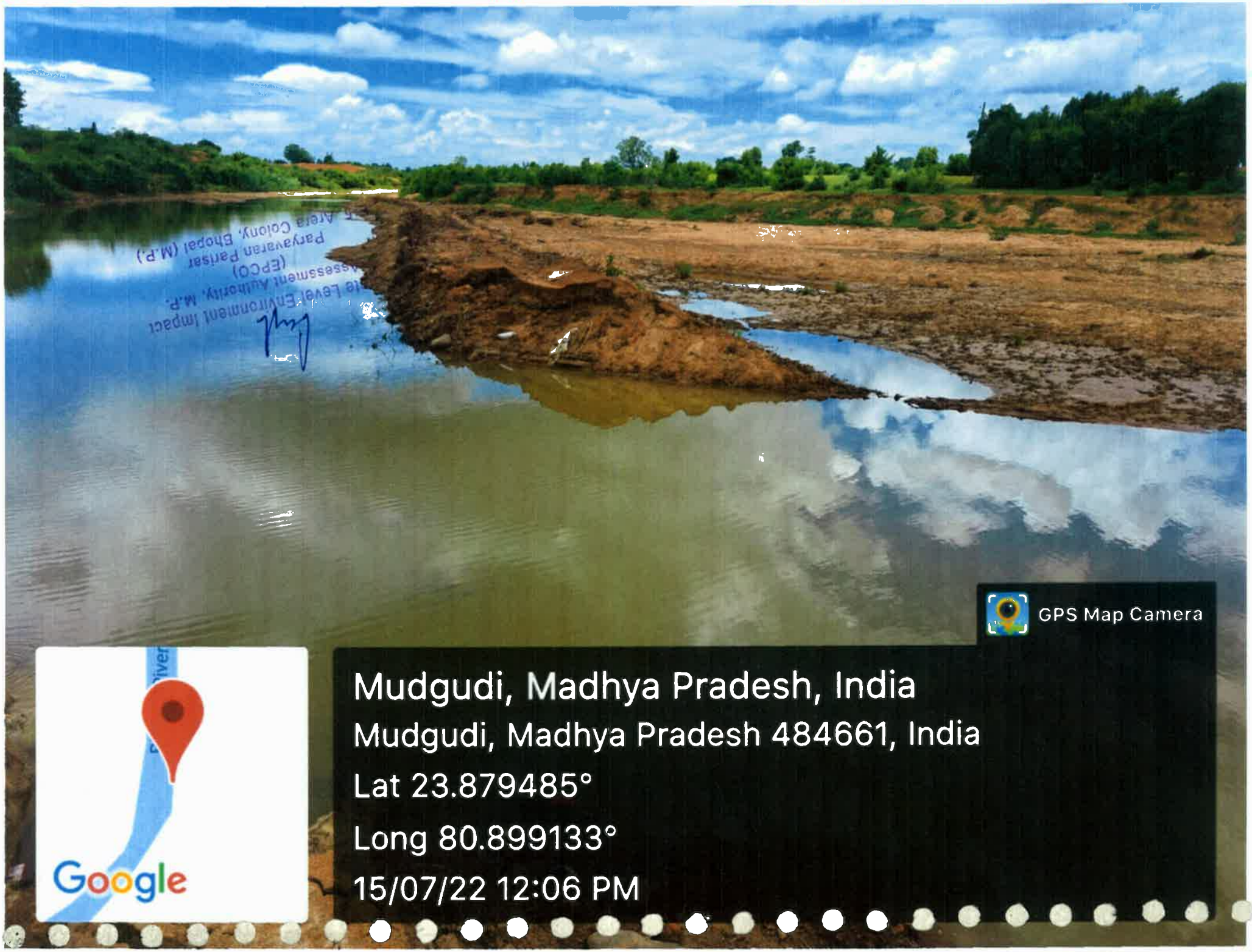
GPS Map Camera
Mudgudi, Madhya Pradesh, India
Mudgudi, Madhya Pradesh 484661, India
Lat 23.879485°
Long 80.899133°
15/07/22 12:06 PM
Google

GPS Map Camera
Pitaur, Madhya Pradesh, India
Pitaur, Madhya Pradesh 484661, India
Lat 23.888347°
Long 80.924119°
15/07/22 11:48 AM
Google

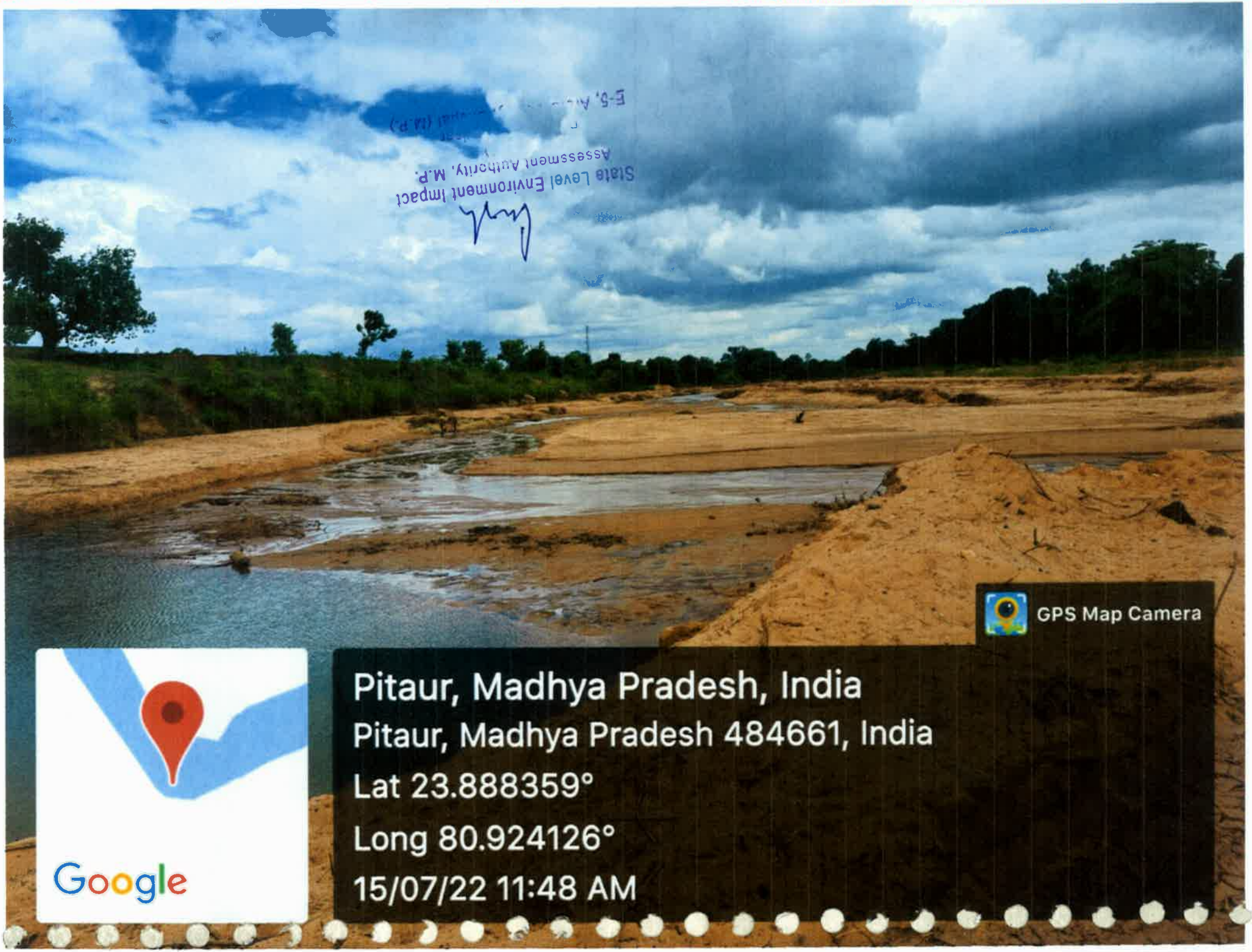
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
GPS Map Camera
Pitaur, Madhya Pradesh, India
Pitaur, Madhya Pradesh 484661, India
Lat 23.888359°
Long 80.924126°
15/07/22 11:48 AM
Google

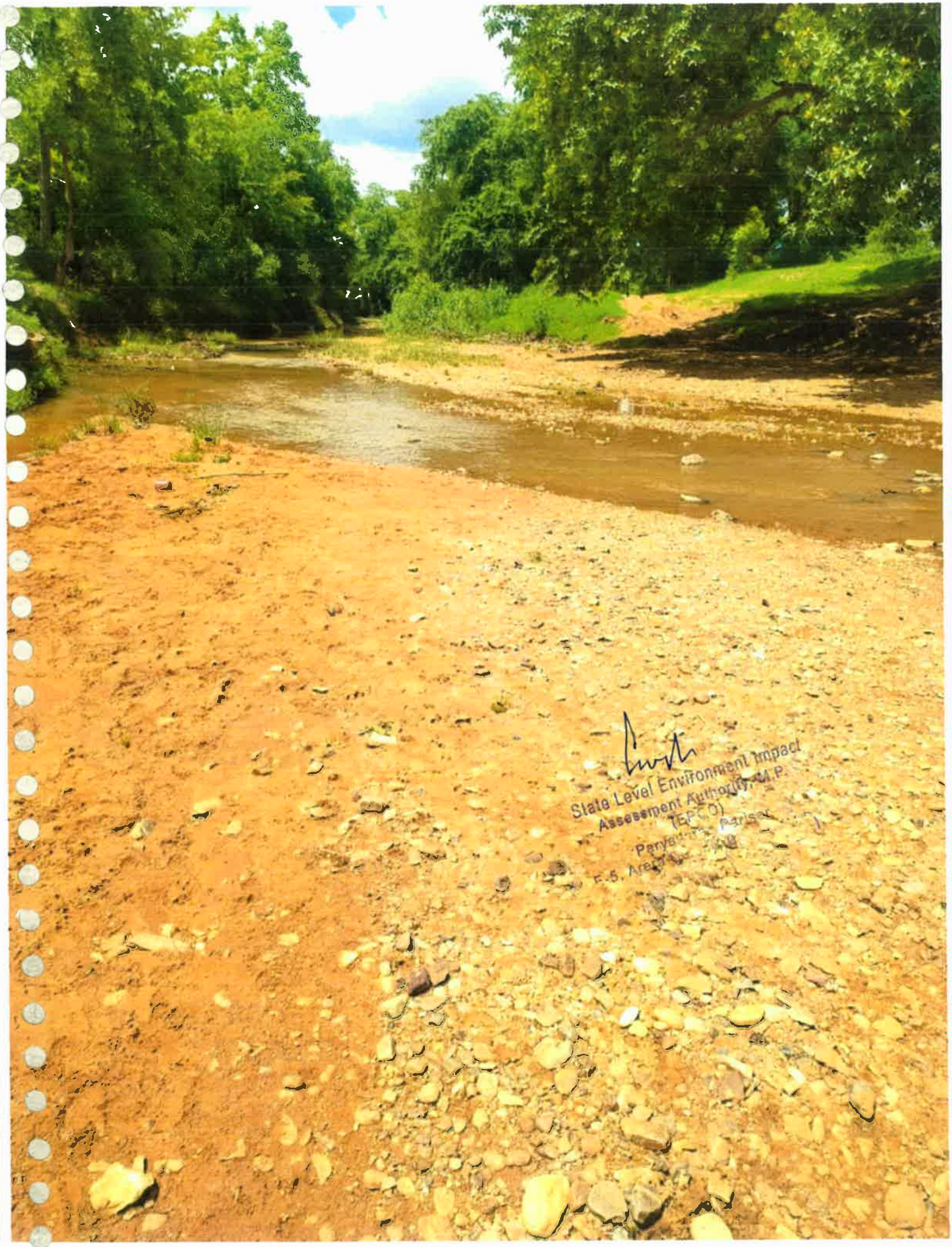
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)

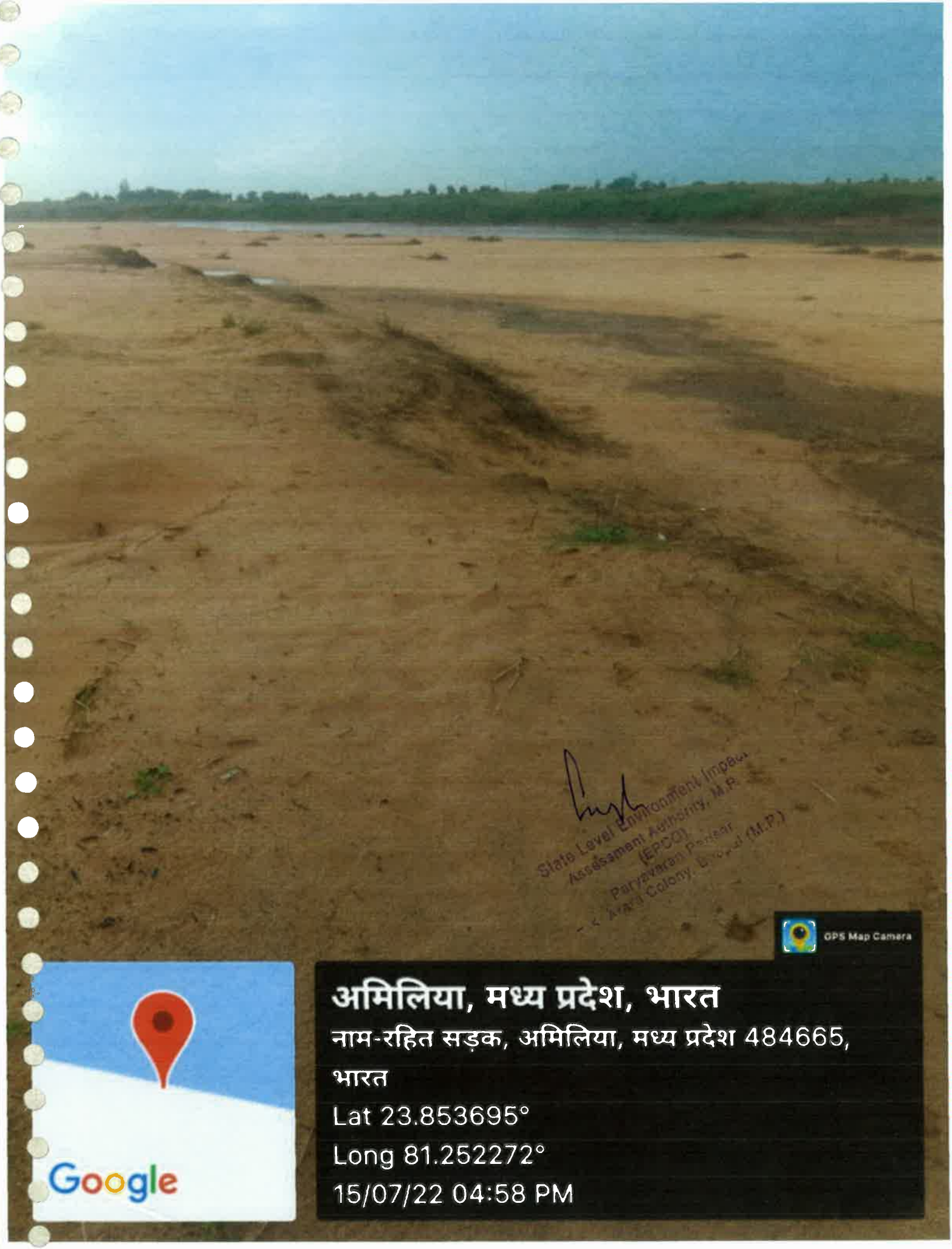
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
Arera Colony, Bhopal (M.P.)
GPS Map Camera
Google
अमिलिया, मध्य प्रदेश, भारत
नाम-रहित सड़क, अमिलिया, मध्य प्रदेश 484665, भारत
Lat 23.853695°
Long 81.252272°
15/07/22 04:58 PM

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

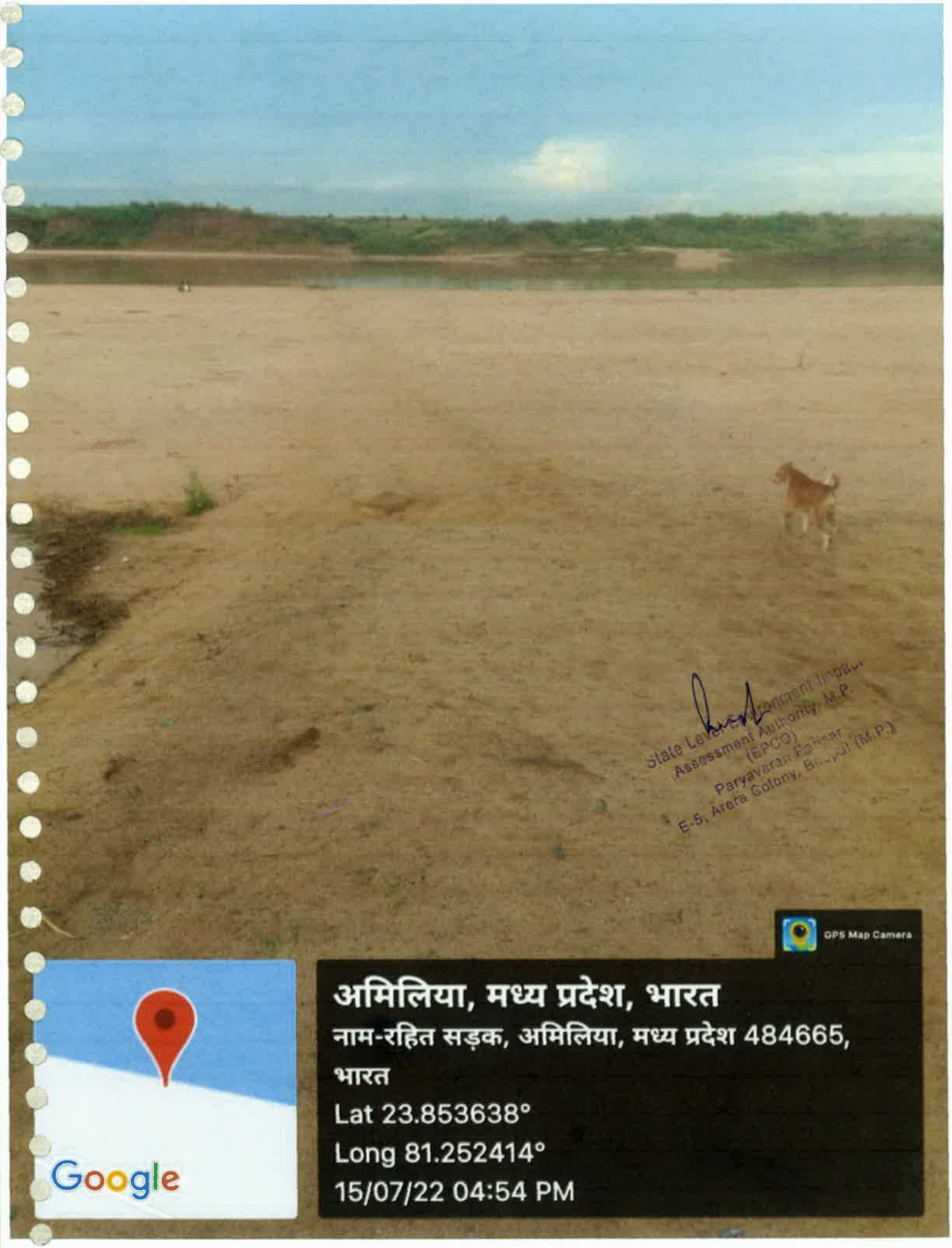
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(SEIAA)
Paryavaran Bhawan
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
GPS Map Camera
अमिलिया, मध्य प्रदेश, भारत
नाम-रहित सड़क, अमिलिया, मध्य प्रदेश 484665, भारत
Lat 23.853638°
Long 81.252414°
15/07/22 04:54 PM
Google

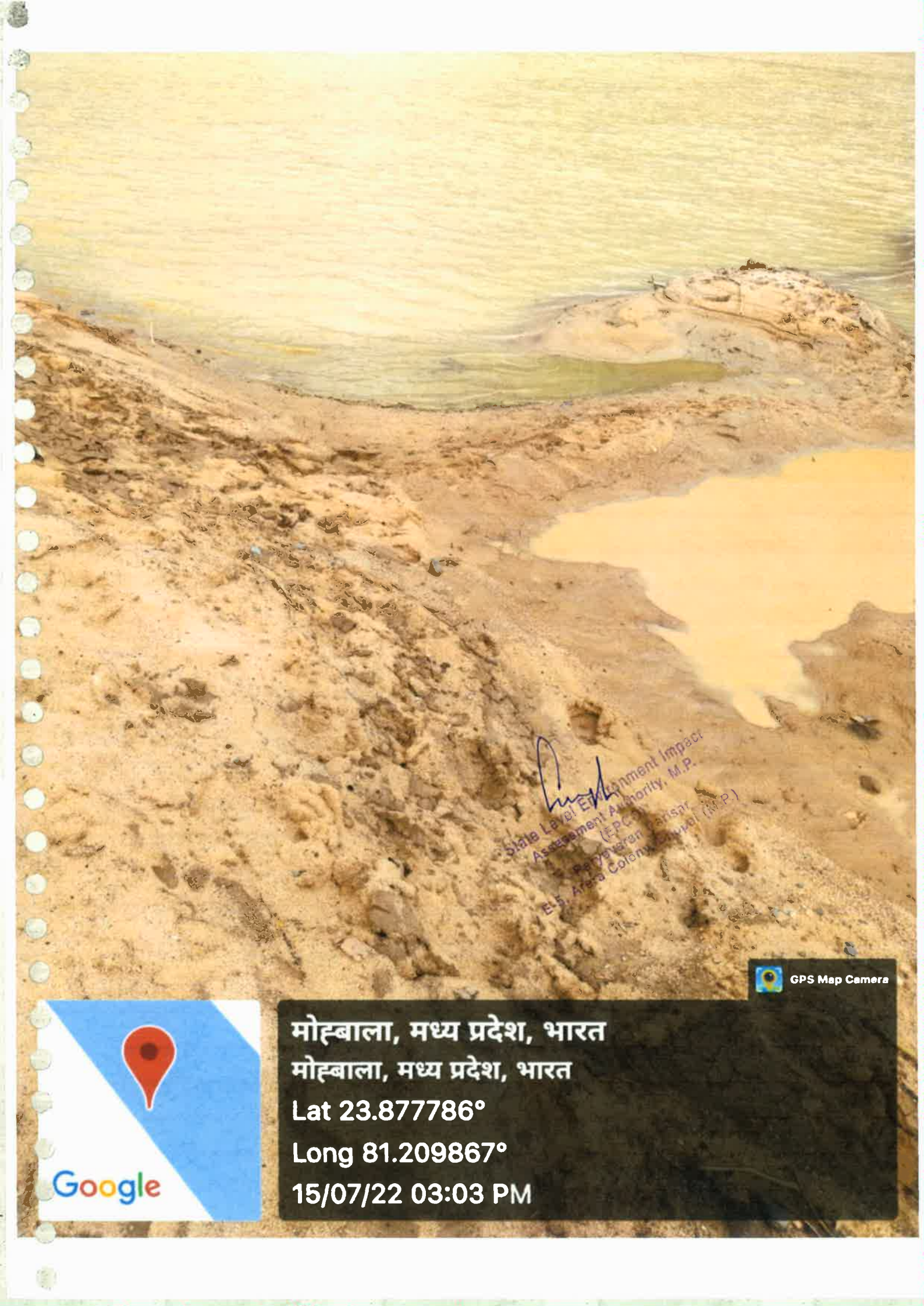

GPS Map Camera
मोह्बाला, मध्य प्रदेश, भारत
मोह्बाला, मध्य प्रदेश, भारत
Lat 23.877786°
Long 81.209867°
15/07/22 03:03 PM
Google

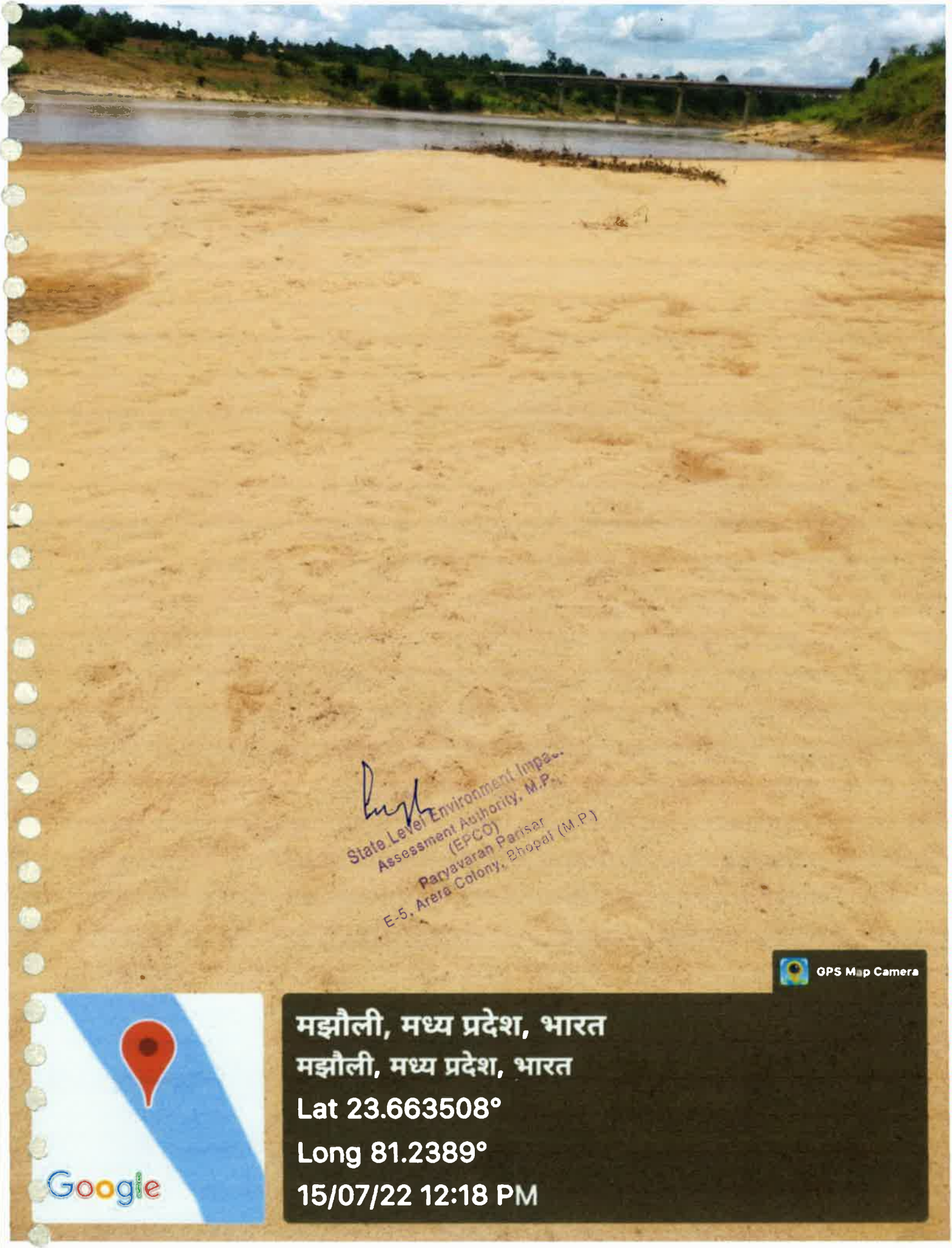
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
GPS Map Camera
मझौली, मध्य प्रदेश, भारत
मझौली, मध्य प्रदेश, भारत
Lat 23.663508°
Long 81.2389°
15/07/22 12:18 PM
Google

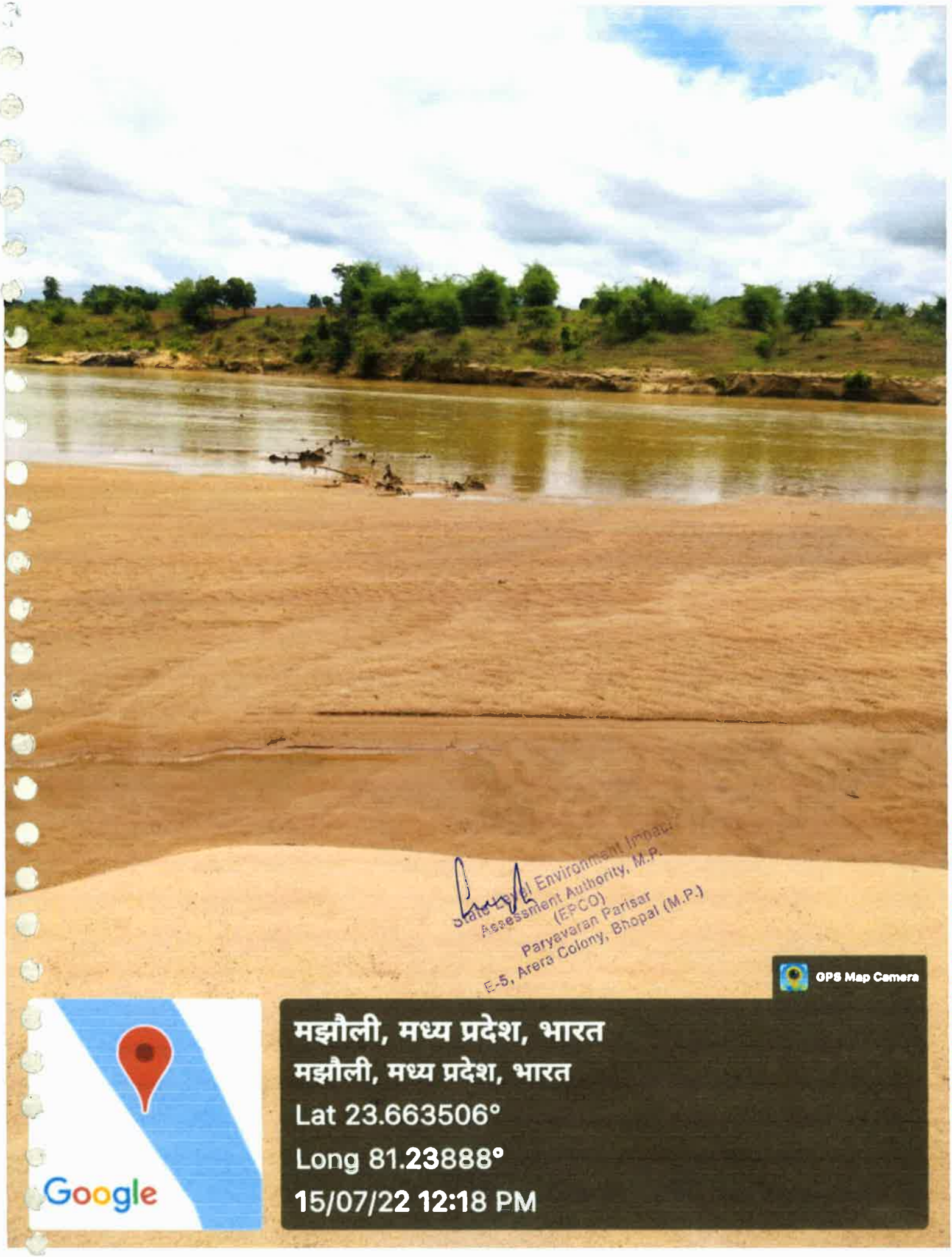
State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
GPS Map Camera
मझौली, मध्य प्रदेश, भारत
मझौली, मध्य प्रदेश, भारत
Lat 23.663506°
Long 81.23888°
15/07/22 12:18 PM
Google

GPS Map Camera
Karkati, Madhya Pradesh, India
Karkati, Madhya Pradesh, India
Lat 23.358268°
Long 81.107929°
15/07/22 01:04 PM
Google

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
GPS Map Camera
Karkati, Madhya Pradesh, India
NH43, Karkati, Madhya Pradesh 484551, India
Lat 23.355604°
Long 81.108747°
15/07/22 01:03 PM
43
Google

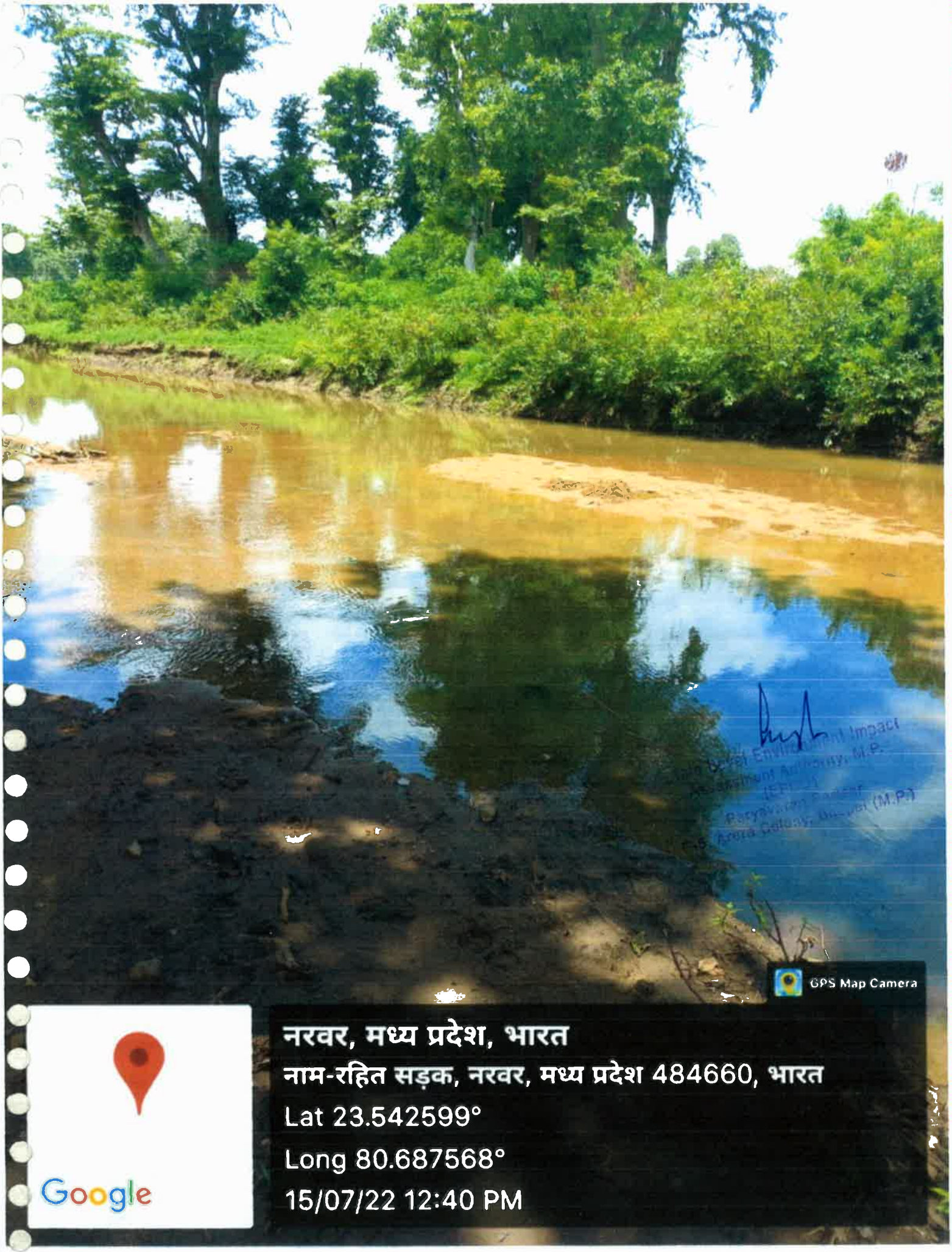
GPS Map Camera
नरवर, मध्य प्रदेश, भारत
नाम-रहित सड़क, नरवर, मध्य प्रदेश 484660, भारत
Lat 23.542599°
Long 80.687568°
15/07/22 12:40 PM
Google

GPS Map Camera
Majhgawan, Madhya Pradesh, भारत
JV53+R4J Öm räy, Majhgawan, Madhya Pradesh 484661, भारत
Lat 23.6078°
Long 80.853866°
15/07/22 12:59 PM
Google

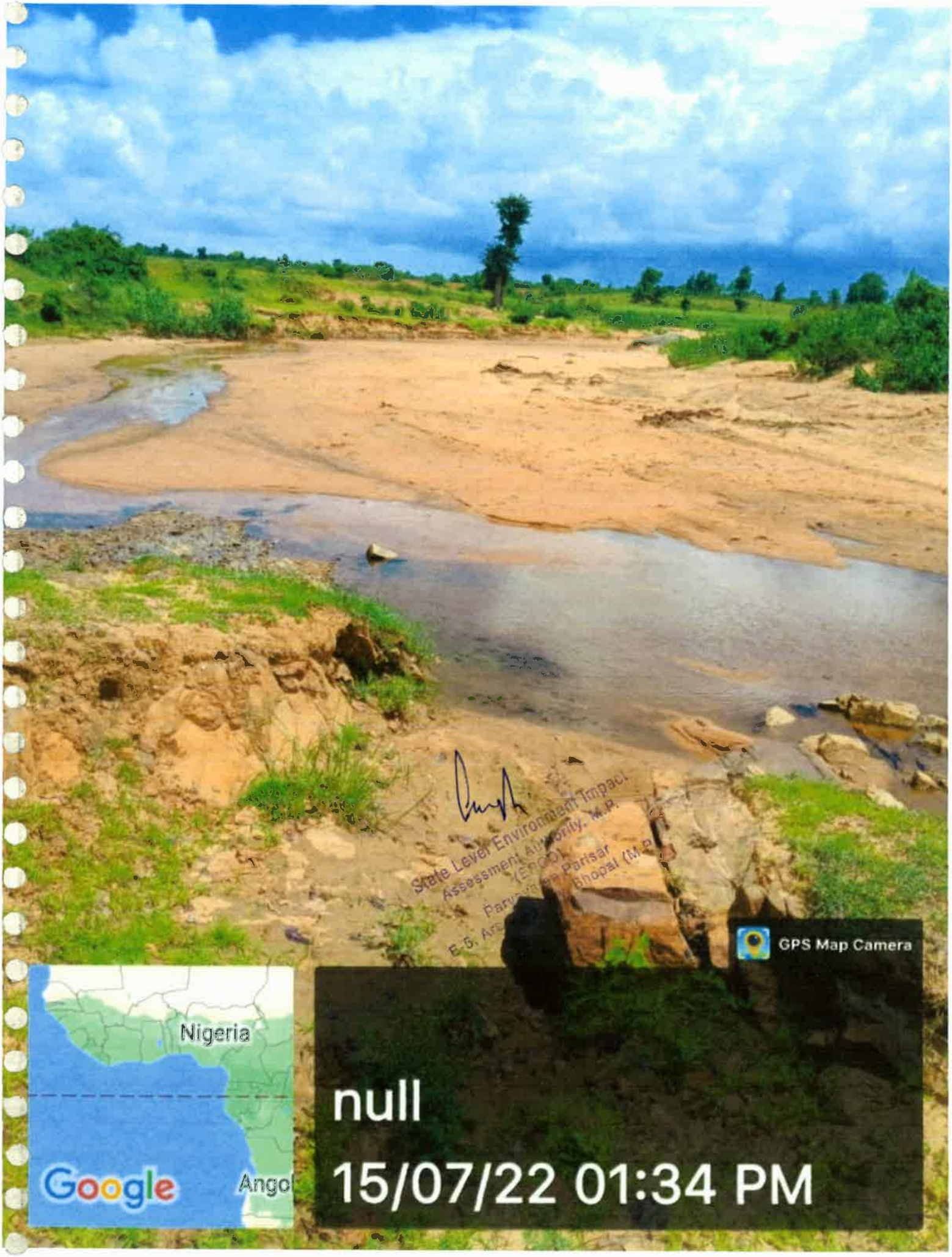

State Level Environment Impact
GPS Map Camera
Nigeria
Google
null
15/07/22 01:34 PM

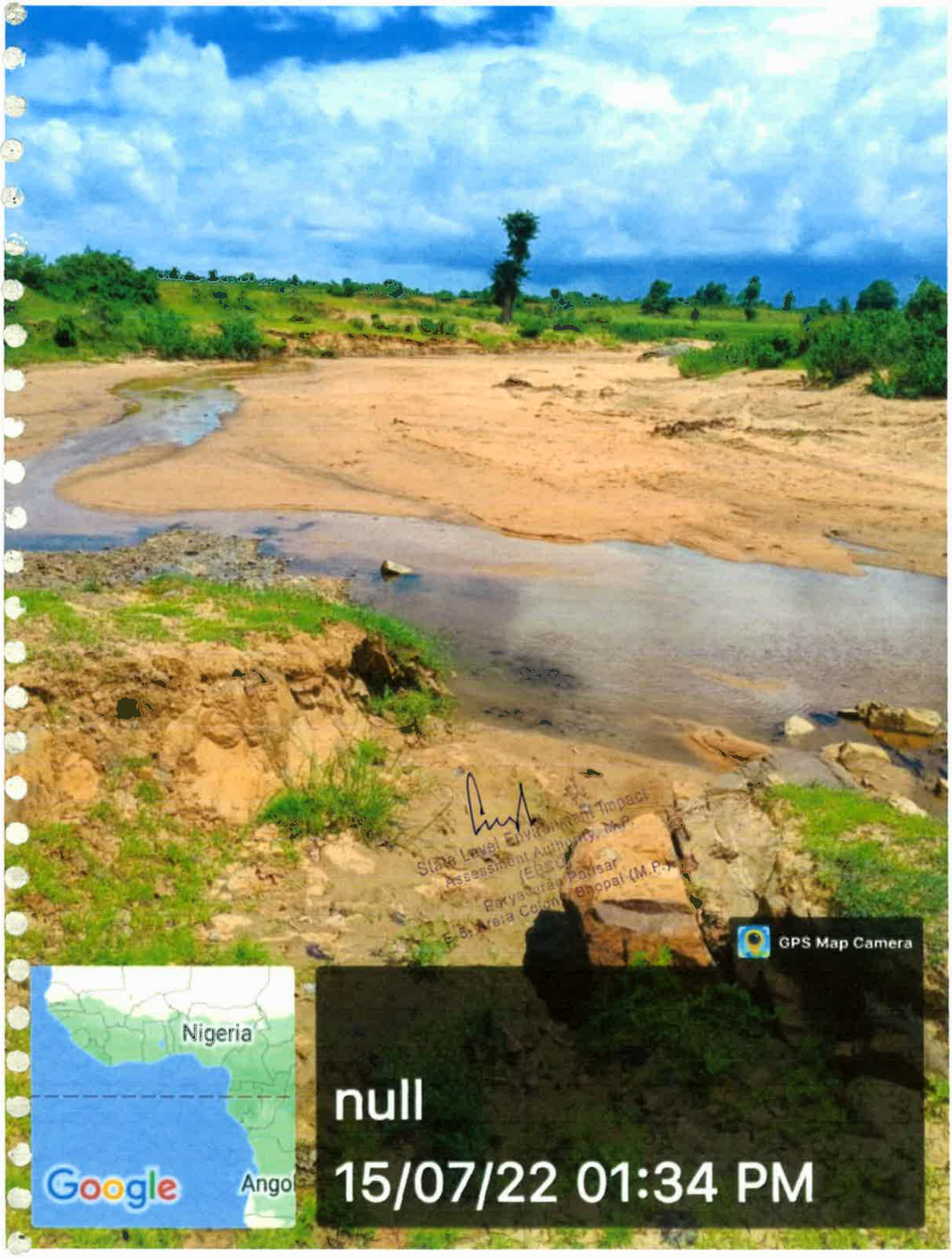
GPS Map Camera
Nigeria
Google
null
15/07/22 01:34 PM

Baran Mahgawan, Madhya Pradesh, India

Latitude
23.716233333333335°

Longitude
80.757255°

Local 11:26:28 AM
GMT 05:56:28 AM

Altitude 317.8 meters
Friday, 15-07-2022

Unnamed Road, Koylari, Madhya Pradesh 484660, India

Latitude
23.7195499999999995°

Longitude
80.74986666666668°

Local 11:33:58 AM
GMT 06:03:58 AM

Altitude 315.4 meters
Friday, 15-07-2022

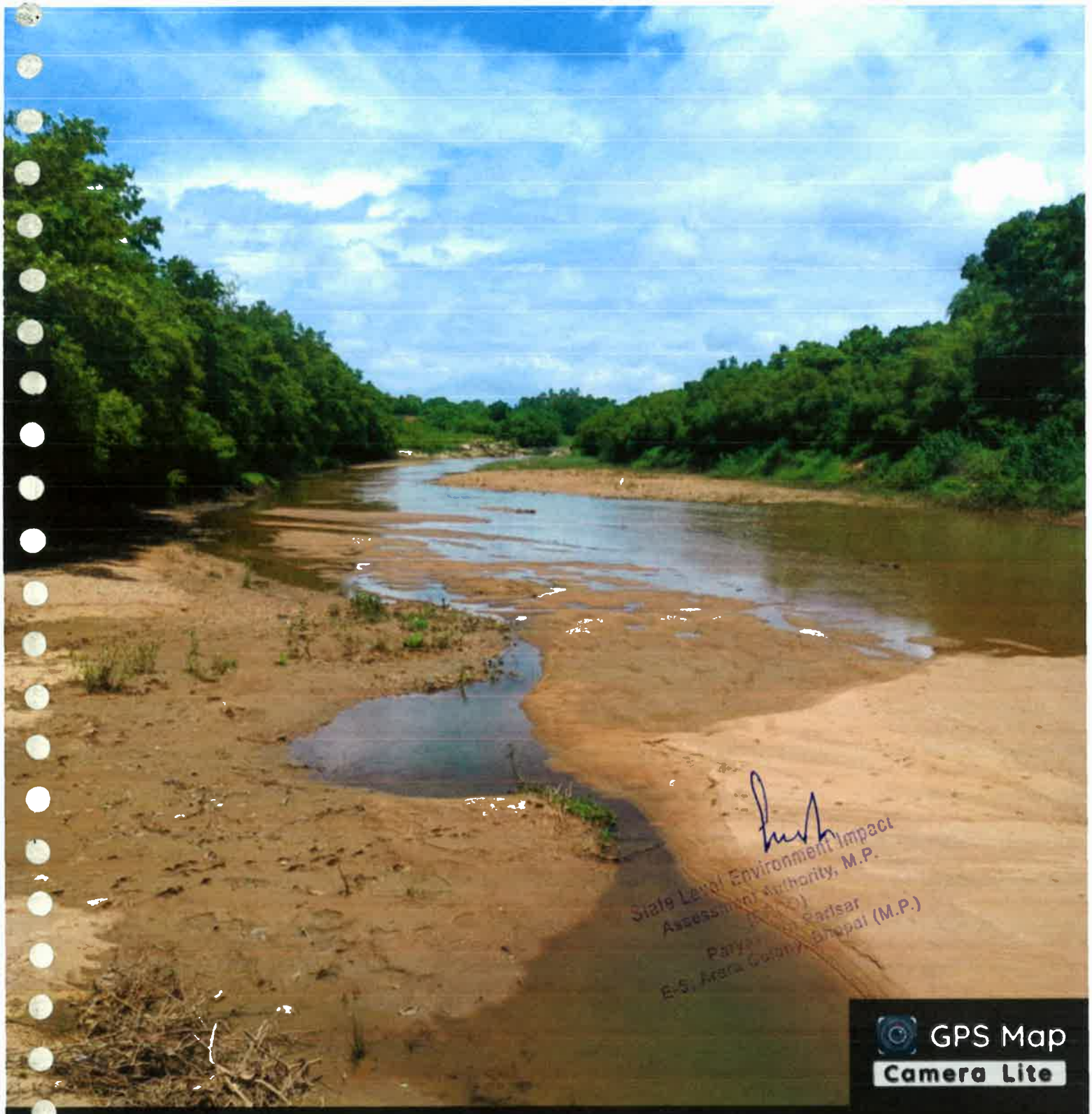

GPS Map
Camera Lite
Unnamed Road, Koylari, Madhya Pradesh 484660, India
Latitude
23.719628333333336°
Longitude
80.75001666666667°
Local 11:34:36 AM
GMT 06:04:36 AM
Altitude 317.6 meters
Friday, 15-07-2022

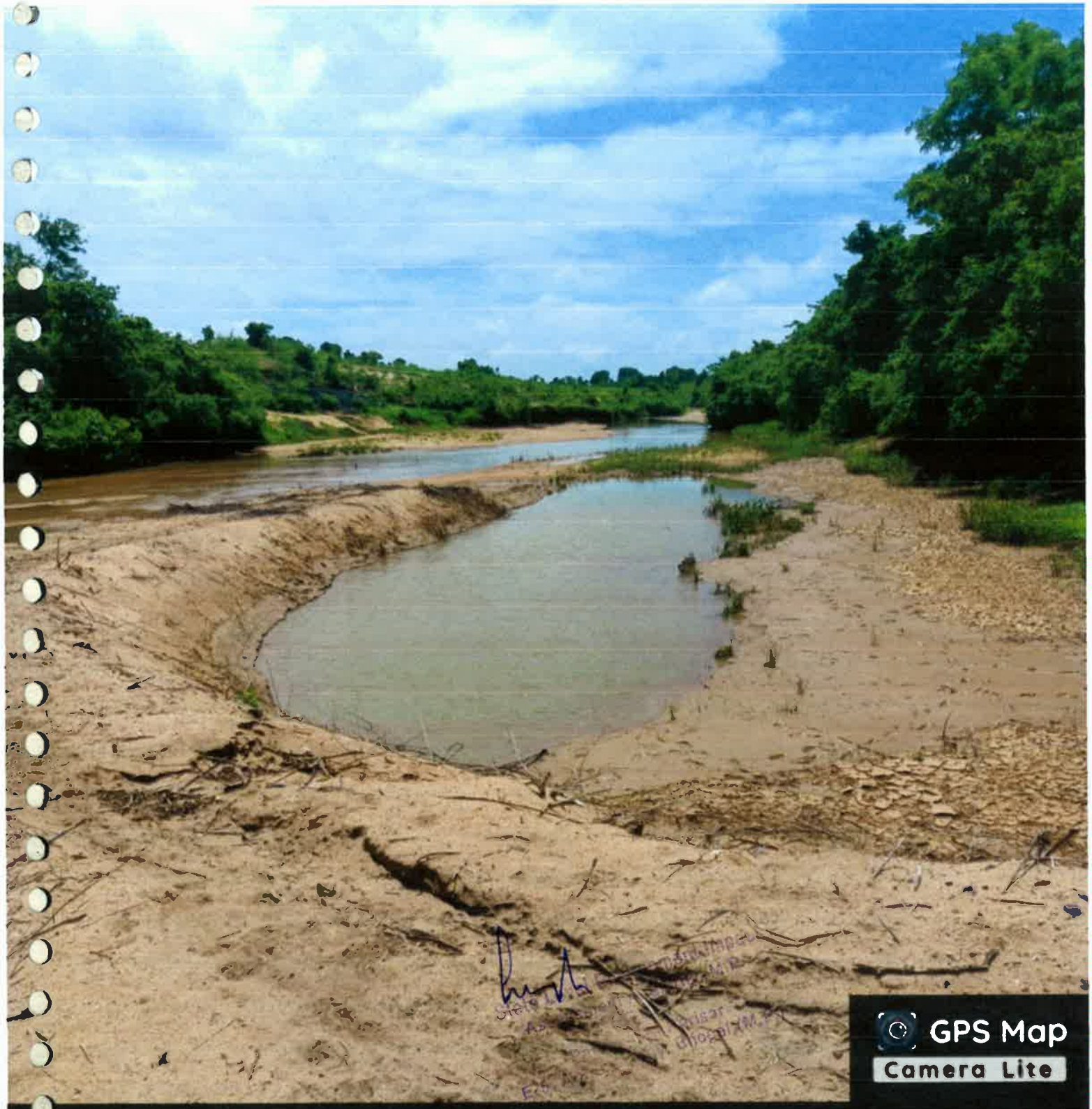

Unnamed Road, Koylari, Madhya Pradesh 484660, India

Latitude
23.7195966666666668°

Longitude
80.750036666666666°

Local 11:34:29 AM
GMT 06:04:29 AM

Altitude 320.5 meters
Friday, 15-07-2022

GOOGLE IMAGES

OF

SAND MINES IN

UMARIA DISTRICT

Tekan 4.00ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
2
1
3
8
5
6
4
7
Aruna Home
Aruna Home St
N
700 m
Google Earth
Image © 2022 CNES / Airbus

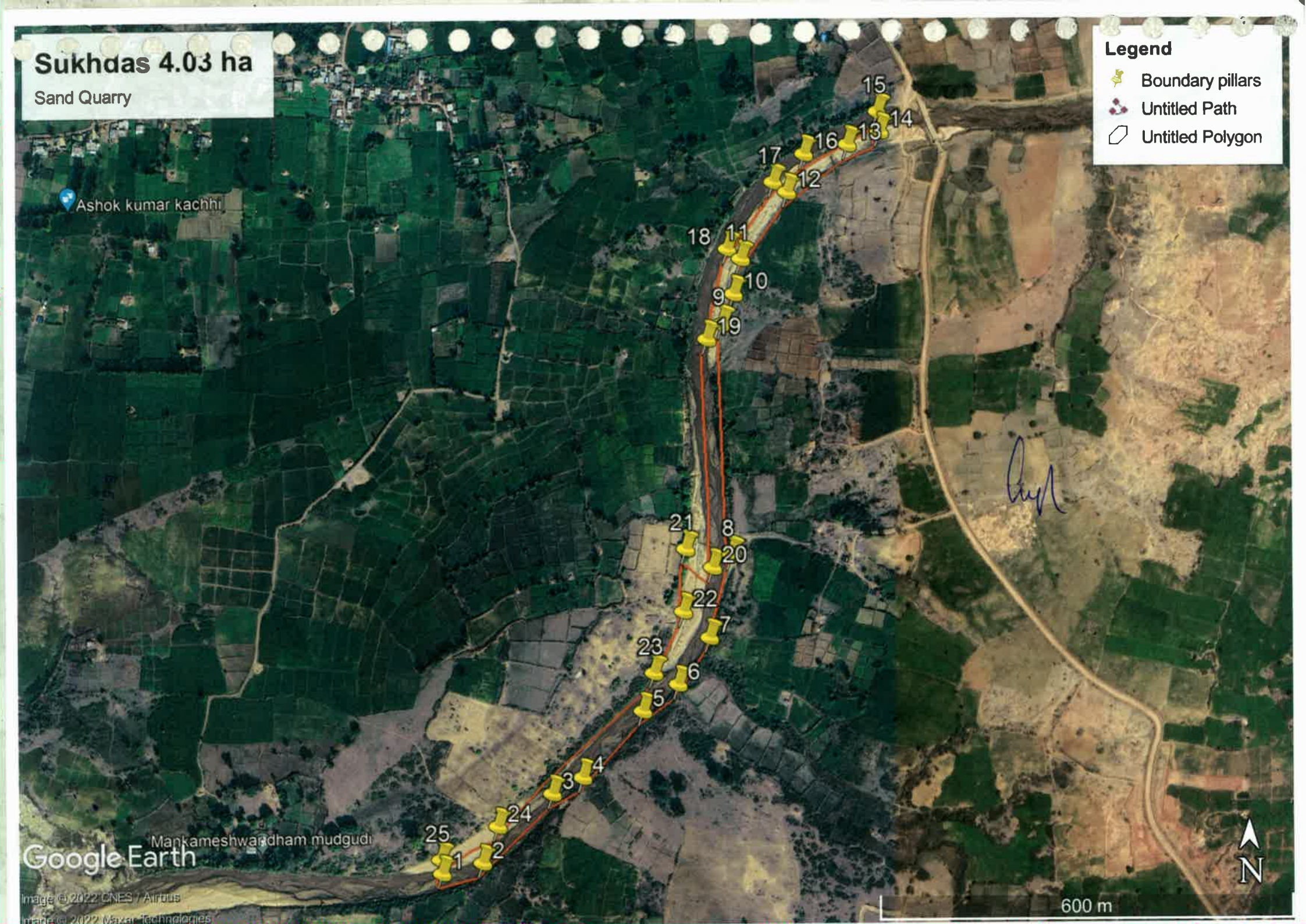

Sukhdas 4.03 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
Ashok kumar kachhi
Mankameshwardham mudgudi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Google Earth
Image © 2022 CNES / Airbus
Image © 2022 Maxar Technologies
600 m
N

Salaiya 4.925 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
LAVKUSH Saket
Bhadar River
1
2
3
4
5
6
7
N
300 m
Google Earth
Image © 2022 CNES / Airbus

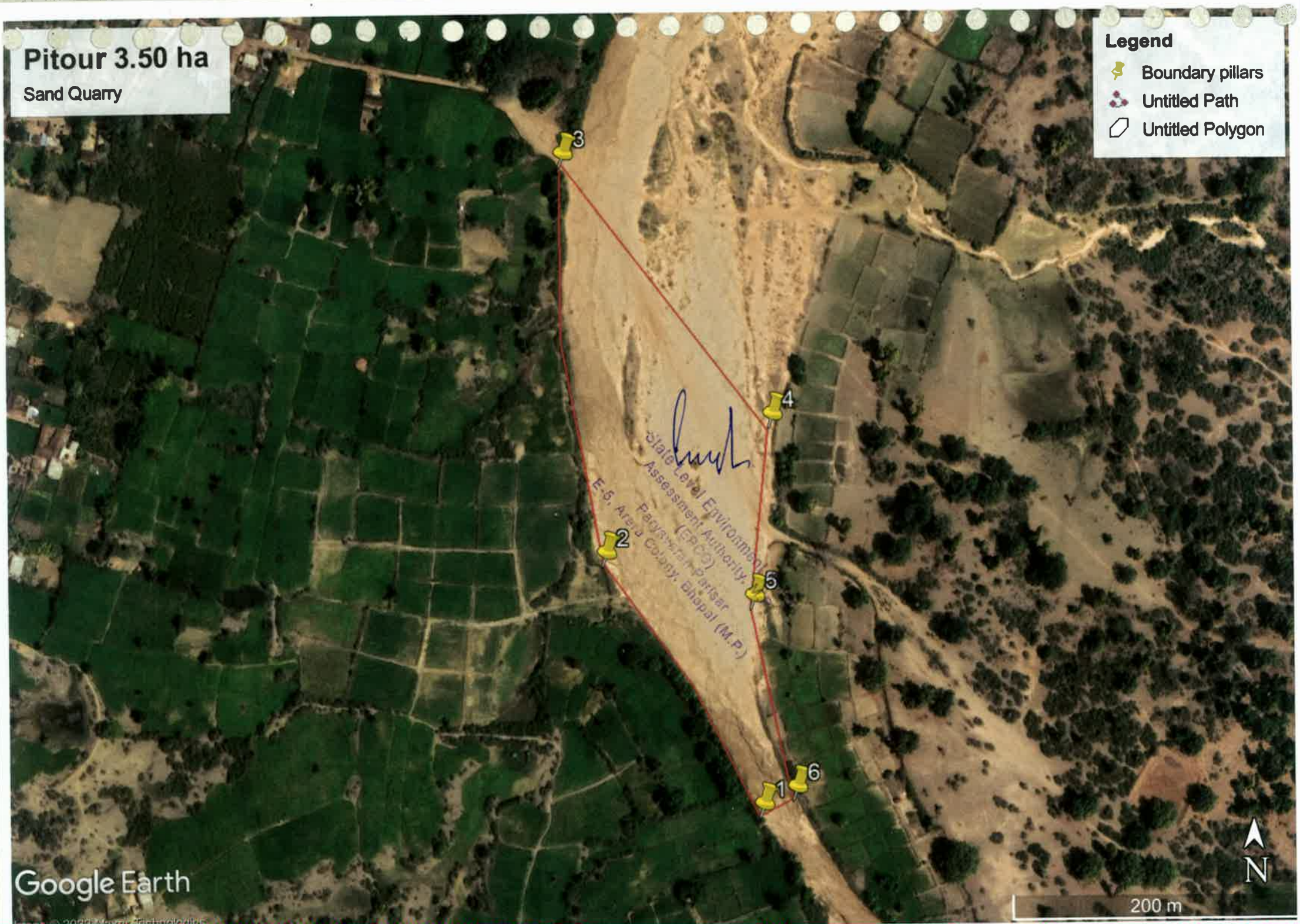

Pitour 3.50 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
1
2
3
4
5
6
State Level Environment Assessment Authority, (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)
Google Earth
N
200 m

Padvaar 4.992 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
1
2
3
4
5
6
7
8
Padwar पादवार
Vinay kirana store bharatpur padwar
Bhadar River
N
600 m
Google Earth

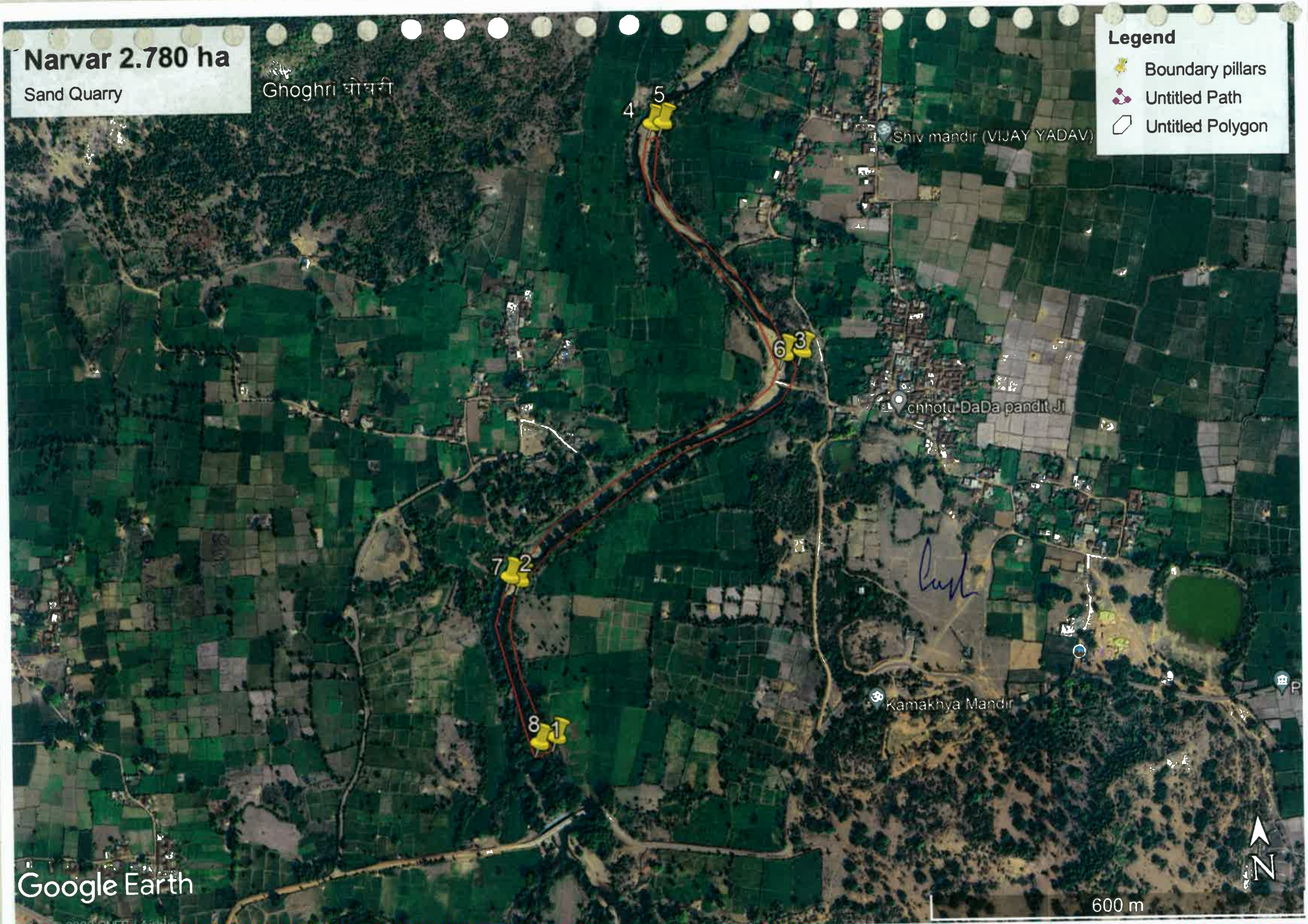
Narvar 2.780 ha
Sand Quarry
Ghoghri घोघरी
Shiv mandir (VIJAY YADAV)
chhotu DaDa pandit Ji
Kamakhya Mandir
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
1
2
3
4
5
6
7
8
N
600 m
Google Earth

Mudgudi 6.00 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
Padwar पाडवार
Mudgudi मुड़गुड़ी
Bhadar River
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
1 km
Google Earth
Image © 2022 Maxar Technologies
Image © 2022 CNES / Airbus

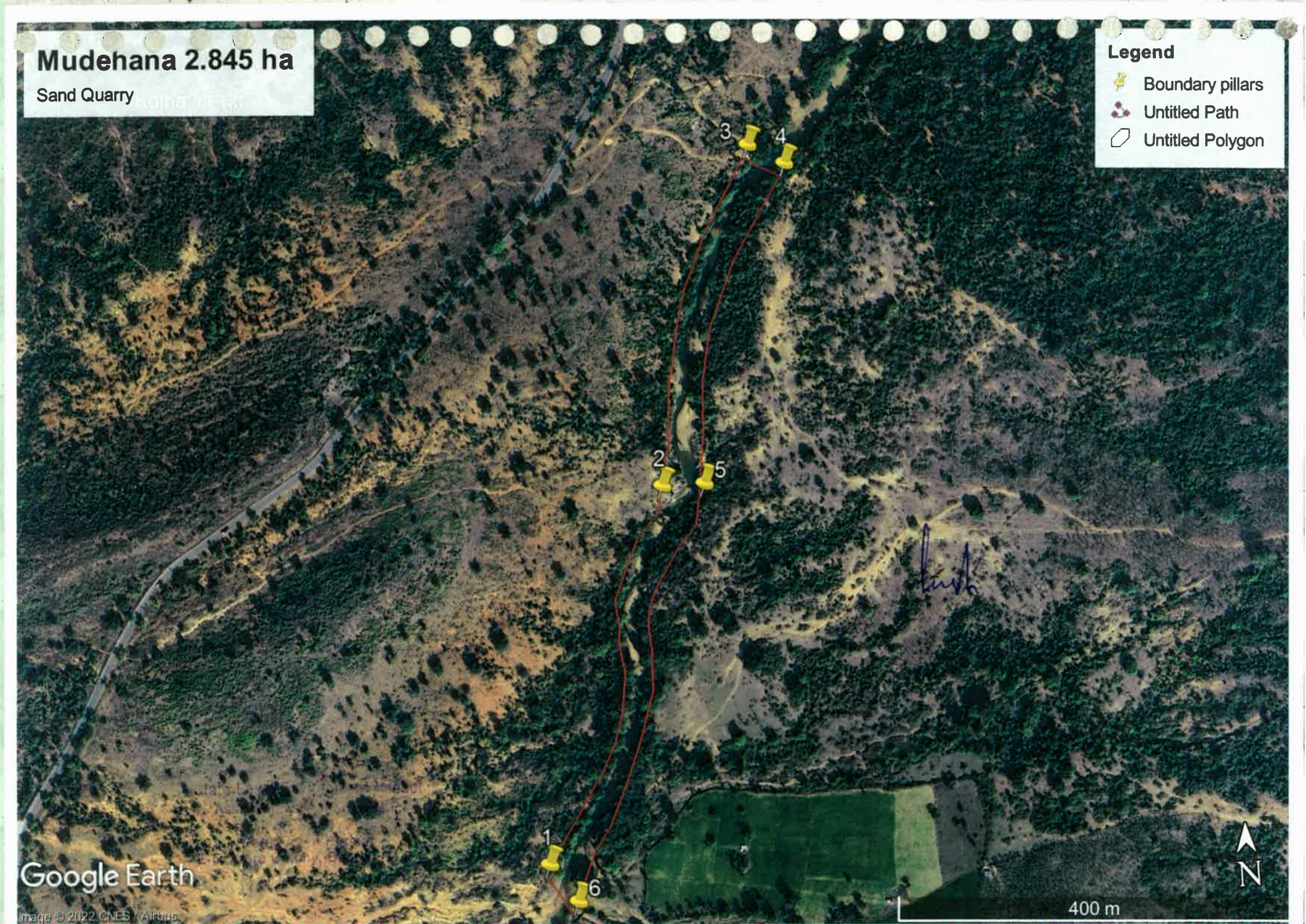
Mudehana 2.845 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
1
2
3
4
5
6
N
400 m
Google Earth
Image © 2022 CNES / Airbus

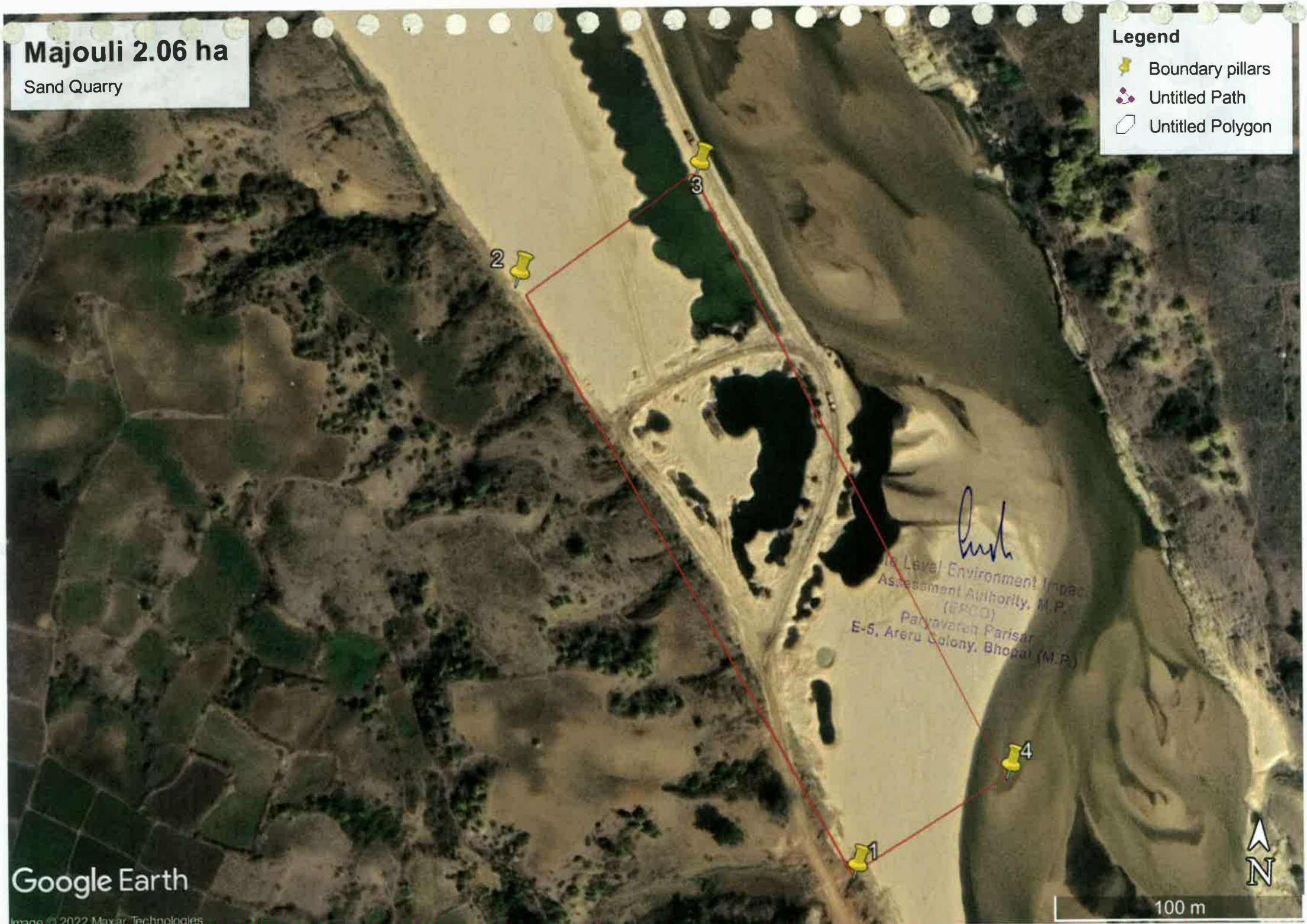
Majouli 2.06 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
1
2
3
4
N
100 m
Google Earth
Image © 2022 Maxar Technologies

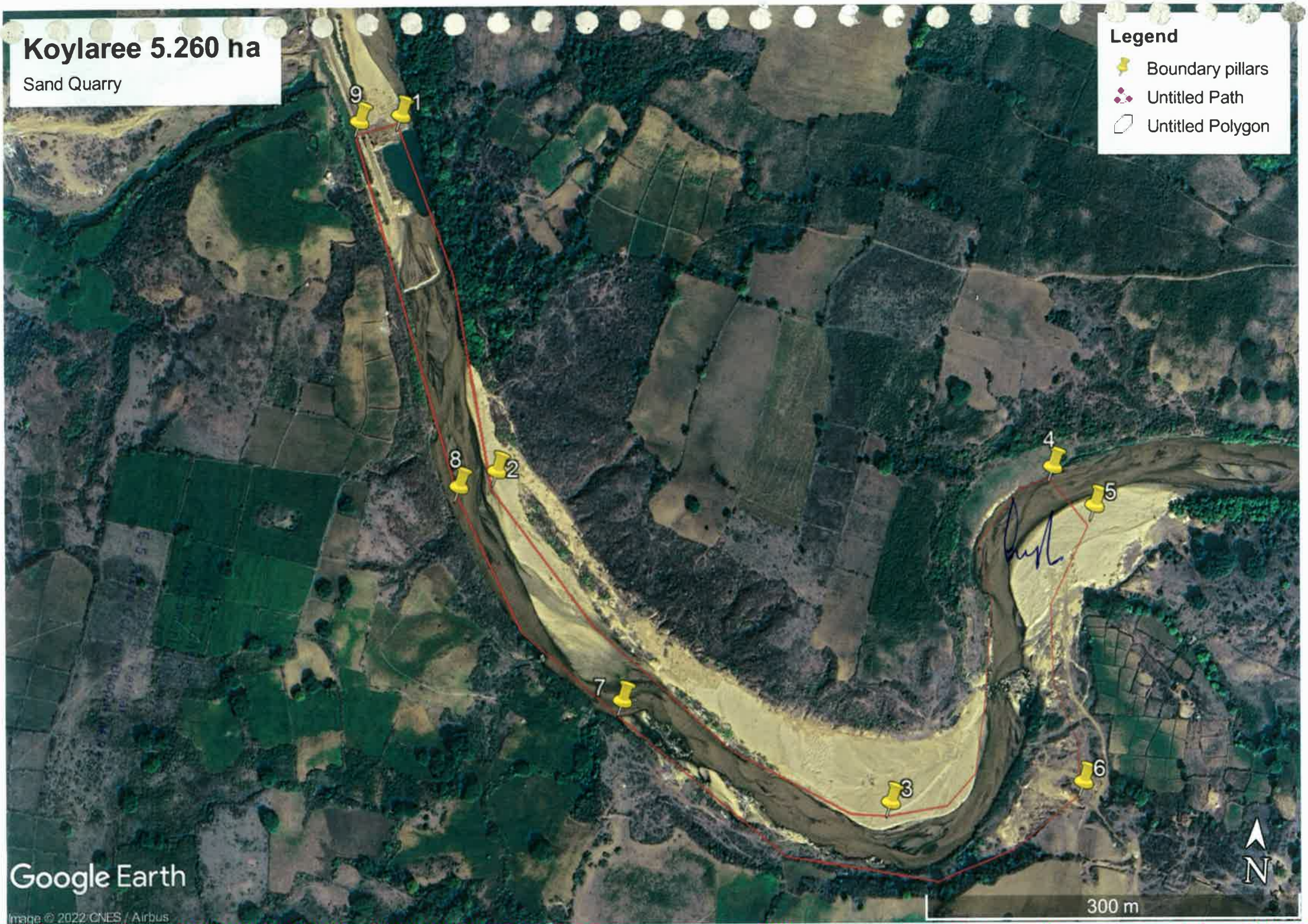
Koylaree 5.260 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
9
1
8
2
4
5
7
3
6
N
300 m
Google Earth
Image © 2022 CNES / Airbus

Kodaar 5.744 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
Dadraudi दादरौदी
Kodar कोदार
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Google Earth
© 2022 Google
600 m
N

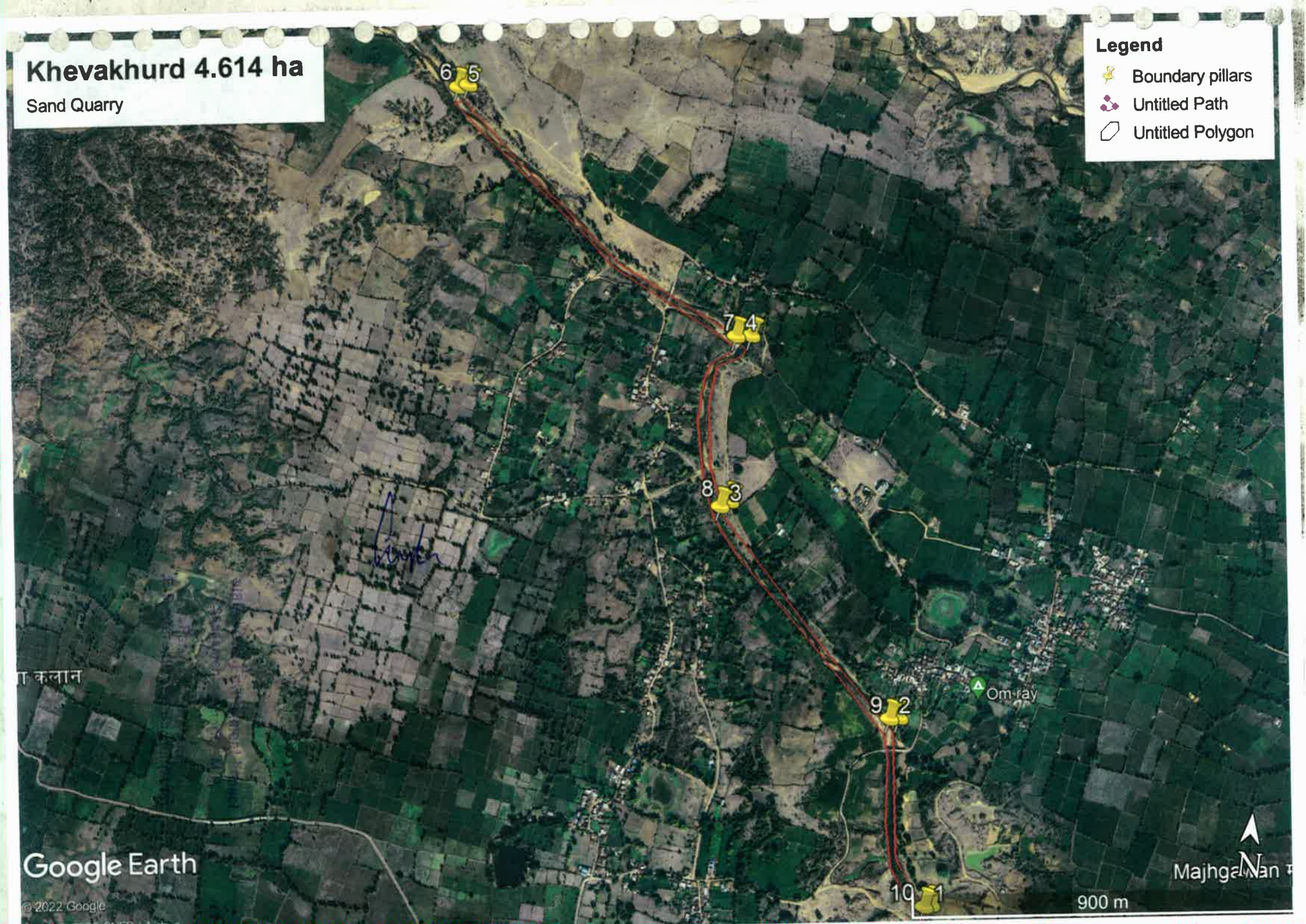

Khevakhurd 4.614 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
6 5
7 4
8 3
9 2
10 1
Om ray
Majhgawan
कलान
N
900 m
Google Earth
© 2022 Google

Khairbhar 2.024 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
22
1
2
3
4
21
5
20
6
19
7
8
18
9
17
10
16
11
15
12
13
14
N
300 m
Google Earth
Image © 2022 CNES / Airbus

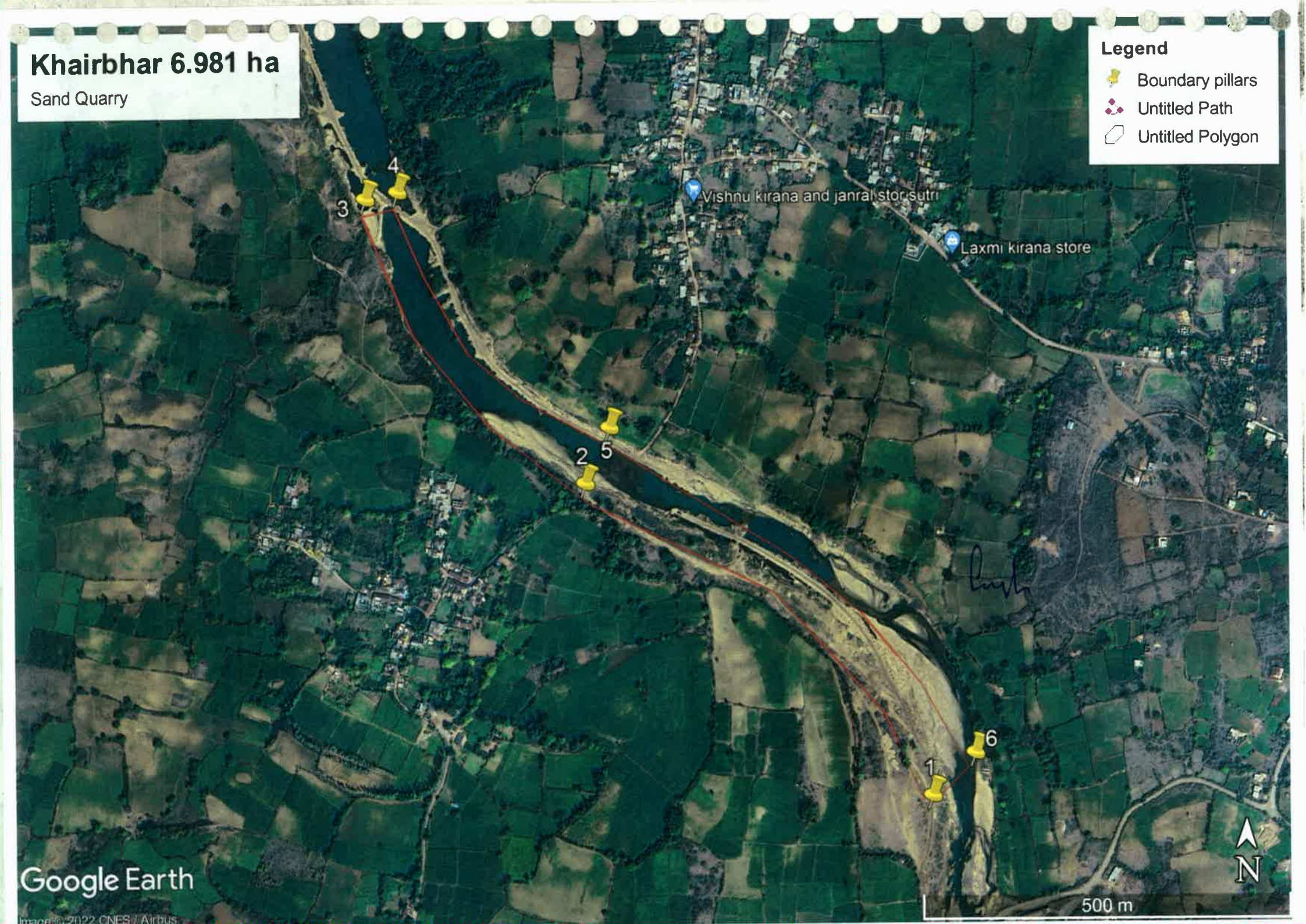
Khairbhar 6.981 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
Vishnu kirana and janral stor sutri
Laxmi kirana store
1
2
3
4
5
6
N
500 m
Google Earth

Karkati 2.023 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
200 m
Google Earth

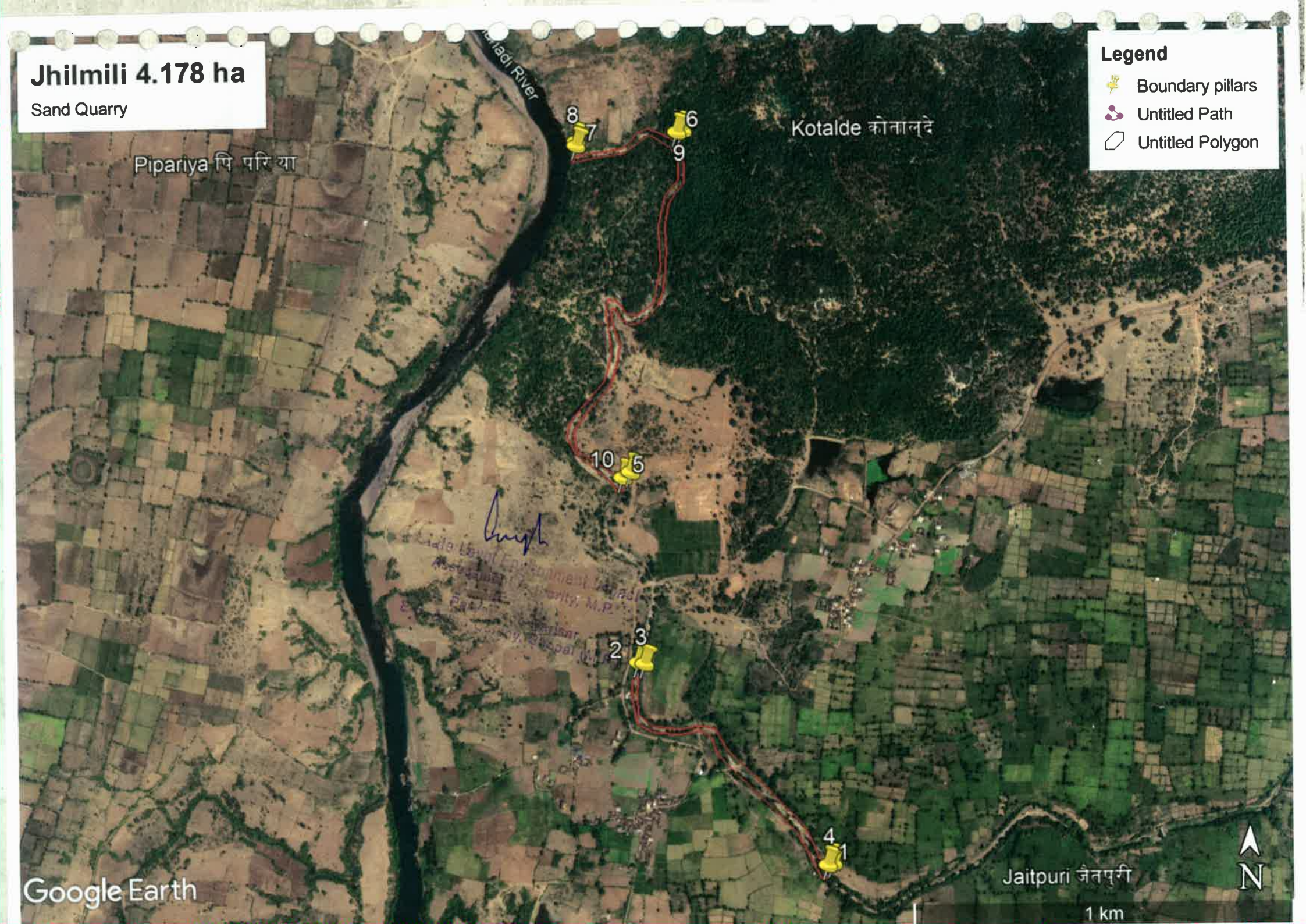
Jhilmili 4.178 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
Pipariya पिपरिया
Kotalde कोतालदे
Jaitpuri जैतपुरी
8
7
6
9
10
5
2
3
4
1
N
1 km
Google Earth

Govarde Badaar 1.50 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
1
2
3
4
5
6
7
8
Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Paryavaran Parisar
Arera Colony, Bhopal (M.P.)
Google Earth
N
100 m

Govarde 9.50 ha
Sand Quarry
Legend
Boundary pillars
Untitled Path
Untitled Polygon
1
2
3
4
Home
Google Earth
N

MOHBALA 10.110 HEC
Write a description for your map.
Legend
Feature 1
Polygon
Untitled Path
1
2
3
4
Mohbala मोहवाला
Google Earth
Image © 2022 Maxar Technologies
400 m
N

State Level Expert Appraisal Committee

Office at M.P. Pollution Control Board
Paryavaran Parisar, E-5 Sector, Arera Colony, Bhopal (M.P.) – 462016
☎: (0755) 2466 735 E-mail ID; seacof madhyapradesh@rediffmail.com

No. 259 / SEAC Gen. /2022 Bhopal, date 9/9/2022

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण(MPSEIAA),
एप्को, पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,
भोपाल (म.प्र.) 462003.

विषय :– नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन बाबत्।
संदर्भः– आपका पत्र क0. 1597 दिनांक 09/09/2022.

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य मे निर्देशानुसार नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) से अनुशंसित जिलेवार सूची अनुसार निर्देशानुसार संलग्न कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया उपरोक्त संबंध में अनुरोध है, कि कार्य संपादन उपरांत उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की मूल प्रतियां राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) के कार्यालय को वापस करने का कष्ट करे।

संलग्नः– जिलेवार सूची।

(ए0.ए0. मिश्रा)
सदस्य सचिव

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P (EPCO)
Receipt No.....1059.....
Date.....9/9/22

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) से अनुशंसित जिलेवार सूची –नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	
क्रमांक	जिला
1.	बालाघाट (रेत एंव गौण खनिज)
2.	रायसेन (रेत खनिज)
3.	डिण्डोरी (रेत खनिज)
4.	जबलपुर (रेत खनिज)
5.	बड़वानी (रेत एंव गौण खनिज)
6.	उमरिया (रेत)
7.	धार (रेत एंव गौण खनिज)
8.	सिंगरौली (रेत)
9.	देवास (रेत)
10.	अनुपपुर (रेत एंव गौण खनिज)
11.	दतिया (रेत)
12.	सीधी (रेत)
13.	भोपाल

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1587 SEIAA/2022
Date: 9/9/22

प्रति,

कलेक्टर
जिला – उमरिया (म.प्र.)

विषयः नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – उमरिया (रेत खनिज)
संदर्भः आपका पत्र क्र. 1362, दिनांक 17.08.2022 ।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 745वी बैठक दिनांक 05.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/2022 में जिला उमरिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

"..... समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए उमरिया जिले की अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदानुसार जिला कलेक्टर, उमरिया को पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार कृपया अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की साफ्टकॉपी ई–मेल के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: / SEIAA/2022
Date:

क्र.. 1586 /SEIAA / 2022 भोपाल दिनांक 9/9/22

प्रतिलिपि :–

1. **प्रमुख सचिव,** म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. **संचालक, प्रशासन / तकनीकी,** संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
3. **सदस्य सचिव,** राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र) – 462016 की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव

चुका है उनमें 60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल की जानकारी सम्मिलित कर अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के परिपालन में जिला रायसेन से प्राप्त अद्यतन कर पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट SEAC को प्रेषित की गई थी।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/2022 में जिला रायसेन की पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

".....समिति ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए रायसेन जिले की अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदानुसार जिला कलेक्टर, रायसेन को पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

15. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – उमरिया (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 745वी बैठक दिनांक 05.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/2022 में जिला डिंडोरी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

".....समिति ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की साररगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए उमरिया जिले की अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदानुसार जिला कलेक्टर, उमरिया को पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

16. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – भोपाल (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 745वी बैठक दिनांक 05.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/2022 में जिला भोपाल की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

"..... चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि भोपाल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– भोपाल पत्र 2435 दिनांक 17/08/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

समिति की चर्चा में पाया कि रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आंमत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– रायसेन पत्र 931 दिनांक 17/08/22 के माध्यम, से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

14.जिला सर्वेक्षण रिर्पोट – उमरिया (रेत खनिज)

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 579th Meeting dated 17.06.22
Approved /or recommend for Updation. (if Updation then	Recommended for DSR Updation (Sand)

elaborate issues)	
Deliberation in the SEAC 579th Meeting dated 17.06.22	*राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22* राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र कमांक 756 दिनांक 10/06/22 के माध्यम से उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जिसमें यह उल्लेखित है, कि जिला कलेक्टर, उमरिया के उप संभागीय समिति की अनुशंसा एंव जिला पोर्टल पर 21 दिन की कार्यवाही पूर्ण कर एस.ई.ए.सी. समिति के परीक्षण एंव सिया कार्यालय को प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 13/06/22 (सॉफ्टकापी) को ई–मेल द्वारा प्रेषित की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उमरिया के पत्र कमांक 1112 दिनांक 02/06/2022 के माध्यम से प्राप्त हुई इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन गठित समिति द्वारा किया गया है । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, उमरिया की ओर से सुश्री फरहत जहॉन, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– ✓ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उमरिया के पत्र कमांक 1112 दिनांक 02/06/2022 के माध्यम से प्राप्त इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिला पोर्टल पर 21 दिन हेतु रखा गया अथवा नहीं तथा इस दौरान प्राप्त हुए सुझावों/आपत्तियों के निराकरण बावत् की गई कार्यवाही के विवरण उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन कब जिला स्तरीय समिति ने किया, उसका विवरण भी शामिल किया जाना चाहिए । ✓ अध्याय आठ मे पारिस्थितिकी संवेदी झोन (इको सेंसीटिव जोन) बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान एंव पनपथा अभ्यारण के विवरण के साथ–साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा जारी अधिसूचना क0. 4027 (अ) दिनांक 13/12/2016 की जानकारी भी शामिल की जाना प्रस्तावित है । ✓ चूँकि सम्पूर्ण उमरिया जिला गंगा नदी तंत्र का भाग है जिसमें सोन, महानदी तथा जोहिला नदी आदि प्रमुख नदी तथा कई सारी सहायक नदियां जैसे केवई, कटना, केशर , कुनूख, चंडी, तिपन, मुडना आदि स्थित है। अतः राज्य /जिले के मतस्य पालन विभाग से अथवा अन्य संबंधित विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा घोषित यदि कोई नदी/घाटी का क्षेत्र एक्वाकल्चर जलचरों से संवेदन शील हो तो ऐसे स्थानों को भी चिन्हित कर विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करना चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि चिन्हित Critical aquatic habitat के अप–स्ट्रीम एंव डाउन–स्ट्रीम मे सुरक्षित दूरी छोड़कर ही रेत की लीज को अनुमोदन दिया जावें। ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाये गये कई नक्शों के विवरण पढ़ने योग्य नही है (जैसे : पेज 60 पर प्रस्तुत नक्शा) अतएव इसे बड़े स्केल में अलग से संलग्न किया जावें। ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्ययाय 12 मे जिले मे विद्यमान रेत खनिज के स्वीकृत खनन पट्टों की सूचि में रेत की उपलब्धता का आधार पर स्पष्ट नहीं है । जैसे : कमांक–1 पर उल्लेखित मानपुर गोबर्दे खदान का कुल रकबा 20 हे. तथा मात्रा 39,00,000 घनमीटर का आधार क्या है, इसी प्रकार कमांक–2 मानपुर मोहबाला खदान का रकबा भी 20 हे. है किंतु मात्रा 2,22,925 घनमीटर दशाई गई है । इस प्रकार एक ही क्षेत्रफल वाली दो खदानों में रेत की मात्रा में इतना अंतर क्यों, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक रेत खनन् हेतु स्वीकृत लीज में कितनी गहराई तक खनन् किया जाना प्रस्तावित है, उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए । ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 71 के संलग्नक–3 मे खनन योग्य खनिज क्षमता मीट्रिक टन में कुल खनिज क्षमता का 60 प्रतिशत कॉलम की गणना ठीक नहीं है, अतः इसका पुनरावलोकन कर सही मात्रा प्रस्तुत की जाये । ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 89–92 में दी तालिका का पुनरावलोकन 60 प्रतिशत माइनेवल पोटेंशियल के साथ जानकारी प्रस्तुत की जाना चाहिए । ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 93 के दर्शायी गयी टेबिल मे ऐसे क्षेत्रों की सूची/चिन्हित की गयी है जहां पर पर्यावरण की दृष्टि से खनन संभव नही है इस टेबल मे रिमार्क के कालम मे कारण को दर्शाया कि किस वजह से खनन कार्य संभव नही है का पर्यावरण संवेदी का कौन सा घटक प्रभावित हो रह है तो यह टेबल ओर भी सारगर्भित होगी।

	✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 100 मे दर्शायी गयी टेबल मे रेत खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों को वन संरक्षित एंव वन आदि से दूरी इंगित की गयी है। इस टेबल में ईको सेंसेटिव जोन अधिसूचना, बांधवगढ़ एंव पनपथा से भी दूरी को उल्लेखित किया जाये । ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्नक–छः (पेज–73) में जानकारी लीजवार (स्वीकृत) प्रस्तुत की जाना चाहिए जिसमें उपलब्ध रेत की मात्रा, रिप्लेनिशमेंट मात्रा, स्वीकृत क्षेत्र, स्वीकृत गहराई को आधार मानते हुए गणना कर उसकी 60 प्रतिशत मात्रा उल्लेखित की जाना चाहिए । ✓ जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । ✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है (अध्याय छः पेज न0. – 36 में दर्शाये गये नक्शें एंव अध्ययाय 7 पेज न0. 49) उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए । ✓ समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है । ✓ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघोंत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री फरहत जहांन, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघोंत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
Revised District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Umaria , No. 1362 dated 16.08.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 26/08/22	• प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, उमारिया के तालिका कमांक – निरंक पेज न0. 75–78 में दर्शित तालिका मे मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है • प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गयी है। • मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली तालिका कमांक – निरंक, पेज न0. 75–78 में आवश्यक रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

590वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 26अगस्त 2022

आज दिनांक 26/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं सुश्री फरहत जहान, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि उमारिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आंमत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– उमारिया पत्र 1362 दिनांक 16/08/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

15.जिला सर्वेक्षण रिर्पोट – भोपाल (रेत खनिज)

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 587th , 589th Meeting dated 02.08.22, 17.08.2022